मॉडल नियम

.....राज्य
कृषि उपज विपणन
(विकास एवं विनियमन)
नियम, २००७

विषय-सूची

अध्याय-१

नियम	प्रारम्भिक	पृष्ठ संख्या
१.	संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और आरम्भ	१
२.	परिभाषाएं	१

अध्याय-२
अधिसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिसूचनाओं का प्रकाशन

३.	अधिसूचनाओं को प्रकाशित करने की विधि	४
४.	अधिनियम नियमावली और उपनियम (बाई-लॉज) की प्रति का अनुरक्षण	४

अध्याय-३
मंडी समिति की नियुक्ति, गठन और चुनाव

५.	अधिनियम के खंड-१३ और खंड-१४ (१) के अन्तर्गत मंडी समिति की नियुक्ति और गठन	५
६.	मंडी समिति का चुनाव	५
७.	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव	१३
८.	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए गणपूर्ति	१४
९.	चुनाव याचिका	१४
१०.	पद छोड़ने वाले अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा नए अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंपा जाना	१५
११.	अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा पद त्याग	१५
१२.	मंडी समिति के सदस्य का त्याग-पत्र अथवा उसे हटाया जाना	१५

अध्याय-४
विशेष मंडी/विशेष जिन्स मंडी

१३.	विशेष मंडी/विशेष जिन्स मंडी के लिए मंडी समिति का गठन	१८

अध्याय-५
मंडी समिति का कार्य संचालन, शक्तियां और कर्त्तव्य

१४.	मंडी समिति का नियंत्रण	१९

१५.	मंडी समिति की शक्तियां और कर्त्तव्य	१९
१६.	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य	२२
१७.	मंडी समिति की बैठकें	२३
१८.	मंडी समिति की बैठकों में भाग लेने के हकदार व्यक्ति	२४
१९.	सदस्य जो कि कतिपय कार्यवाहियों में भाग लेने के हकदार नहीं हैं	२५
२०.	मंडी समिति की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं होंगी	२५
२१.	विशेष बैठक बुलाने का प्राधिकार	२५
२२.	सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कर्त्तव्य और शक्तियां	२५
२३.	उपसमिति का गठन	२७
२४.	उन विवादों की प्रकृति जिन पर विवाद उपसमिति द्वारा निर्णय लिया जाना है और इस हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	२८
२५.	मंडी आसूचना के लिए अभिदान	३०
२६.	अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन और विपणन के लिए प्रचार	३०
२७.	श्रेणीकरण सेवाओं को बढ़ावा देना	३०
२८.	अधिसूचित कृषि उपज में अपमिश्रण का निवारण	३०
२९.	मंडी समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता	३१
३०.	मंडी समिति का प्रशासन और निरीक्षण	३१
३१.	मंडी समिति द्वारा सरकार को प्रस्ताव और हवाले प्रस्तुत किया जाना	३२
३२.	मंडी समिति के आदेशों को न मानने पर शास्ति	३२
३३.	मंडी समिति के बाई-लॉज	३२
३४.	मंडी समिति के बाई-लॉज में संशोधन	३४
३५.	अभियोजन की स्वीकृति की शक्तियां	३६
३६.	अप्रत्यादेय राशियों को बट्टे-खाते में डालने के लिए शक्तियों का प्रयोग	३६
३७.	मंडी समिति द्वारा अपराध का प्रशमन	३६
३८.	इस अधिनियम/नियमों/उपनियमों के प्रावधानों के उल्लघंन करने पर शास्ति	३७

अध्याय-६
संविदा कृषि

३९. संविदा कृषि प्रायोजकों का पंजीकरण और पंजीकरण का नवीकरण ३८
४०. संविदा कृषि उत्पादक और संविदा कृषि प्रायोजक के मध्य संविदा कृषि करार ३८

४१. संविदा कृषि का विवाद समाधान प्राधिकारी ३९
४२. विवाद समाधान प्राधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपील ३९
४३. संविदा कृषि करार के अन्तर्गत कृषि उपज की खरीद ३९
४४. संविदा कृषि प्रायोजकों को संविदा कृषि उत्पादकों की भूमि पर स्थायी निर्माण करने से रोकना ४०
४५. संविदा कृषि करार का उद्देश्य ४०
४६. संविदा कृषि करार की अवधि ४०
४७. संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा संविदा कृषि उत्पादक को दिए गए अग्रिमों और ऋणों की वसूली ४०
४८. संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया जाना ४०

अध्याय-७
व्यापार का विनियमन

४९. अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत पंजीकरण अथवा पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र और इस पर लगने वाला शुल्क ४१
५०. अधिसूचित मंडी क्षेत्र में कमीशन एजेंट, व्यापारियों, दलालों, ढुलाई अथवा क्लियरिंग एजेंटों इत्यादि के रुप में कार्य करने के लिए पंजीकरण ४२
५१. पंजीकरण करने और इसका नवीकरण करने के लिए मंडी समिति की शक्ति ४३
५२. मंडी समिति द्वारा डुप्लीकेट पंजीकरण जारी करना ४४

५३.	मंडी समिति द्वारा पंजीकरण का निलम्बन अथवा निरस्तीकरण	४४
५४.	मंडी समिति द्वारा पंजीकरण के निरस्तीकरण अथवा निलम्बन के आदेश के विरुद्ध अपील	४५
५५.	अधुसूचित कृषि उपज की बिक्री की विधि	४५
५६.	अधिसूचित कृषि उपज की मूल्य कोटेशन की इकाई	४६
५७.	अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री और व्यापार	४६
५८.	अधिसूचित कृषि उपज की तुलाई, मापन और गिनती पर नियंत्रण	४६
५९.	केवल प्राधिकृत बाटों और मापकों का प्रयोग	४६

६०.	मंडी समिति के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तराजू, बाटों और मापकों, तुलाई, मपाई और गिनती की जांच	४७
६१.	मंडी समिति द्वारा मैट्रिक बाटों और मापकों का सेट रखा जाना	४७
६२.	तुलाई में काउंटर बैलेंसिंग	४७
६३.	निरीक्षण के लिए तराजुओं, मापकों और बाटों को प्रस्तुत करना	४७
६४.	दोषपूर्ण तराजुओं, मापकों और बाटों की रिपोर्ट	४७
६५.	विक्रेता को कमीशन एजेंट अथवा खरीदार द्वारा बिक्री रकम का भुगतान शीघ्र किया जाना	४८
६६.	कमीशन एजेंट द्वारा बिक्री पर्चियां जारी करना	४८
६७.	कमीशन एजेंट द्वारा भंडारण पर्चियां जारी करना	४८
६८.	कमीशन एजेंट द्वारा भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना	४९
६९.	व्यापार भत्ते और कटौतियों का निर्धारण	४९
७०.	खरीदार द्वारा शेष सामग्री खरीदा जाना	५१
७१.	व्यापारियों, दलालों, कमीशन एजेंटों, तौलकर्ताओं इत्यादि द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर	५१
७२.	दलाल नियुक्त करने संबंधी सीमाएं	५१.
७३.	कृषकों को दिए जाने वाले अग्रिमों का विनियमन	५२

७४. मंडी प्रभारों की सीमाएं और उन पर शास्ति ५२

अध्याय-८
मंडी शुल्क की लेवी और इसका संग्रह

७५. मंडी शुल्क की एकल बिन्दु लेवी ५३
७६. चैक-पोस्ट ५३
७७. मंडी शुल्क का भुगतान न करने पर शास्ति ५४
७८. मंडी शुल्क के लिए रजिस्टर ५४
७९. मंडी शुल्क एकत्र करने के लिए कर्मचारियों का उपयोग ५४
८०. मंडी शुल्क संग्रह करने वाले कर्मचारी ५५
८१. मंडी समिति के सचिव द्वारा नकद और लेखा निरीक्षण ५५

अध्याय-९
निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी/निजी ई-मंडी/उपभोक्ता/कृषक मंडी की स्थापना और संचालन तथा प्रत्यक्ष खरीद

८२. अधिनियम की धारा ४५ और ४६ के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन और प्रभार्य शुल्क ५६
८३. निजी ई-मंडी और उपभोक्ता/कृषक मंडी सहित निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना ५७
८४. कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए लाइसेंस जारी करना ६२
८५. विवादों का निपटारा ६३
८६. लाइसेंस का नवीकरण ६४
८७. लाइसेंस की सदस्यता, नाम और शैली में परिवर्तन ६५

८८. लाइसेंस लम्बित अथवा रद्द करना ६५
८९. धारा ४५, ४६ और ४८ के अन्तर्गत पारित आदेशों के खिलाफ अपील के लिए प्रक्रिया ६६

अध्याय-१०
मंडी समिति की निधियां, बजट और लेखा

९०. मंडी समिति का बजट ६७
९१. मंडी समिति का बजट सम्मेलन ६७
९२. पूरक अनुदान सहित बचत का, व्यय की एक मद से दूसरी मद में पुनर्विनियोग ६७
९३. लेखा का प्रकाशन और मंडी समिति की लेखा परीक्षा ६८
९४. मंडी समिति के लेखों का प्रस्तुतीकरण ६८
९५. लेखा परीक्षक का दस्तावेजों को मंगवाने का अधिकार ६८
९६. लेखा परीक्षक द्वारा सामग्री की अनुपयुक्तता अथवा अनियमितता, कमी, अपव्यय अथवा निधियों के दुरुपयोग की सूचना दिया जाना ६९
९७. मंडी समिति के सचिव का उत्तरदायित्व-दोषों अथवा अनियमितताओं को दूर करना ६९
९८. किसी भी प्रकार की अप्राधिकृत वस्तु अथवा उस पर लगाए गए सरचार्ज को स्वीकृति प्रदान न करने का लेखा परीक्षक का अधिकार ६९

९९. लेखा परीक्षक के आदेशों के विरुद्ध अपील ७०
१००. कोष में जमा किया जाने वाला भुगतान ७०
१०१. मंडी समिति द्वारा लेखा परीक्षक को अर्धवार्षिक विवरण जमा किया जाना ७०
१०२. मंडी समिति का अधिशेष फंड ७१
१०३. केन्द्रीय मंडी निधि ७१
१०४. केन्द्रीय मंडी निधि में अंशदान ७१
१०५. केन्द्रीय मंडी निधि का अनुप्रयोग और प्रशासन ७१
१०६. केन्द्रीय मंडी निधि का बजट ७३

अध्याय-११
राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन और कार्य

१०७. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का संघटन ७४
१०८. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्त्तव्य ७५
१०९. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल ७५
११०. प्रबंध निदेशक की नियुक्ति और उसके अधिकार ७६
१११. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बैठक ७६
११२. मामले जिन पर राज्य कृषि विपणन बोर्ड विनियम बना सकता है ७६
११३. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का बजट ७७
११४. विपणन निदेशक/प्रबंध निदेशक के अधिकार और कार्य ७८
११५. कृषि उपज विपणन मानक ब्यूरो की स्थापना ७८

अध्याय-१२
मंडी समिति के महत्वपूर्ण कार्य

११६. कार्य ७९

अध्याय-१३
निरसन और बचत

११७. पूर्व नियमों को निरस्त करना ८१

फार्म ८२-११६

मॉडल नियम

.....राज्य कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) नियम, २००७

..... राज्य कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, ... के खंड १०९ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिनियम के अंतर्गत इस विषय पर बने सभी नियम जो उक्त अधिनियम के खंड-१११ द्वारा निरसित हुए, के अधिक्रमण में ..... सरकार इस

अधिनियम के उद्देश्यों के अनुपालन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और जन साधारण को सूचित करने के लिए इसे राज्य के राजपत्र में एतद्द्वारा प्रकशित करती है जैसा कि उक्त अधिनियम के खंड १०९ के उपखंड (१) के अंतर्गत अपेक्षा की गई है ।

अध्याय-१

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और आरम्भ

(i) ये नियम "..... राज्य कृषि उपज श्रेणीकरण (विकास एवं विनियमन) नियम, २००७" कहलाएंगे ।

(ii) यह पूरे ..... राज्य पर लागू होगा ।

(iii) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

२. परिभाषाएं

(i) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" से अर्थ है ..... राज्य कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, २००३ .

(ख) "एग्रीमेंट रिकार्डिंग अथॉरिटी" से तात्पर्य उस नामोदिष्ट प्राधिकारी से है जो कि संविदा कृषि प्रायोजक और संविदा कृषि उत्पादक के मध्य होने वाले संविदा कृषि करार को रिकार्ड करेगा ।

(ग) "मूल्यांकन प्राधिकारी" से तात्पर्य सचिव मंडी समिति से है, जबकि निजी ई-मंडी, कृषि कार्य करने वाले

कृषक से प्रत्यक्ष खरीद, उपभोक्ता/कृषक मंडी और संविदा कृषि के मामले में यह कार्य
निदेशक/प्रबंध
निदेशक करेगा ।

(घ) "दलाल" से आशय एक ऐसे एजेंट से है जो सामान्यतः दलाली के भुगतान पर अपने प्रधान की ओर से अधिसूचित कृषि उपज की खरीद अथवा बिक्री के लिए सौदेबाजी करने और संविदा करने

का कार्य करता हो, लेकिन इसमें ऐसे प्रधान का नौकर शामिल नहीं है चाहे वह सौदेबाजी में अथवा ऐसी संविदाए करने के कार्य में संलग्न हो ।

(ड.) "ढुलाई अथवा निकासी एजेंट" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कि परेषण एजेंट सहित किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह से प्रत्यक्षतः अथवा परोक्ष रुप से निकासी और अग्रेषण प्रचालन कार्यों से संबंधित सेवा प्रदान कर रहा हो ।

(च) "उपभोक्ता/कृषक मंडी" से आशय अधिनियम के खंड ४६ के अंतर्गत स्थापित ऐसी मंडी से है जिसका प्रबंधन मंडी समिति के किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय द्वारा किया जाता हो, जहां पर कृषक बाईलाज में निर्धारित सीमा तक, अपनी कृषि उपज ग्राहकों को बेचते हैं ।

(छ) "संविदा कृषि उत्पादक" से आशय एकल कृषक से अथवा कृषकों के ऐसे समूह से है, जिसका नाम किसी कानून के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के लिए दर्ज किया गया हो । पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पर कृषि भूमि का नियंत्रण ग्राम पंचायतों अथवा इस प्रकार के मान्यता प्राप्त निकायों के हाथ में होता है, वहां पर ऐसे निकाय को संविदा कृषि उत्पादक के रुप में माना जाएगा ।

(ज) "संविदा कृषि प्रायोजक" से आशय संविदा कृषि करार के अंतर्गत संविदा कृषि उत्पादक से कृषि उपज की खरीद करने वाले व्यक्ति से है ।

(झ) "प्रपत्र" से आशय इन नियमों के परिशिष्ट रुप में लगे प्रपत्र से है ।

(ण) "अग्रेषण एजेंट" से आशय ऐसे व्यक्ति अथवा स्थानीय उत्पादक सह व्यापारियों के समूह अथवा ट्रांसपोर्टर से है जो कि कमीशन आधार पर मंडी क्षेत्र में उत्पादकों से कृषि उपज का संग्रहण करता हो और संग्रहीत उपज को राज्य के अंदर अथवा बाहर बिक्री के लिए कमीशन एजेंटों, खरीदारों, व्यापारियों को भेजने के लिए परिवहन व्यवस्था करता हो ।

(ट) "अकस्मात प्रभार" से आशय ऐसे प्रभारों से है जो कि नीलामी अथवा सौदेबाजी के समय बोली को अंतिम रुप देने से पूर्व कृषि उपज की तौल के लिए पारिश्रमिक सहित उतराई, रखवाई, सफाई और

साज-सज्जा जैसे कार्यों के लिए लगाए जाते हैं ।

(ठ) "लाइसेंसिंग प्राधिकारी" से आशय उस प्राधिकारी से है जिसके पास अधिनियम की धारा ४५, ५६ और ४७ के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने और अथवा लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाता है ।

(ड) "मंडी समिति का कार्यालय" से आशय उस स्थान से है जहां पर मंडी समिति का मुख्यालय स्थित है ।

(ढ) " निजी मंडी" से आशय ऐसी मंडी से है जो कि अधिनियम की धारा ३ के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी प्रकार की कृषि उपज के लिए अधिनियम की धारा ५(१) के खंड (iii) के अंतर्गत स्थापित हो, इसमें मंडी समिति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी ई-मंडी भी शामिल हैं ।

(ण) "पंजीयन प्राधिकारी" से आशय मंडी कार्यकर्ताओं के पंजीकरण के लिए अधिनियम की धारा ३८ और ४४ के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से है ।

(त) "पंजीकरण धारक" से आशय इन नियमों के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति से है ।

(थ) " सचिव" से आशय कृषि उपज मंडी समिति के सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है ।

(द) "धारा" से आशय अधिनियम की धारा से है ।

(ध) "प्रायोजक पंजीकरण प्राधिकारी" से आशय संविदा कृषि प्रायोजन के पंजीकरण हेतु निर्धारित प्राधिकारी से है ।

(न) "सर्वेक्षक" से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो मंडी क्षेत्र अथवा मंडी में बिक्री के लिए आई कृषि उपज की गुणवत्ता, अपवर्तन, अपमिश्रण और ऐसे अन्य घटकों के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण करता है ।

(ii) अधिनियम में प्रयुक्त और इन नियमों में परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में उनके लिए नियत किया गया है ।

.....

अध्याय-२

अधिसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिसूचनाओं का प्रकाशन

३. अधिसूचनाओं को प्रकाशित करने की विधि

(१) खंड ३ के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने अथवा किसी भी क्षेत्र को उससे बाहर निकालने अथवा उसमें शामिल करने की घोषणा हेतु प्रत्येक अधिसूचना राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

(२) ऐसी अधिसूचना की प्रतिलिपि

(क) संबंधित जिले में यदि कोई जिला गजट हो तो उसके ग्राम परिशिष्ट में प्रकाशित की जाए; और

(ख) ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा इसका कोई भाग जिस नगरपालिका/जिला परिषद और जिस ग्राम पंचायत की पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता हो, उसके कार्यालय में ध्यानाकर्षी स्थान पर चिपकाकर इसका प्रदर्शन किया जाए ।

(३) राज्य के राजपत्र में खंड-३ के अंतर्गत प्रकाशित हुई कोई अधिसूचना केवल इस तथ्य के कारण अवैध नहीं समझी जाएगी कि उपर्युक्त उपनियम (२) के अनुसार इसकी प्रतियों को प्रकाशित नहीं किया गया है अथवा इसका प्रदर्शन नहीं किया गया है ।

(४) अधिनियम, नियमावली और उपनियम (बाईलाज) की प्रति का अनुरक्षण

मंडी समिति, अधिनियम की और इसकी नियमावली की और इसके अंतर्गत बताई गई अथवा जारी की गई अधिसूचनाओं की और इसके बाईलाज की प्रति अपने कार्यालय में रखेगी जिसका निःशुल्क अवलोकन किया जा सकेगा ।

.....

अध्याय-३

मंडी समिति की नियुक्ति, गठन और चुनाव

५. अधिनियम के खंड १३ और खंड १४ (१) के अंतर्गत मंडी समिति की नियुक्ति और गठन

(१) प्रत्येक मंडी समिति में अधिनियम के खंड-१४ के अंतर्गत दी गई संख्या के अनुसार सदस्य होंगे । तथापि, नई मंडी समिति के गठन के समय राज्य सरकार निदेशक/प्रबंध निदेशक इसके प्रबंधन के लिए प्रभारी अधिकारी अथवा मंडी समिति प्रभारी दो वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त करेगी ।

(२) उपर्युक्त उपनियम १ के अनुसार नियुक्त प्रभारी अधिकारी/मंडी समिति प्रभारी दो वर्ष की अवधि बीतने से पूर्व नियम-६ के अनुसार मंडी समिति के गठन हेतु चुनाव कराएंगे ।

(३) खंड-१४ के क्लाज (i) उपखंड (१) में उल्लिखित शर्तों के अलावा मंडी समिति की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:

(i) वह कृषि चुनाव क्षेत्र के लिए अधिसूचित क्षेत्र में कृषि उपज का उत्पादक, पशुधन और पशुधन उत्पाद का स्वामी होना चाहिए;

(ii) वह सामान्य रुप से ..... राज्य का निवासी होना चाहिए;

(iii) उसकी आयु १८ वर्ष से अधिक होनी चाहिए;

(iv) वह स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए; और

(v) वह दिवालिया घोषित न किया गया हो अथवा नैतिक चरित्रहीनता सहित किसी मामले में राज्य में अथवा राज्य सरकार से बाहर फौजदारी अदालत द्वारा उसे दंडादेश न दिया गया हो ।

६. मंडी समिति का चुनाव

(१) चुनाव की तारीख का निर्धारण

जहां पर मंडी समिति का सामान्य चुनाव अथवा खंड-१४ के अंतर्गत उप चुनाव होना हो, निदेशक/प्रबंध निदेशक लिखित आदेश द्वारा ऐसे चुनाव की तारीख निर्धारित करेंगे और मंडी क्षेत्र में मुख्य मंडी यार्ड में ध्यानाकर्षी स्थान पर और मंडी समिति के कार्यालय में इसकी प्रति को चिपकाकर इस आदेश को प्रचारित करेंगे । उक्त आदेश में निदेशक/प्रबंध निदेशक चुनाव अधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी को प्राधिकृत करेंगे ।

चुनाव अधिकारी, निदेशक/प्रबंध निदेशक की पूर्व स्वीकृति से चुनाव के विभिन्न स्तरों का ब्यौरा देते हुए मंडी समिति के चुनाव कार्यक्रम को बनाएगा एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और संबंधित मंडी समिति तथा उसके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर इसे प्रदर्शित करेगा ।

(२) मतदाताओं की पृथक सूची

अधिनियम के खंड-१४ के उद्देश्यों के लिए मंडी समिति के संबंध में तीन पृथक मतदाता सूचियां निम्नानुसार होंगी:-

(i) अधिनियम के खंड-१४, उपखंड (१), क्लाज (i) के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की प्रबंध समितियों के सदस्यों और मंडी क्षेत्र में सरपंच सहित ग्राम पंचायत के सदस्यों की एक सूची;

(ii) अधिनियम के खंड-१४, उपखंड (१), क्लाज (i) के अंतर्गत मंडी क्षेत्र में लाइसेंस धारक/रजिस्टर्ड व्यापारियों की सूची; और

(iii) अधिनियम के खंड-१४, उपखंड (१), क्लाज (i) के अंतर्गत मंडी क्षेत्र में स्थित सहकारी विपणन समितियों की प्रबंध समितियों के सदस्यों की सूची ।

(३) मतदान के लिए पात्र व्यक्ति

कोई व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, उस मतदाता सूची से संबंधित चुनाव में मतदान हेतु तब तक अर्हक माना जाएगा जब तक कि वह उस पात्रता को खो न दे जिसकी वजह से उसका नाम ऐसी सूची में डाला गया था ।

(४) सामान्य चुनाव के लिए मतदाता सूची की तैयारी जब मंडी समिति का सामान्य चुनाव होना होता है:

(i) निदेशक, पंचायत राज संबंधित स्थानीय सेल्फ सरकार मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरपंचों/ग्राम पंचायतों के सदस्यों के पूरे नाम उनके आवासीय पते सहति;

(ii) मंडी क्षेत्र में स्थित प्रत्येक व्यक्ति प्राथमिक कृषि सहकारी समिति अपनी प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम उनके आवासीय पते सहित उपलब्ध कराएगी;

(iii) मंडी समिति, मंडी क्षेत्र में लाइसेंस धारक/पंजीकृत व्यापारियों के पूरे नाम उनके आवासीय पते सहित उपलब्ध कराएगी;

(iv) प्रत्येक सहकारी विपणन समिति प्रबंध समिति के सदस्यों के पूरे नाम उनके आवासीय पते सहित, चुनाव अधिकारी को उस तारीख से पहले उपलब्ध कराएगी जो कि निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई हो ।

बशर्ते कि निर्धारित की गई ऐसी तारीख सामान्य चुनाव की तारीख से ६० दिन पहले से बाद की न हो ।

(v) चुनाव अधिकारी द्वारा नियम ६ के उपनियम (१) के अंतर्गत प्राप्त सूचना के आधार पर और, यदि आवश्यक हो, तो ऐसी जांच के पश्चात जिसे वह उचित समझता हो, नियम ५ द्वारा यथा अपेक्षित मतदाता सूची नियम ६ के उपनियम (१) के अंतर्गत निर्धारित तारीख से एक सप्ताह के अंदर तैयार की जाएगी ।

(vi) प्रत्येक मतदाता सूची में प्रत्येक मतदाता का पूरा नाम, आवास का स्थान और क्रमांक अंकित होगा ।

(५) मतदाता सूची का अनंतिम और अंतिम प्रकाशन

(i) नियम ६ के उपनियम (४) के अंतर्गत मतदाता सूची तैयार होते ही चुनाव अधिकारी द्वारा उसकी प्रति यथाशीघ्र मंडी क्षेत्र में मंडी समिति के कार्यालय और मुख्य मंडी यार्ड में कुछ ध्यानाकर्षी स्थानों पर एक नोटिस के साथ चिपका कर प्रकाशित की जाएगी । नोटिस में यह उल्लिखित होगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल न हो और वह दावा करता हो कि उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए अथवा जिसका विचार यह है कि उसका अथवा किसी अन्य व्यक्ति का नाम गलत ढंग से लिखा गया है अथवा सही नहीं लिखा गया है, नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के अंदर मतदाता सूची में संशोधन के लिए चुनाव अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है ।

(ii) उप नियम (५) (i) के अंतर्गत यदि कोई आवेदन प्राप्त होता है तो चुनाव अधिकारी उस पर निर्णय लेंगे और आवेदन पत्र पर उनके द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में आवश्यक संशोधन करने के पश्चात यह सूची तैयार और प्रकाशित कराई जाएगी । अंतिम मतदाता सूची चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन हेतु निर्धारित तारीख से कम से कम तीस दिन पहले तैयार कर ली जाएगी ।

(iii) इस नियम के अंतर्गत तैयार अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां चुनाव अधिकारी के कार्यालय और मंडी समिति के कार्यालय में जनता के अवलोकन के लिए रखी जाएंगी ।

(६) उप-चुनाव के लिए मतदाता सूची

धारा १५ के अंतर्गत उप-चुनाव के उद्देश्य के लिए संबंधित मतदाता सूची की तैयारी के लिए यथावाश्यक परिवर्तन सहित नियम ६ के उप-नियम (५),(६),(७) और (८) के प्रावधानों का प्रयोग किया जाएगा ।

(७) चुनाव के चरणों का निर्धारण

(i) चुनाव उस अवधि के मध्य और उस तारीख को उस स्थान अथवा स्थानों पर सम्पन्न होगा जैसा कि निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाए ।

(ii) नियम ६ के उप-नियम (४) के अंतर्गत चुनाव के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम ४० दिन पहले निदेशक/प्रबंध निदेशक निम्न तथ्यों का उल्लेख करते हुए नोटिस प्रकाशित करेगा:

(क) संबंधित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या,

(ख) किस तारीख को किस स्थान पर किस अवधि के मध्य किन नामांकन पत्रों को चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसी तारीख इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से कम से कम १४ दिन बाद की होनी चाहिए,

(ग) नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तारीख, स्थान और समय,

(घ) किस तारीख को, किस स्थान अथवा स्थानों पर और किस अवधि के मध्य वोट डाले जाएंगे, और

(ड.) किस तारीख को, किस स्थान पर और किस अवधि के मध्य वोटों की गिनती की जाएगी ।

(८) नामांकन

(i) उपनियम (७) (ii) के क्लाज (ख) के अंतर्गत निर्धारित तारीख को चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार प्रपत्र 'ए' में नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को देगा ।

(ii) प्रत्येक नामांकन पत्र पर चुनाव में वोट डालने की अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावक के रुप में हस्ताक्षर किए जाएंगे और चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए घोषणा पर उम्मीदवार हस्ताक्षर करेगा ।

(iii) प्रस्तावक के रुप में कोई व्यक्ति उतने नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकता है, जितनी रिक्तियां भरी जानी हैं । प्रत्येक उम्मीदवार को पृथक नामांकन पत्र द्वारा नामित किया जाएगा ।

(iv) चुनाव अधिकारी, नामांकन पत्र प्राप्त होने पर नामांकन पत्रों में इसके क्रमांक की प्रविष्टि करेगा और जिस तारीख और समय पर उसे नामांकन पत्र दिया गया उसे अंकित करेगा ।

(v) यदि एक ही व्यक्ति द्वारा प्रस्तावक के रुप में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में हस्ताक्षरित नामांकन पत्र प्राप्त हों तो रिक्तियों की संख्या की सीमा तक वे नामांकन वैध माने जाएंगे जो समयानुसार पहले प्राप्त हुए होंगे ।

(vi) उप नियम (७) (ii) के खंड (ख) के अंतर्गत निर्धारित तारीख और समय के बाद प्राप्त हुए नामांकन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा ।

(९) नामांकन के लिए जमा

(i) चुनाव अधिकारी को नामांकन पत्र भर कर देते समय अथवा उससे पहले, प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव अधिकारी के पास १००/- रु० (एक सौ रुपए केवल) की राशि नकद जमा करेगा जिसके लिए चुनाव अधिकारी रसीद देगा । इस नियम में उल्लिखित राशि को जमा किए बिना किसी उम्मीदवार को विधिवत् नामांकित नहीं समझा जाएगा ।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार उप-नियम (१४) में विनिर्दिष्ट ढंग से और समय सीमा में अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेता है अथवा उपनियम (१३) के अंतर्गत उसका नामांकन निरस्त हो जाता है तो उप-नियम (९) (i) के अंतर्गत उसके द्वारा जमा राशि उसे वापस कर दी जाएगी । यदि वोट डाले जाने से पहले किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उपनियम (९) (i) के अंतर्गत उसके द्वारा प्रदत्त जमा राशि उसके कानूनी प्रतिनिधि को वापस कर दी जाएगी ।

(iii) यदि कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतता है और उसे प्राप्त कुल मतों की संख्या कुल डाले गए मतों की संख्या से विभाजित करने पर आई संख्या के एक चौथाई से अधिक न हो तो उप-नियम (९) (i) के अंतर्गत उसके द्वारा जमा राशि मंडी समिति द्वारा जब्त कर ली जाएगी ।

(iv) उप-नियम (९) (iii) के उद्देश्यों के लिए "कुल डाले गए मतों की संख्या" से अर्थ होगा कुल गिने गए बैलट पेपर्स ।

(v) उम्मीदवार द्वारा प्रदत्त जमा राशि को चुनाव के परिणाम के प्रकाशन के पश्चात्, यदि उप-नियम (९) (iii) के अंतर्गत जब्त नहीं किया जाता है तो, उसे यथाशीघ्र उम्मीदवार को वापस कर दिया जाता है ।

(१०) नामांकन का सत्यापन

नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर, चुनाव अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नामांकन पत्र में उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना और प्रस्तावक के नाम का सत्यापन करेगा ।

(११) नामांकन सूची का प्रकाशन

नामांकन सूची प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तारीख के बाद यथाशीघ्र एक नोटिस जारी करके उपनियम (७) (ii) के क्लाज (ग) के अंतर्गत निर्धारित तारीख और नोटिस में विनिर्दिष्ट स्थान और समयावधि में इन नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी । चुनाव अधिकारी सभी प्राप्त नामांकनों की सूची प्रपत्र 'बी' में अपने नोटिस बोर्ड और मंडी समिति के नोटिस बोर्ड पर चिपका कर प्रकाशित करेगा ।

(१२) नामांकनों की संवीक्षा

उम्मीदवारों के नामांकनों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तारीख को प्रत्येक उम्मीदवार का एक प्रस्तावक और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकनों की संवीक्षा के लिए निर्धारित की गई तारीख और स्थान पर उपस्थित रहेगा और चुनाव अधिकारी उन्हें सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच करने की अनुमति प्रदान करेगा ।

(१३) आपत्तियों का निपटारा और नामांकनों का निरस्तीकरण

(i) चुनाव अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेगा और ऐसी सभी आपत्तियों पर निर्णय लेगा जो कि किसी भी नामांकन के संबंध में उसे प्राप्त हुई हों और यो तो ऐसी आपत्तियों पर अथवा ऐसी सारांश जांच के पश्चात् अपनी राय के अनुसार, जैसी भी वह आवश्यकता समझे निम्नलिखित कारणों में से किसी पर भी कोई भी नामांकन निरस्त कर सकता है:

(क) कि प्रस्तावक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम संबंधित मतदाता सूची में नहीं है, अथवा

(ख) कि नामांकन पत्र निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं भरा गया है, अथवा

(ग) कि नामांकन भरने वाला उम्मीदवार उपनियम (५) (iii) के अंतर्गत उल्लिखित मानदण्डों को पूरा नहीं करता है ।

(ii) चुनाव अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर स्वीकृति अथवा निरस्तीकरण के संबंध में अपने निर्णय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नामांकन पत्र निरस्त किया जाता है तो ऐसे निरस्तीकरण के कारणों का लिखित में रिकार्ड रखा जाएगा । इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तारीख तक नामांकनों की संवीक्षा और उन पर चुनाव अधिकारी के निर्णय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और यह किसी भी दशा में स्थगित नहीं होगी ।

१४) उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेना

(i) कोई भी उम्मीदवार स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है । यह नोटिस नामांकनों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तारीख से तीन दिन पहले की अवधि के अंद चुनाव अधिकारी को या तो वह स्वयं दे सकता है अथवा उसका प्रस्तावक दे सकता है ।

(ii) नामांकनों की संवीक्षा पूर्ण होने पर और उपनियम (i) के अंतर्गत उस अवधि की समाप्ति के पश्चात जिसमें कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है, चुनाव अधिकारी उन व्यक्तियों की प्रपत्र 'सी' में एक सूची तैयार करेगा, जिनके नामांकन स्वीकृत किए गए हैं और जिन्होंने अपने नाम वापस नहीं लिए हैं और चुनाव की निर्धारित तारीख से कम से कम सात दिन पहले अपने कार्यालय और मंडी समिति के कार्यालय में ध्यानाकर्षी स्थानों पर इस सूची को चिपकाएगा ।

(१५) चुनाव की प्रक्रिया

(i) यदि विधिवत् रुप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या और उपनियम (१४) (i) के अंतर्गत नाम वापस न लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या, भरी जाने वाली रिक्तियों से अधिक हो तो वोट डाले जाएंगे और यह

चुनाव गोपनीय बैलेट के माध्यम से होगा ।

(ii) यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर है तो ऐसे सभी उम्मीदवारों को विधिवत् निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा ।

(iii) यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कम हो तो, ऐसे सभी उम्मीदवारों के विधिवत् निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा और शेष रिक्ति अथवा रिक्तियां मंडी समिति के सदस्यों के चुनावों से संबंधित प्रावधानों के अनुसार भरी जाएंगी ।

(१६) चुनाव चिह्न दिया जाना

प्रत्येक चुनाव के मामले में, चुनाव अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार को एक अलग चुनाव चिह्न प्रदान करेगा ।

(१७) बैलेट पेपर का फार्म

मतदान के लिए बैलेट पेपर प्रपत्र 'डी' में मुद्रित होगा और इसमें उम्मीदवारों के नाम उपनाम से शुरु होने वाले वर्णानुक्रम में होंगे, उनके नाम के साथ उप-नियम (१६) के अंतर्गत प्रत्येक उम्मीदवार को दिया गया चुनाव चिह्न अंकित होगा बशर्ते उपनियम (१५) (ii) और (iii) के

अंतर्गत विधिवत् निर्वाचित घोषित किए जाने वाले उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर में शामिल न किए जाएं ।

(१८) चुनाव इत्यादि कराने के लिए व्यवस्था

चुनाव अधिकारी मतदान स्टेशनों को निर्धारित करने की व्यवस्थाएं करेगा और रिटर्निंग, पीठासीन, तथा मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और चुनाव, बैलेट पेपर की संवीक्षा और चुनाव परिणामों की घोषणा संबंधी कार्यों के बेहतर संचालन और पर्यवेक्षण के लिए ऐसी अन्य सभी व्यवस्थाएं भी करेगा जो आवश्यक हैं । चुनाव अधिकारी चुनाव कराने के लिए उसके द्वारा की गई व्यवस्थाओं का प्रचार स्थानीय समाचार-पत्रों के माध्यम से करेगा और चुनाव अधिकारी और मंडी समिति के नोटिस बोर्डों पर इसका प्रदर्शन करेगा ।

(१९) मतदान

प्रत्येक मतदाता के पास उतने मत होंगे जितने कि निर्वाचक मंडल द्वारा सदस्य चुने जाने हैं लेकिन कोई भी मतदाता किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं देगा ।

(२०) चुनाव की प्रक्रिया जब मत बराबर हों

जब एक चुनाव में मतदान कराया जाता है और किन्हीं उम्मीदवारों के मत बराबर पाए जाते हैं तो चुनाव

अधिकारी के समक्ष लाटरी द्वारा उम्मीदवार का चयन किया जाता है ।

(२१) मतदान से पहले उम्मीदवार की मृत्यु

जब मतदान कराना आवश्यक होता है और मतदान कराने से पहले ही ऐसे उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है जो कि विधिवत् नामित था, तब चुनाव अधिकारी ऐसे उम्मीदवार की मृत्यु के तथ्य से संतुष्ट होने पर मतदान का प्रत्यादेश करेगा और सभी पहलुओं से चुनाव प्रक्रिया नए ढंग से शुरु की जाएगी मानो कि नया चुनाव हो ।

(२२) चुनाव अधिकारी को स्थानीय प्राधिकारी के प्रतिनिधि के नाम की सूचना

स्थानीय प्राधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में मुख्य मंडी यार्ड स्थित हो अथवा ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और उसके प्रकार्यों को निष्पादित करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अथवा प्रशासक, जैसा भी मामला हो, चुनाव अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तारीख से पहले अपने प्रतिनिधि के रुप में नामित व्यक्ति के नाम से चुनाव अधिकारी को लिखित में अवगत कराएगा ।

(२३) धारा १४ की उपधारा (८) के अंतर्गत मंडी समिति में आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना, धारा १४ के अंतर्गत मंडी समिति में कोई भी रिक्ति निम्न प्रकार की होगी:

(i) जहां पर निर्वाचित सदस्य की रिक्ति है, यह रिक्ति, पद रिक्त होने की तारीख से तीन माह के अन्दर सामान्य चुनाव की भांति भरी जाएगी;

(ii) जहां पर रिक्ति नामित सदस्य की है तो यह रिक्ति पद रिक्त होने की तारीख से एक माह के अन्दर नामांकन द्वारा भरी जाएगी ।

(२४) मंडी समिति के निर्वाचित और नामित सदस्यों के नाम का प्रकाशन

सदस्यों के चुनाव और नामांकन के पश्चात् निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा मंडी समिति के निर्वाचित और नामित सदस्यों के नाम यथाशीघ्र सरकारी गजट में प्रकाशित कराए जाएंगे ।

(२५) चुनाव की वैधता का निर्धारण

(i) चुनाव में निर्वाचित होने अथवा मतदान करने के पात्र किसी व्यक्ति द्वारा यदि मंडी समिति के किसी सदस्य के चुनाव की वैधता के संबंध में प्रश्न उठाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख से सात दिन के अंदर लिखित में निम्न के पास आवेदन करना चाहिए:

(क) यदि चुनाव अधिकारी के रुप में कार्य निष्पादित करने के लिए निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा

प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव संपादित कराया गया है तो, निदेशक/प्रबंध निदेशक को; और

(ख) यदि चुनाव अधिकारी के रुप में निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा चुनाव सम्पन्न कराया गया है तो, राज्य सरकार को ।

(ii) उप नियम २५ (i) के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, निदेशक/प्रबंध निदेशक अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आवदेक को अपनी बात कहने का अवसर देने के बाद और ऐसी जांच जिसे वह उचित समझता/समझती हो, के पश्चात् ऐसे आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से ६० दिन के अंदर चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करते हुए अथवा उसमें संशोधन करते हुए अथवा चुनाव रद्द करते हुए एक आदेश जारी करेगा और ऐसा आदेश अंतिम होगा । यदि निदेशक/प्रबंध निदेशक अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, चुनाव रद्द करते हैं तो चुनाव के

लिए तारीख निर्धारित करना होगी और ऐसे सदस्य की रिक्ति भरने के लिए नए चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ।

(२६) ऐसे चुनाव के संबंध में अथवा आकस्मिक खर्च

मंडी समिति के सदस्यों के चुनाव के संबंध में अथवा आकस्मिकताओं की वजह से चुनाव अधिकारी द्वारा व्यय की गई राशि का भुगतान मंडी समिति द्वारा राज्य सरकार को देय राशि के रुप में किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए खर्च की पूर्ति करने के लिए चुनाव अधिकारी मंडी समिति से चुनाव की अनुमानित खर्च राशि के बराबर अग्रिम जमा करने के लिए कहेगा । चुनाव प्रक्रिया पूरी होने पर, वह मंडी समिति के निदेशक/प्रबंध निदेशक के समक्ष विस्तृत लेखा प्रस्तुत करेगा ।

(२७) बैलेट पेपर्स को नष्ट करना

नियम ६ (२४) के अंतर्गत मंडी समिति के निर्वाचित और नामित सदस्यों के नाम के प्रकाशन की तारीख से तीन माह बीत जाने पर मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की उपस्थिति में सभी बैलेट पेपर्स नष्ट कर दिए जाएंगे ।

७. <u>अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव</u>

मंडी समिति गठित होने और उसमें गैर सरकारी सदस्यों के नामित होने के पश्चात् निदेशक/प्रबंध निदेशक/उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कृषिविद् सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के उद्देश्य हेतु उसके द्वारा निर्धारित तारीख, समयावधि और स्थान पर मंडी समिति की बैठक का आयोजन करेगा और यदि आवश्यक हो तो, इस सभा के संचालन के लिए वह अपने से अधीनस्थ अधिकारी को प्राधिकृत

कर सकता है ।

८. <u>अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए गणपूर्ति</u>

(१) मंडी समिति की बैठक के आयोजन के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की संख्या, कुल संख्या का एक तिहाई होगी लेकिन इसमें यह अपवाद है कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए अथवा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की संख्या मंडी समिति की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई से कम नहीं होगा ।

(२) यदि बैठक के लिए निर्धारित समय पर अथवा बैठक के दौरान किसी भी समय गणपूर्ति विद्यमान नहीं है तो बैठक संचालित करने वाला सदस्य या तो गणपूर्ति होने तक बैठक निलम्बित कर देगा अथवा किसी आगामी दिवस के लिए इसे स्थगित कर देगा ।

(३) मतदान मुख से बोलकर अथवा हाथ दिखाकर किया जाए । संचालक-सदस्य केवल तभी गोपनीय बैलेट का आश्रय लेगा जबकि यह किसी गैर सरकारी सदस्य का आग्रह हो । गोपनीय मतदान कराने के लिए पीठासीन-सदस्य कोई भी ऐसा तरीका अपना सकता है जिसे वह अच्छा, दोषरहित और परिस्थिति के अनुसार उचित समझता हो । किसी भी मामले में सबसे पहले सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी दी जाएगी ।

(४) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा बराबर मत प्राप्त करने की दशा में चुनाव पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में लाटरी द्वारा ड्रा निकाल कर किया जाएगा ।

९. <u>चुनाव याचिका</u>

(१) मंडी समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव के संबंध में मंडी के किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा विवाद किए जाने की दशा में, वह चुनाव को चुनौती देने के कारणों का उल्लेख करते हुए चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से ३० दिन के अंदर प्रबंध निदेशक/निदेशक के पास अपील कर सकता है ।

(२) प्रबंध निदेशक/निदेशक सभी संबंधित पार्टियों को सुनने का मौका देने के पश्चात् और ऐसी जांच जिसे कि वह उचित समझते हों के बाद वरीयतः तीन माह के अंदर अपने निर्णय की घोषणा करेगा और यह निर्णय अंतिम होगा ।

१०. <u>पद छोड़ने वाले अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा नए अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंपा जाना</u>

(१) नए अध्यक्ष अथवा अपाध्यक्ष की नियुक्त पर, पिछला अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जिसके स्थान पर नए अध्यक्ष अथवा की नियुक्ति की गई है, अपने कार्यालय का कार्यभार नए अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष जैसा भी मामला हो, को सौंपेगा ।

(२) यदि, जैसा कि उप-नियम (१) के अंतर्गत अपेक्षित है पिछला अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अपने कार्यालय का कार्यभार नहीं सौंपता है अथवा इन्कार करता है तब निदेशक/प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा इस उद्देश्य के लिए कोई भी प्राधिकृत अधिकारी अध्यक्ष अथवा

उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, को अपने कार्यालय का कार्यभार और अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रुप में उसके कब्जे में रहने वाला मंडी समिति का सभी रिकार्ड और सम्पत्ति, यदि कोई हो, को नए अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को सौंपने के लिए लिखित में निदेश दे सकता है ।

(३) उपर्युक्त उप-नियम (२) के अंतर्गत निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन न किए जाने की दशा में, निदेशक/प्रबंध निदेशक धारा १८(१) और (२) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करेगा ।

११. <u>अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा पद त्याग</u>

अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष मंडी समिति और निदेशक/प्रबंध निदेशक को लिखित में अपने पद से त्याग-पत्र देंगे । ऐसे मामले में जहां पर त्याग-पत्र देने वाला व्यक्ति सचिव को व्यक्तिगत रुप से त्याग-पत्र नोटिस देता है तो सचिव त्याग-पत्र के नोटिस के प्राप्त होने पर इसकी सत्यता के लिए संबंधित व्यक्ति से इसकी पुष्टि करेगा । व्यक्तिगत रुप से दिया गया त्याग-पत्र मंडी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा ।

१२. <u>मंडी समिति के संदस्य का त्याग-पत्र अथवा उसे हटाया जाना</u>

(१) अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के अलावा कोई भी सदस्य अध्यक्ष को एक नेटिस देकर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और यह त्याग-पत्र अध्यक्ष द्वारा इसकी प्राप्ति से प्रभावी होगा । अध्यक्ष द्वारा सदस्य के ऐसे स्वीकृत त्याग-पत्र से निदेशक/प्रबंध निदेशक को तत्काल अवगत कराया जाएगा और मंडी समिति की अगली बैठक में मंडी समिति को भी इससे अवगत कराया जाएगा ।

(२) निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा मंडी समिति के किसी भी ऐसे सदस्य को हटाया जा सकता है:

(i) यदि वह इस प्रकार से कार्य करता/करती है जो कि निदेशक/प्रबंध निदेशक की राय में मंडी

समिति की कार्यप्रणाली के लिए पक्षपात पूर्ण है, अथवा

(ii) यदि वह इस अधिनियम के अथवा अन्य अधिनियम के अथवा इसके अंतर्गत आने वाले नियमों अथवा उप-नियमों के तहत किसी न्यायिक कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया हो और जब तक ऐसी दोषसिद्धि की अंतिम तारीख से तीन वर्ष की अवधि बीत न गई हो, अथवा

(iii) यदि वह मानसिक रुप से अशक्त हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा की गई हो, अथवा

(iv) यदि वह मंडी समिति की ओर से भुगतान प्राप्त करने वाला/वाली कानूनी व्यवसायी हो अथवा मंडी समिति के विरुद्ध कानूनी व्यवसायी हो अथवा इस अधिनियम के तहत कोई अधिकारी अथवा सेवक हो ।

व्याख्या: इस उप-नियम के उद्देश्य के लिए, मंडी समिति का कोई भी सदस्य निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा मंडी समिति की कार्यप्रणाली के अंतर्गत पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करता हुआ माना जाएगा । साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ अध्यक्ष अथवा निदेशक/प्रबंध निदेशक के अधीन कार्यरत किसी अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होती है और निदेशक/प्रबंध निदेशक संतुष्ट है कि:

(i) उसने खुले रुप से अथवा गोपनीय रुप से अधिसूचित कृषि उपज की प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों में एकत्र न होने के लिए कुछ अथवा सभी व्यापारियों को इस दृष्टिकोण से प्रेरित किया हो कि मंडी मूल्यों में कमी आए ताकि विक्रेताओं को अपनी कृषि उपज कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़े; अथवा

(ii) जिसने कमाई की दृष्टि से मंडी चैनल का सहारा लिए बगैर और मंडी समिति को नोटिस और जानकारी दिए बिना, विक्रेताओं को अपनी अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री अपने परिसर में अथवा अन्य के परिसर में करने के लिए करने के लिए उकसाया हो अथवा अन्य को उकसाने के लिए प्रेरित किया हो; अथवा

(iii) वह स्वयं अथवा अन्य के साथ दुरभि सन्धि में इच्छापूर्वक अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों और उपनियमों के ऐसे प्रावधानों का पालन करने से इन्कार करता हो जिससे कि लाइसेंस/पंजीकरण शुल्क, मंडी शुल्क अथवा अन्य शुल्क विनियमित होते हों अथवा वह मंडी समिति को देय शेष राशि का भुगतान करने से इन्कार करता हो अथवा विक्रेता अथवा कमीशन एजेंट के साथ अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री प्रक्रिया को नकारता हो या मंडी समिति को

इसके वित्तीय संसाधनों से वंचित करने के दृष्टिकोण से अथवा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विक्रेताओं अथवा कमीशन एजेंटों को विक्रेताओं के साथ मोलभाव करने के लिए बाध्य करता हो;

(iv) वह स्वयं अथवा अन्य की सहायता से हड़ताल कराता हो अथवा तौलकर्ताओं, सहायकों, मोटर गाड़ी ड्राइवरों, बुग्गी चालकों अथवा अन्य मंडी कार्यकर्ताओं की अधिक परिलब्धि

प्राप्त करने के लिए अथवा मंडी समिति, विक्रेताओं, खरीदारों अथवा कमीशन एजेंटों से अन्य रियायतें प्राप्त करने के लिए उन्हें हड़ताल करने में सहायता करता हो ।

(३) (i) निदेशक/प्रबंध निदेशक, द्वारा उपनियम (२) के अंतर्गत कार्रवाई करने से पहले संबंधित मंडी सदस्य को एक इस आशय का नोटिस जारी किया जाएगा कि क्यों न उसे मंडी समिति की सदस्यता से हटा दिया जाए । नोटिस में उसे विनिर्दिष्ट समय के अंदर कारण बताने के लिए कहा जाएगा, यह समय नोटिस दिए जाने से १५ दिन से कम नहीं होगा । नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि बीत जाने से पहले सदस्य से प्राप्त, उसके उत्तर पर विचार किया जाए और इस मामले पर निर्णय देने से पहले संबंधित सदस्य को सुनवाई को मौका दिया जाए ।

(ii) निदेशक/प्रबंध निदेशक क्लाज (i) में संदर्भित नोटिस की एक प्रति संबंधित मंडी समिति को भी सूचनार्थ भेजेगा ।

अध्याय-४

विशेष मंडी/विशेष जिन्स मंडी

१३. <u>विशेष मंडी/विशेष जिन्स मंडी के लिए मंडी समिति का गठन</u>

(१) राज्य सरकार अथवा निदेशक/प्रबंध निदेशक धारा ४ और १९ के तहत किसी मंडी को विशेष मंडी/विशेष जिन्स मंडी घोषित कर सकते हैं, बशर्ते कि वह मंडी:

(i) एक ही जिन्स अथवा जिन्स के एकसमूह का लगभग पूरी तरह से प्रबंध करती हो;

(ii) अपनी आवक की अधिकांश मात्रा की आपूर्ति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों अथवा थोक विक्रेता अथवा निर्यात व्यापार अर्थात टर्मिनल मंडी को करती हो;

(iii) आवक अथवा जावक अथवा दोनों का बड़ा भाग राज्य के बाहर से संबंधित हो, और

(iv) आवक और जावक इस प्रकार की गुणवत्ता अथवा प्रकृति की हो कि इसे विशेष दर्जे की आवश्यकता हो ।

(२) विशेष मंडी/विशेष जिन्स मंडी भी एक मंडी समिति और कार्यकारिणी समिति होगी जैसा कि धारा २१ और २३ में व्यवस्था दी गई है । कार्यकारिणी समिति मंडी समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेगी और मंडी में प्रकार्यात्मकता और व्यापार से संबंधित निर्णय लेगी जैसा कि मंडी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा ।

<u>अध्याय-५</u>

<u>मंडी समिति का कार्य संचालन, शक्तियां और कर्त्तव्य</u>

१४. <u>मंडी समिति का नियंत्रण</u>

(१) (i) मंडी समिति के अंतर्गत स्थापित मुख्य मंडी और उप-यार्ड पर मंडी समिति का पूर्ण नियंत्रण रहेगा । मंडी समिति, इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी आदेशों और इन नियमों के अध्यधीन हमेशा अधिसूचित कृषि उपज में व्यापार और कृषकों के सर्वोत्तम हित को पर्याप्त रुप से ध्यान में रखते हुए इस संबंध में व्यवस्था करेगा ।

(ii) उपर्युक्त नियंत्रण को प्रभावी रुप से करने के लिए, मंडी समिति प्रत्येक मंडी में व्यवस्था कार्य को, सहायक सचिव को, (यदि नियुक्त हो तो) अथवा पर्यवेक्षक को, (यदि सहायक सचिव नियुक्त न हो तो) सौंपेगी । सहायक सचिव अथवा पर्यवेक्षक जैसा भी मामला हो, सचिव के सीधे पर्यवेक्षण में मंडी की व्यवस्था संभालेंगे ।

(२) व्यापार के लिए मंडी ऐसी समयावधि में खोली जाएगी जैसा कि मंडी समिति समय-समय पर निर्धारित करे ।

(३) अधिसूचित कृषि उपज के परिवहन में संलग्न गाडियों, वाहनों और पशुओं को ऐसे स्टेंडों अथवा स्थानों और ऐसे समय पर रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जैसा कि मंडी समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

(४) बिक्री के लिए आई अधिसूचित कृषि उपज का प्रदर्शन ऐसे स्थान पर और ऐसे ढंग से और ऐसे समय पर किया जाएगा जैसा कि मंडी समिति ने अनुमोदित किया हो ।

(५) मंडी क्षेत्र में प्रवेश और निर्गम के लिए ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे समय पर अनुमति प्रदान की जाएगी जैसा कि मंडी समिति उचित समझती हो ।

बशर्ते कि अधिनियम के तहत लाइसेंस धारक अथवा पंजीकृत किसी भी व्यक्ति को जब मंडी जनता के लिए खुली हो, किसी भी समय प्रवेश से रोका नहीं जाएगा ।

१५. <u>मंडी समिति की शक्तियां और कर्त्तव्य</u>

मंडी समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

(i) अधिनियम और नियमों तथा इनके अंतर्गत बने उपनियमों के प्रावधानों का मंडी क्षेत्र में कार्यान्वयन;

(ii) मंडी की स्थापना और विकास में समय-समय पर सरकार/निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए निदेशों का कार्यान्वयन;

(iii) मंडी यार्ड का रखरखाव और प्रबंधन;

(iv) मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(v) मंडी कार्यकर्ताओं के आचरण का पर्यवेक्षण;

(vi) मंडी क्षेत्र में लेन-देन शुरु होने, बन्द होने और स्थगित होने के संबंध में नियंत्रण स्थापित करना;

(vii) लाइसेंस/पंजीकरण की शर्तें लागू करना;

(viii) बिक्री के करारों की तैयारी, निष्पादन और प्रवर्तन अथवा रद्दीकरण, अधिसूचित कृषि उपज से संबंधित तुलाई, सुपुर्दगी, भुगतान और अन्य सभी मामलों पर नियंत्रण स्थापित करना;

(ix) अधिसूचित कृषि उपज के विपणन और इसके अन्य सभी आनुषंगिक मामलों के संबंध में किसी भी प्रकार के लेन-देन से क्रेता और विक्रेता तथा अन्य के मध्य उपजे सभी विवादों का समाधान करना;

(x) निम्न के संबंध में सूचना एकत्र करना, उसका रखरखाव करना और उसे प्रसारित करना;

(क) अधिसूचित कृषि उपज का बिक्री मूल्य और कार्य व्यापार,

(ख) अधिसूचित कृषि उपज का उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण, तथा

(ग) अन्य कोई संबंधित सूचना ।

(xi) अधिसूचित कृषि उपज में अपमिश्रण रोकने और इसके श्रेणीकरण और मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव उपाय करना;

(xii) लेवी लेना और अभिदान तथा अन्य प्रकार की शुल्क राशि प्राप्त करना जिनके लिए मंडी समिति हकदार है;

(xiii) अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों और उपनियमों के प्रावधानों के कारगर कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारी और कर्मचारियों को कार्य पर लगाना;

(xiv) मंडी समिति के इन नियमों और उपनियमों में दी गई कार्यप्रणाली के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज की नीलामी कराना;

(xv) अधिसूचित कृषि उपज की सही तौल सुनिश्चित करना;

(xvi) मंडी क्षेत्र में व्यक्तियों और वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण रखना;

(xvii) अधिनियम अथवा नियमों और उपनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन और इससे जुड़े अपराधों के लिए व्यक्तियों पर अभियोग चलाना;

(xviii) इसके कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण अथवा विघटन करना;

(xix) किसी भी मुकदमे, कार्रवाई, कार्यवाही, आवेदन अथवा माध्यस्थम की स्थापना करना अथवा प्रतिवाद करना और ऐसे मुकदमे, कार्रवाई, कार्यवाही आवेदन अथवा माध्यस्थम के मामले में समझौता करना;

(xx) कृषकों द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री करने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान किए जाने संबंधी प्रावधान के अनुसार सुविधाएं प्रदान करना और जब वह बिना कमीशन एजेंट के किसी व्यापारी को अपनी उपज की बिक्री कर रहा हो तो उसे इस उद्देश्य के लिए बीजक और बिलों को तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करना;

(xxi) मूल्यों में बड़ी गिरावट की स्थिति में अधिसूचित कृषि उपज की प्रत्यक्ष बिक्री को बढ़ावा देना ताकि कृषकों को आपात बिक्री से बचाया जा सके;

(xxii) मंडी संबंधी विस्तार गतिविधियों और अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्यों, आवक और कार्य व्यापार के संबंध में सूचना के संग्रहण, रखरखाव और प्रसारण जैसे क्षेत्रों में सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकारी-निजी-भागीदारी को प्रोत्साहित करना;

(xxiii) कृषि मंडियों के प्रबंधन में सरकारी-निजी-भागीदारी को बढ़ावा देना;

(xxiv) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद और बिक्री रोकने के संबंध में उपाय करना;

(xxv) विभिन्न कृषि उपज रुचि समूहों, स्वयं सहायता समूहों अथवा इसी तरह के समूहों को बनाने में कृषकों की सहायता करना और इन्हें मंडी संबंधी ज्ञान का प्रशिक्षण देना और इसके माध्यम से मंडी संबंधी विस्तार सेवाओं को सरल बनाना;

(xxvi) विनियामक तन्त्र, अवसंरचना के निर्माण, मंडी नोड्स पर कम्प्यूटरों के प्रचालन और मंडी समिति द्वारा अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन के माध्यम से ई-ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना; और

(xxvii) उपर्युक्त अधिनियम की धारा २६(१), (२), (३) और (४) के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां आयोजित करना ।

व्याख्या: इस नियम के उद्देश्य के लिए मंडी समिति के अंतर्गत स्थापित मंडी यार्ड से आशय है मुख्य मंडी यार्ड और उप मंडी यार्ड ।

१६. <u>अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य</u>

(१) मंडी समिति का अध्यक्ष मंडी समिति का मुख्य नियंत्रक और पर्यवेक्षक प्राधिकारी होगा । मंडी समिति के सभी अधिकारी और कर्मचारी अधिनियम, इसके नियमों और उपनियमों के प्रावधानों और मंडी समिति द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अध्यधीन, अध्यक्ष के नियंत्रण में रहेंगे ।

(२) अध्यक्ष:

(i) मंडी समिति और इसकी प्रत्येक उपसमिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी बैठकों में निर्णय लेगा;

(ii) मंडी समिति के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर नियंत्रण रखेगा;

(iii) मंडी समिति के किसी भी मामले से संबंधित कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों (चाहे ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी सरकारी सेवक हों अथना नहीं) पर उसका सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रहेगा; और

(iv) आपातकाल में, वह किसी ऐसे कार्य अथवा अन्य अधिनियम के निष्पादन अथवा उसे रोकने के लिए निदेश दे सकता है, जिन्हें कि सामान्यत: मंडी समिति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो ।

(३) उपाध्यक्ष:

(i) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, मंडी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(ii) समय-समय पर उसे प्रत्यायोजित किए जाने पर अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि अध्यक्ष उस समय करता; और

(iii) अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अथवा अन्य कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके कर्त्तव्य निष्पादित करेगा ।

(४) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में मंडी समिति की ऐसी बैठक की अध्यक्षता, बैठक द्वारा निर्वाचित सदस्य करेगा ।

१७. <u>मंडी समिति की बैठकें</u>

(१) अधिनियम की धारा १५ और १६ के प्रावधानों के अनुसरण में आयोजित होने वाली बैठकों को छोड़कर प्रायः मंडी समिति की बैठक का आयोजन उसके समक्ष कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा लेकिन एक माह में कम से कम एक बैठक अवश्य की जाएगी ।

(२) मंडी समिति के अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई बैठक की तारीख से पर्याप्त समय पहले मंडी समिति के प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा ऐसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की सूची अथवा एजेंडे सहित बैठक की सूचना दी जाएगी ।

(३) मंडी समिति की बैठक सामान्यतः इसके कार्यालय परिसर में ही होगी ।

(४) जैसा कि नियमों में दिया गया है एक बैठक के संचालन के लिए गणपूर्ति हेतु, ५ गैर सरकारी सदस्यों का होना जरुरी है ।

परन्तु वार्षिक बजट अनुमान पर विचार करने और स्वीकृत करने के लिए विशेष वैठक के आयोजन हेतु सात गैर सरकारी सदस्यों से कम नहीं होने चाहिए ।

बशर्ते, किसी उपसमिति की बैठक में गणपूर्ति इसकी सदस्य संख्या के एक-तिहाई के बराबर होगी ।

(५) यदि बैठक के लिए निर्धारित किसी समय पर, अथवा बैठक के दौरान किसी समय, गणपूर्ति न हो तो अध्यक्ष उस दिन गणपूर्ति के होने तक बैठक को निलम्बित कर सकता है अथवा आगामी किसी दिवस के लिए स्थगित कर सकता है ।

(६) जब समिति की बैठक दो उत्तरवर्ती तारीखों पर उपनियम (५) के अनुसरण में स्थगित कर गई हो तब इस बैठक के तीसरी बार आयोजन के लिए कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी ।

(७) जिन मामलों का उल्लेख इन नियमों में न किया गया हो, ऐसे सभी मामले मंडी समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्धारित किए जाएंगे । किसी मामले पर मतों की समानता होने पर अध्यक्ष दोबारा मतदान कराएगा अथवा अपना मत देगा ।

(८) (i)प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड कार्यवृत्त पुस्तिका में रखा जाएगा, जो कि अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रमाणिक होगी, बैठक के बाद जितना शीघ्र हो सके प्रत्येक सदस्य को इसकी एक प्रति दे दी जाएगी । कार्यवृत्त पुस्तिका सचिव स्थायी रुप से रखेगा और यह उसकी व्यक्तिगत निगरानी में रहेगी और अपेक्षित

समयावधि में यह अध्यक्ष/सदस्यों और निदेशक/प्रबंध निदेशक और इस उद्देश्य के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए उपलब्ध रहेगी । इसे आम दस्तावेज की भांति नहीं समझा जाएगा और इसमें शामिल किसी भी बैठक की कार्यवाही के रिकार्ड की प्रतियां अध्यक्ष द्वारा इसके बाई-लाज में इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराके तब उपलब्ध कराई जाएगी जब न्यायालय का ऐसा आदेश हो अथवा इस उद्देश्य के लिए अध्यक्ष को आवदेन-पत्र दिया गया हो ।

(ii) बैठक की कार्यसूची और संकल्पों की प्रति मंडी समिति के सदस्यों के पास भेजी जाएगी । इस आशय के लिए मांग करने पर ऐसी बैठक में उपस्थित रहने वाले अन्य विभाग के अधिकारियों को बैठक में अनुमोदित संकल्पों की प्रति भेजी जाएगी ।

(iii) यदि कोई सदस्य इस आधार पर कार्यवृत्त में परिवर्तन के लिए लिखित में नोटिस देता है कि दस्तावेज लिए गए निर्णय के अनुरुप नहीं है तब निर्णय के लिए यह मामला मंडी समिति की अगली बैठक में रखा जाएगा और इस पर बैठक में लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

१८. <u>मंडी समिति की बैठकों में भाग लेने के हकदार व्यक्ति</u>

(१) निदेशक/प्रबंध निदेशक मंडी समिति की बैठकों में भाग लेने, बोलने और इसकी कार्यवाही में हिस्सा लेने के हकदार होंगे लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा ।

(२) मंडी विभाग के अधिकारी जो कि सहायक निदेशक, विपणन के रैंक से कम के न हों, जिला अधिकारी अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारी जो कि तहसीलदार के रैंक से कम के न हों, जिन्हें कि जिलाधिकारी द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो, उन्हें उनके क्षेत्राधिकार में आने

वाले मंडी क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली मंडी समिति की बैठक में भाग लेने का और मंडी समिति को किसी भी मामले में संबोधित करने का हक है लेकिन वे वोट देने के लिए हकदार नहीं होंगे । मंडी समिति का अध्यक्ष किसी अधिसूचित कृषि उपज से जुड़े किसी अन्य विभाग के अधिकारी से मंडी समिति की बैठक में भाग लेने और उसे संबोधित करने का अनुरोध कर सकता है ।

१९. <u>सदस्य जो कि कतिपय कार्यवाहियों में भाग लेने के हकदार नहीं हैं</u>

कोई भी ऐसा सदस्य जो कि मंडी समिति अथवा किसी उप समिति द्वारा आयोजित होने वाली किसी बैठक में लिए जाने वाले निर्णय से संबंधित मामले को, व्यक्तिगत, आर्थिक अथवा प्रत्यक्ष हित के लिए प्रभावित करने में रुचि रखता हो, उक्त मंडी समिति अथवा उपसमिति की बैठक में उपस्थित रहने, भाग लेने अथवा वोट देने का हकदार नहीं होगा ।

व्याख्या:ऐसे सदस्य को किसी मामले में रुचि रखने वाला माना जाएगा जिसमें वह स्वयं अथवा उसके निम्नांकित रिश्तेदारों में से कोई उस मामले में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से कोई व्यक्तिगत अथवा आर्थिक रुचि रखता हो : (क) पति/पत्नी अथवा उसके बच्चे (ख) पिता अथवा माता (ग) भाई, बहन, उनकी पत्नियां/उनके पति अथवा उनके बच्चे ।

२०. <u>मंडी समिति की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं होंगी</u>

सामान्यत: मंडी समिति की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं होंगी । तथापि जनता के ऐसे व्यक्ति जो कि बैठक में उपस्थित रहने के इच्छुक हों, उन्हें ऐसा करने वाले सदस्य से पूर्वानुमति प्राप्त अध्यक्षता करने वाले सदस्य से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी लेकिन वह बैठक की कार्यवाही में भाग नहीं लेगें ।

२१. <u>विशेष बैठक बुलाने का प्राधिकार</u>

मंडी समिति के कम से कम आधे सदस्यों की मांग पर अथवा अपनी इच्छा से मंडी समिति का अध्यक्ष, यदि वह अपवादिक परिस्थितियों से सन्तुष्ट हो तो, तत्काल महत्व के मामलों पर विचार करने के लिए मंडी समिति की विशेष बैठक बुला सकता है ।

२२. <u>सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कर्त्तव्य और शक्तियां</u>

(१) मंडी समिति का एक पूर्ण कालिक सचिव होगा जो कि मंडी समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रुप में कार्य करेगा ।

(२) निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा बनाए गए पैनल से मंडी समिति द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा । निदेशक/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रुप में नियुक्त किए जाने के लिए खुले बाजार से व्यवसायियों को शामिल करते हुए एक पैनल बनाएंगे । निदेशक/प्रबंध निदेशक के पास

मुख्य कार्यपालक अधिकारी को राज्य सरकार/बोर्ड की सेवाओं से भी नियुक्त करने की शक्ति होगी और ऐसी नियुक्ति मंडी समिति को माननी होगी ।

(३) मंडी समिति के सभी कर्मचारी उसके नियंत्रण में रहेंगे और उन्हें जारी होने वाले सभी आदेश उसके द्वारा अनुमोदित होंगे । मुख्य मंडी यार्ड और उप मंडी यार्डों में मंडी समिति की आवश्यकता के अनुसार (सहायक सचिवों के मामले को छोड़कर सभी कर्मचारियों की) तैनाती से संबंधित आदेशों और उनके आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए वह सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(४) सचिव, ऐसी बैठक को छोड़कर जिसमें उससे अथवा उसके किसी रिश्तेदार से संबंधित किसी मुद्दे पर विचार किया जाना हो, मंडी समिति अथवा उपसमिति अथवा संयुक्त समिति अथवा तदर्थ समिति की सभी बैठकों में उपस्थित रहेगा ।

व्याख्या: इस उप नियम के उद्देश्य के लिए "रिश्तेदार" शब्द से निम्न अर्थ होगा:

(क) सचिव का पिता, माता, पत्नी/पति, पुत्र, पुत्री, भाई और बहन;

(ख) सचिव के पिता का भाई और बहन; और

(ग) सचिव की पत्नी अथवा पति का पिता, माता, पुत्र, पुत्री, भाई और बहन ।

(५) सचिव, अधिनियम, अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों और उपनियमों के प्रावधानों और सरकार अथवा निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा समय पर जारी निदेशों और मंडी समिति के पूर्व के निर्णयों के अनुसार मंडी समिति और इसके अध्यक्ष को परामर्श देगा । मंडी समिति की बैठकों की कार्यवाही

में उसकी राय दर्ज की जाएगी । सचिव, निदेशक/प्रबंध निदेशक के पास तत्काल, किसी भी दशा में अधिक से अधिक तीन दिन के अंदर मंडी समिति की बैठक की कार्यवाही की एक प्रति भेजने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(६) सचिव का कर्त्तव्य होगा कि वह अधिनियम, उसके अंतर्गत बने नियमों और उप-नियमों के प्रावधानों और सरकार अथवा निदेशक/प्रबंध निदेशक के निर्देशों का अनुपालन कराने तथा मंडी में अधिकतम सुधार लाने के लिए मंडी समिति और इसके अध्यक्ष के निर्णयों को अधिनियम, नियमों और उप-नियमों के अनुरुप बनाए ।

(७) सचिव, सरकार अथवा निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा मंडी समिति को सम्बोधित पत्रों के संबंध में तीव्रतापूर्वक एवं दक्षतापूर्वक कार्रवाई करेगा ।

(८) उप-नियम (५) के प्रावधानों पर निर्भर करते हुए, सचिव, मंडी समिति के कार्यालय की दैनिक कार्यप्रणाली, लेखाओं के रखरखाव, विवरणियां समय पर भेजना, अधिनियम को लागू करने की प्रगति की मासिक समीक्षा और रोकड़ की सुरक्षा व्यवस्था, कामन सील, कार्यवृत्त की पुस्तिका और मंडी की सम्पत्ति और अन्य रिकार्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा ।

(९) सचिव, मंडी समिति के कार्यों के प्रबंधन में संलग्न कर्मचारियों के कार्य का वार्षिक मूल्यांकन करेगा और मंडी समिति के अध्यक्ष के समक्ष इसे प्रस्तुत करेगा जो कि ऐसे कर्मचारियों के कार्य का अंतिम मूल्यांकन करते समय इस मूल्यांकन पर विचार करेगा ।

(१०) सचिव, मंडी क्षेत्र में बिक्री के लिए आई, जैसा कि निर्धारित हो, कृषि जिन्सों की मानक के अनुसार आवक और मूल्यों को समय-समय पर प्रकाशित और परिचालित किया जाना सुनिश्चित करेगा ।

(११) अधिनियम की धारा ३६(१) के अंतर्गत दी गई अन्य कोई गतिविधि .

२३. <u>उप-समिति का गठन</u>

(१) मंडी समिति अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सभी अथवा कोई उप-समिति गठित कर सकती है,

(i) कार्यकारी उप-समिति

(ii) स्टाफ उप-समिति

(iii) वित्त एवं कार्य उप-समिति

(iv) विवाद उप-समिति

(२) उपर्युक्त प्रत्येक उप-समिति में मंडी समिति के अध्यक्ष के अलावा निम्न तरीके से मंडी समिति द्वारा नियुक्त अन्य चार सदस्य होंगे:

(i) विवाद उप-समिति को छोड़कर प्रत्येक उप-समिति के मामले में सभी सदस्य मंडी समिति के सदस्यों के मध्य से ही नियुक्त किए जाएंगे;

(ii) विवाद उप-समिति के मामले में मंडी समिति के तीन सदस्य कृषकों का प्रतिनिधित्व करने वाली मंडी समिति के सदस्य होंगे और एक सदस्य धारा ४४ के तहत लाइसेंस धारकों/पंजीकृत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा ।

(३) (i)उप-नियम (१) के अंतर्गत गठित प्रत्येक उप-समिति का एक अध्यक्ष होगा, मंडी समिति का अध्यक्ष ऐसी उप-समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(ii)(क) विवाद उप-समिति को छोड़कर, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष प्रत्येक उप-समिति के अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(ख) विवाद उप-समिति के मामले में, किसी बैठक में इसके अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, लाटरी द्वारा चयनित सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(४) सचिव सभी उप-समितियों के सचिव के रुप में भी कार्य करेगा ।

२४. <u>उन विवादों की प्रकृति जिन पर विवाद उप-समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है और इस हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया</u>

(१) धारा ३८ (३) और ५०(i) और (ii) और नियम-४१ और ४२ और नियम ८२(१०) के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार विवाद उप-समिति कृषि उपज की गुणवत्ता अथवा तौल, जैसा भी मामला हो अथवा उसके लिए प्रदत्त मूल्य अथवा दर, रैपिंग कार्य (Wrapping) के लिए भत्ते, धूल

अथवा अशुद्धियों अथवा किसी अन्य कारण से कटौती, क्रेता अथवा कमीशन एजेंट से विक्रेता अथवा कमीशन एजेंट को बिक्री से होने वाले भुगतान अथवा ऐसे भुगतान के संबंध में निर्धारित समय के संबंध में निम्नलिखित के मध्य उपजे विवाद के समाधान की व्यवस्था करेगी:

(i) खरीदार और विक्रेता,

(ii) खरीदार और कमीशन एजेंट,

(iii) कमीशन एजेंट और विक्रता, और

(iv) उनमें से किसी के भी एजेंट ।

(२) विवाद उप-समिति एक पैनल नियुक्त करेगी जिसमें कम से कम ५ और अधिक से अधिक १५ ऐसे

व्यक्ति होंगे जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध होंगे और ये मंडी क्षेत्र में रहने वाले कृषकों तथा ऐसे क्षेत्र में व्यापार करने वाले व्यापारियों के मध्य से होंगे और विवाद उप-समिति से संबंधित विवादों में मध्यस्थों के रुप में कार्य करेंगे लेकिन ये मंडी समिति के सदस्यों में से नहीं होंगे ।

(३) जहां पर उप-नियम (१) में संदर्भित प्रकृति का विवाद उठता हो, तो इसकी सूचना सचिव को विवाद से संबंधित कोई भी पार्टी निर्धारित शुल्क साथ जैसा कि ऐसे प्रत्येक विवपाद के लिए मंडी समिति द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किया गया हो, लेकिन यह १००/- रु० (एक सौ रुपए केवल) से अधिक न होगा, के साथ लिखित में आवेदन प्रस्तुत करके देगी तथा विवाद का समाधान निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा :-

(i) सचिव स्वयं दोनों पक्षों को सुनकर विवाद को हल करने की कोशिश करेगा । ऐसे मामले में जब उसके द्वारा सुझाए गए समाधान को मानने के लिए पार्टियां सहमत न हों तब वह प्रत्येक पार्टी से उपनियम (२) के अंतर्गत नियुक्त मध्यस्थों के पैनल से एक मध्यस्थ का चयन करने के लिए कहेगा ।

(ii) चयनित मध्यस्थ दोनों पक्षों को सुनने के बाद उस पर अपना निर्णय देंगे । यदि मध्यस्थों के निर्णय में मतैक्य नहीं होता है तो वे, उनके द्वारा उक्त मध्यस्थों के पैनल से चुने गए

नाम वाले एम्पायर के समक्ष इस मामले को रखेंगे जो कि, दोनों मध्यस्थों के दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए इस मामले पर अपना निर्णय देगा ।

(iii) यदि विवाद से संबंधित कोई भी पार्टी मध्यस्थों अथवा एम्पायर के निर्णय से सहमत नहीं होती है तो वह ऐसे निर्णय के विरुद्ध विवाद उप-समिति के समक्ष अपील कर सकती है, इस समिति का निर्णय अंतिम होगा और विवाद से संबंधित दोनों पक्षों को इसका निर्णय मानना होगा यदि कोई पार्टी विवाद उप-समिति के निर्णय को नहीं मानती है तो उस पार्टी का लाइसेंस/पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है ।

(iv) जहां तक संभव हो, विवाद को उसी दिन और स्थल पर निर्धारित कर दिया जाए ।

(v) मंडी समिति फार्म 'ई' के अनुसार उक्त दर्ज किए गए और निर्धारित विवादों के पूरे रिकार्ड का रख-रखाव करेगी ।

२५. <u>मंडी आसूचना के लिए अभिदान</u>

मंडी समिति, निदेशक/प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से, मंडी समिति द्वारा प्रकाशित मंडी रिपोर्ट की प्रतियों के लिए प्रत्येक अभिदाता से डाक शुल्क छोड़कर अभिदान ले सकती है जो कि ५०/- रु० (पचास रुपए केवल) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा । ऐसा अभिधान मंडी समिति को अग्रिम रुप में दिया जाएगा ।

२६. <u>अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन और विपणन के लिए प्रचार</u>

जब कभी इसकी निधि में पर्याप्त धन हो तब मंडी समिति, निदेशक/प्रबंध निदेशक की पूर्वानुमति से अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन और विपणन में सुधार के लिए प्रचार (प्रदर्शनों/प्रदर्शनियों सहित) हेतु स्टाफ को इस कार्य में लगाएगी ।

२७. <u>श्रेणीकरण सेवाओं को बढ़ावा देना</u>

मंडी समिति, समय-समय पर यथासंशोधित कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, १९३७ (१९३७ का केन्द्रीय अधिनियम-१) अथवा राज्य कृषि उपज गुणवत्ता मानक ब्यूरो अथवा

वाणिज्यिक श्रेणीकरण के मानकों के अनुसार मंडी समिति द्वारा निर्धारित अन्य श्रेणियों के के अंतर्गत निर्धारित श्रेणी अभिधानों के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज का श्रेणीकरण करेगी । मंडी समिति निदेशक/प्रबंध निदेशक की पूर्व स्वीकृति से ऐसे श्रेणीकरण के लिए अपेक्षित स्टाफ को नियुक्त करेगी ।

२८. अधिसूचित कृषि उपज में अपमिश्रण का निवारण

मंडी समिति का कर्त्तव्य होगा कि वह अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के अपमिश्रण को रोकने और अधिसूचित क्षेत्र में किसी अधिसूचित कृषि उपज में किसी भी व्यक्ति द्वारा अपमिश्रण न किए जाने अथवा इसे बेचने अथवा अधिसूचित मंडी क्षेत्र में अपमिश्रित कृषि उपज को बेचे जाने से रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाए ।

व्याख्या: इस नियम के उद्देश्य के लिए किसी भी अधिसूचित कृषि उपज में कृषि उपज की भिन्न गुणवत्ता की प्रजातियों की मिलावट, कृषि उपज के चालनी पर बचे अंत:शेषों की मिलावट और मिट्टी, धूल, पत्थर

अथवा अन्य किसी बाह्य पदार्थ की मिलावट अधिसूचित कृषि उपज के अपमिश्रण में शामिल है ।

२९. मंडी समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता

(१) मंडी समिति, अपने बाई-लॉज में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को बैठक (सिटिंग) शुल्क, यात्रा भत्ता और अन्य भत्तों का भुगतान करेगी ।

(२) मंडी समिति, अपने अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को राज्य में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के स्थानों की यात्रा हेतु खर्च की अनुमति, निदेशक/प्रबंध निदेशक अथवा उनकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं देगी और राज्य से बाहर के स्थानों हेतु यह अनुमति सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं दी जाएगी ।

(३) मंडी समिति, सरकार की स्वीकृति के बिना इसके द्वारा राज्य से बाह्य स्थानों पर किसी प्रतिनियुक्ति पर होने वाला कोई खर्च वहन नहीं करेगी और ऐसी प्रतिनियुक्ति के लिए सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शामिल करते हुए तीन से अधिक नहीं होगी ।

(४) मंडी समिति, निदेशक/प्रबंध निदेशक की पूर्व स्वीकृति से और उपलब्ध निधि पर निर्भर करते हुए अपने अध्यक्ष को मानदेय का भुगतान कर सकती है जो कि मंडी समिति की वार्षिक आय २ लाख रुपए और इससे अधिक होने पर २०० रुपए (दो सौ रुपए केवल) प्रतिमाह से और आय २ लाख से कम परन्तु एक लाख से अधिक होने पर १५०/- रु० (एक सौ पचास रुपए केवल) प्रतिमाह से तथा एक लाख रुपए से कम होने पर १००/- रु० (एक सौ रुपए केवल) प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।

३०. मंडी समिति का प्रशासन और निरीक्षण

(१) निदेशक/प्रबंध निदेशक, राज्य में मंडी समिति के प्रशासन और उसकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखेगा और समन्वय कार्य करेगा ।

(२) (i)वह मंडी समितियों, मंडियों, लाइसेंस धारकों/पंजीकृत व्यावसायियों के परिसरों इत्यादि का निरीक्षण करेगा और वह अपने अधिकारियों को आवधिक रुप से निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है तथा वह अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बने नियमों और उप-नियमों के प्रावधानों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर ऐसे अनुदेश जारी करेगा ।

(ii) निदेशक/प्रबंध निदेशक स्वयं मंडी समिति के लेखा का निरीक्षण कर सकता है अथवा मंडी समिति से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है अथवा किसी अधिकारी को ऐसा निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है ।

(३) मंडी समिति के मामलों की जांच के समय, मंडी समिति के सभी सदस्य, अधिकारी और परिचर निदेशक/प्रबंध निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना अथवा रिकार्ड उन्हें उपलब्ध कराएंगे ।

३१. मंडी समिति द्वारा सरकार को प्रस्ताव और हवाले प्रस्तुत किया जाना

मंडी समिति के सभी प्रस्ताव और हवाले सरकार की स्वीकृति के लिए अथवा सूचनार्थ निदेशक/प्रबंध निदेशक के पास भेजे जाएंगे जो कि ऐसे हवालों अथवा प्रस्तावों को अपनी टिप्पणी सहित सरकार को अग्रेषित करेगा ।

३२. मंडी समिति के आदेशों को न मानने पर शास्ति

मंडी समिति के किसी अधिकारी द्वारा मना करने पर किसी व्यक्ति के प्रवेश करने अथवा प्रवेश की कोशिश करने अथवा अधिसूचित कृषि उपज को गाडियों और अन्य वाहनों में लादने और पशुओं को खड़ा करने अथवा सड़कों के संबंध में और कार्य करने के समय के संबंध में मंडी समिति के किसी अधिकारी के अनुदेशों का पालन न करने पर किसी व्यक्ति पर प्रथम अपराध के मामले में १०/- रु० (दस रुपए केवल) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और इस प्रकार के अपराध की प्रत्येक पुनरावृत्ति पर यह जुर्माना ५०/- रु० (पचास रुपए केवल) तक लगाया जा सकता है ।

३३. <u>मंडी समिति के वाई-लॉज</u>

मंडी समिति अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने और अधिसूचित क्षेत्र में व्यापार की शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए इन नियमों और निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा निर्मित मॉडल बाई-लॉज के अनुसार धारा ११०(१) के अंतर्गत बाई-लॉज बनाएगी । अन्य बातों के साथ-साथ बाई-लॉज में निम्न मुद्दे शामिल होंगे:-

(१) पास जारी करने संबंधी प्रक्रिया;

(२) शिकायतों के निस्तारण और सुनवाई की विधि;

(३) लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन शुल्क लेवी:

(४) मंडी प्रभारों की लेवी

(५) कमीशन एजेंटों और अन्य व्यापारियों, विक्रेताओं, दलालों, तौलकर्ताओं और मंडी के लाइसेंसधारक/पंजीकृत व्यक्तियों के कर्त्तव्यों का विनियमन;

(६) कमीशन एजेंट द्वारा मंडी समिति के कार्यालय को सेल रिकार्ड और स्टोरेज सलेक्ट अथवा वाउचर की प्रतियों को जमा करने के लिए अनुमेय समय सीमा तथा नियत तारीख से बाद में जमा करने पर लगने वाला विलम्ब शुल्क;

(७) टेयर भार और रिफ्रेक्शन की प्रतिशतता निर्धारित करना;

(८) विक्रेता से बिक्री प्रक्रिया में की गई अधिक कटौती की वापसी और विक्रेता को किए गए अधिक भुगतान की वसूली;

(९) बैठकों की कार्यवाहियों के रिकार्ड की प्रतियों की आपूर्ति करने के लिए शुल्क;

(१०) अधिसूचित कृषि उपज की नीलामी करने के लिए प्रक्रिया;

(११) निदेशक/प्रबंध निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मंडी समिति की बैठक बुलाने की जरुरत, समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति और ऐसी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करना;

(१२) उप-समितियों की नियुक्ति, उप-समितियों को प्रत्यायोजित की जाने वाली शक्तियां एवं कर्त्तव्य तथा उनकी बैठकें, गणपूर्ति एवं प्रक्रिया;

(१३) स्टाफ की भर्ती और उन्हें दिए जाने वाले वेतन सहित उनकी सेवाओं की शर्तें;

(१४) धारा-४२ के अंतर्गत एकत्र किए जाने वाले प्रवेश शुल्क की दर और उसकी वापसी;

(१५) लाइसेंस देने/पंजीकरण करने और इसके नवीकरण के लिए आवदेन पत्र का आरुप, लाइसेंस/ पंजीकरण शुल्क की वापसी का तरीका, लाइसेंस देने/पंजीकरण करने से पहले साल्वेंसी बैंकों अथवा अन्य व्यक्ति की गारन्टी के लिए एग्रीमेंट करना और खोए गए, नष्ट हुए अथवा खराब हुए लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करना;

(१६) खुदरा बिक्री और व्यक्तिगत खपत के उद्देश्य के लिए घोषित कृषि उपज की मात्रा निर्धारित करना;

(१७) इन नियमों के अंतर्गत जारी की जाने वाली तौल पर्ची, लेखा पर्ची और बिल का आरुप:

(१८) मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्यों, अधिकारियों एवं सेवकों तथा मंडी क्षेत्र में कार्यरत मंडी कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व;

(१९) मंडी क्षेत्र की किसी भी मंडी में अनधिकृत व्यक्तियों को कारोबार करने से रोकना;

(२०) इन नियमों के अंतर्गत बैज जारी करना;

(२१) अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रभारों की दर:

(२२) व्यापार की अवधि और छुट्टियां;

(२३) धारा ५८ की उप-धारा (२) के अंतर्गत माध्यस्थम के खर्च का भुगतान और विवाद के समाधान के लिए आवेदन-पत्र के साथ लिया जाने वाला शुल्क;

(२४) मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों को दिए जाने वाले बैठक शुल्क, यात्रा भत्ता और अन्य भत्तों की दर;

(२५) लाइसेंस धारकों/पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा रिकार्ड, रजिस्टरों और लेखा पुस्तिका का रख-रखाव और मंडी समिति के समक्ष उनके द्वारा विवरणियां प्रस्तुत किया जाना;

(२६) अधिसूचित कृषि उपज के श्रेणीकरण के लिए प्रभार:

(२७) इन नियमों के अंतर्गत लाइसेंस धारकों/पंजीकृत मंडी कर्मियों को आपूर्ति किए जाने वाले फार्मों का मूल्य;

(२८) अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों एवं उप-नियमों और जारी अधिसूचनाओं की प्रतियों का निरीक्षण;

(२९) रिकार्ड का संरक्षण और इसे नष्ट करना;
(३०) बिलों को संरक्षित रखने की अवधि और तरीका;
(३१) वे-ब्रिज पर तौल के लिए प्रभार;
(३२) अधिसूचित कृषि उपज का विनियमन अथवा पर्यवेक्षण अथवा बोली लगाना अथवा बिक्री;
(३३) मंडी समिति के अधिकारियों और सेवकों के माध्यम से मंडी की सुरक्षा का प्रबंध;
(३४) अधिनियम इसके नियमों और उप-नियमों के प्रावधानों के आशय से दिए जाने वाले नोटिस का
तरीका;
(३५) उन मामलों को शामिल करते हुए जिनके लिए इन नियमों के अंतर्गत उप-नियम बनाने की जरुरत हो अथवा अधिनियम और इसके नियमों के प्रावधानों के आशय से मंडी क्षेत्र में व्यापार और विपणन की शर्तें; और
(३६) धारा ११० (१) के अंतर्गत आने वाले अन्य कोई प्रावधान ।

३४. <u>मंडी समिति के बाई-लॉज में संशोधन</u>

(१) इस नियम के प्रावधानों पर निर्भर करते हुए, इस उद्देश्य के लिए आयोजित मंडी समिति की बैठक में संकल्प पास करके मंडी समिति के बाई-लॉज को संशोधित, परिवर्तित अथवा रद्द किया जा सकता है ।

(२) बाई-लॉज के किसी भी संशोधन, परिवर्तन अथवा रद्दीकरण पर विचार करने के लिए मंडी समिति अपने बाई-लॉज के अनुसरण में निदेशक/प्रबंध निदेशक को सूचित करते हुए सभी सदस्यों को एक नोटिस देगी ।

(३) यदि इस नियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के तहत इस आशय का संकल्प उपस्थित सदस्यों के बहुमत अथवा बोटिंग से पास हो जाता है और निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तभी बाई-लॉज का कोई संशोधन, परिवर्तन अथवा रद्दीकरण यथा रुप में स्वीकृत समझा जाएगा ।

(४) जब कभी निदेशक/प्रबंध निदेशक धारा ९६ की उपधारा (१) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाई-लॉज बनाने अथवा मौजूदा बाई-लॉज में संशोधन करने का निदेश देते हुए आदेश देता है, तब मंडी समिति ३० दिन के अंदर राज्य सरकार के पास दर्ज की गई अपील, यदि कोई

हो, के उत्तर के अध्यधीन मंडी समिति के बाई-लॉज में बनाए गए नए बाई-लॉज अथवा मौजूदा बाई-लॉज में संशोधन के पाठ को सम्मिलित करेगी । मंडी समिति द्वारा निर्धारित समय के अंदर ऐसे संशोधन को सम्मिलित न किए जाने के मामले में, निदेशक/प्रबंध निदेशक के संशोधन संबंधी आदेशों को बाई-लॉज में सम्मिलित हुआ माना जाएगा । सचिव, तत्काल निदेशक/प्रबंध निदेशक के समक्ष संशोधित बाई-लॉज प्रस्तुत करेगा ।

(५) संकल्प स्वीकृत हो जाने के पश्चात, उसकी एक प्रति, उस बैठक जिसमें संकल्प पास हुआ हो, की तारीख से २ माह की अवधि के अंदर निदेशक/प्रबंध निदेशक के पास निम्न के साथ भेज दी जाएगी:-

(i) ऐसे संशोधन, परिवर्तन अथवा रद्दीकरण के औचित्य के कारणों के साथ संकल्प के अनुसरण में किए जाने वाले संशोधन से संबंधित बाई-लॉज की दो प्रतिया;

(ii) संशोधन किए जाने के पश्चात बाई-लॉज के संशोधित पाठ की मंडी समिति के अध्यक्ष द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित चार प्रतियां; और

(iii) निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा मांगी गई ऐसी अन्य कोई सूचना ।

(६) उप-नियम (४) में संदर्भित अन्य विवरण और संकल्प की एक प्रति प्राप्त होने पर निदेशक/प्रबंध निदेशक मंडी समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन, परिवर्तन अथवा रद्दीकरण की जांच करेगा और यदि वह इस तथ्य से संतुष्ट है कि संशोधन परिवर्तन अथवा रद्दीकरण अधिनियम अथवा इसके नियमों के विरुद्ध नहीं है और मंडी समिति और अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के विनियमन के हित में है तब वह संशोधन परिवर्तन अथवा रद्दीकरण के लिए अपनी स्वीकृति सूचित कर सकता है जैसा कि अधिनियम की

धारा ९६ की उप-धारा (१) द्वारा अपेक्षित है । संशोधित बाई-लॉज, निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा मंडी समिति को अपनी स्वीकृति सूचित करने की तारीख से लागू होगा ।

(७) जहां पर निदेशक/प्रबंध निदेशक की यह राय है कि प्रस्तावित संशोधन, परिवर्तन अथवा निराकरण को किसी आशोधन पर निर्भर करते हुए स्वीकृत किया जाए तब वह उसके कारणों का लिखित में

उल्लेख करते हुए ऐसे आशोधन से मंडी समिति को सूचित करेगा । आशोधित रुप में बाई-लॉज तभी से लागू माने जाएंगे जब मंडी समिति द्वारा अपनी अगली बैठक में ऐसे आशोधन को अंगीकार कर लिया जाता है ।

३५. अभियोजन की स्वीकृति की शक्तियां

(१) निदेशक/प्रबंध निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना इन नियमों में से किसी को भी भंग करने के लिए कोई अभियोजन नहीं किया जाएगा । किसी भी लाइसेंस धारक/पंजीकृत व्यक्ति के विरुद्ध उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना कोई अभियोजन दायर नहीं किया जाएगा और तब मंडी समिति की विशेष बैठक, जिसका नोटिस सभी सदस्यों को दिया जाएगा, में विशेष आदेश पारित किया जाएगा ।

(२) उप-नियम (१०) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निदेशक/प्रबंध निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी संतुष्ट है कि उसके द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बावजूद भी अभियोजन दर्ज नहीं कराया गया है अथवा इसमें अनपेक्षित विलम्ब किया गया है तो वह नियमों के अंतर्गत किसी अपराध के लिए स्वयं अभियोजन दर्ज करा सकता है ।

३६. अप्रत्यादेय राशियों को बट्टे खाते में डालने के लिए शक्तियों का प्रयोग

धारा ३१ के अंतर्गत अप्रत्यादेय राशियों को बट्टे खाते में डालने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने से पहले, अपनी संतुष्टि के लिए मंडी समिति बैठक में इस मुद्दे पर विचार करेगी और सहमत होगी कि उस व्यक्ति को तलाश न कर सकने अथवा उसके दिवालिया हो जाने के कारण अथवा ऐसी राशि एकत्र करने वाले अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट दिए जाने पर कि वसूली किया जाना नामुमकिन है, की वजह से उक्त राशि की वसूली नहीं की जा सकती ।

३७. मंडी समिति द्वारा अपराध का प्रशमन

(१) मंडी समिति का कोई अधिकारी यदि यह पाता है कि मंडी कार्यकर्ता सहित किसी व्यक्ति ने अपराध किया है अथवा अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों और उप-नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत (धारा ३९

के उल्लंघन के अलावा) पर्याप्त कारणों से उस पर अपराध करने का शक किया जा सकता है तो वह रिकार्ड, यदि कोई हो, के साथ इस संबंध में मंडी समिति के सचिव के पास रिपोर्ट दर्ज कराएगा ।

(२) सचिव उप-नियम (१) के अंतर्गत प्राप्त रिपोर्ट को मंडी समिति के समक्ष रखेगा । मंडी समिति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है अथवा जिस पर अपराध करने का शक करने के पर्याप्त कारण हैं, उसे विनिर्दिष्ट समय के अंदर एक नोटिस अपना जवाब देने के लिए देगी कि क्यों न उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए अथवा उससे पूछा जाएगा कि क्या वह अपराध के प्रशमन के लिए तैयार है ।

(३) यदि वह व्यक्ति अपराध के प्रशमन के लिए तैयार होता है तब मंडी समिति, उस व्यक्ति को, मंडी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश देगी और उसे सुनने का अवसर दिए जाने के पश्चात अपराध का प्रशमन करेगी जैसा कि धारा ३० के अंतर्गत प्रावधान है ।

३८. <u>इस अधिनियम/नियमों/उप-नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर शास्ति</u>

मंडी समिति का सचिव और सचिव से संबंधित मामला होने पर निदेशक/प्रबंध निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, मजिस्ट्रेट, जो कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जे.एम.एफ.सी.) से नीचे का न हो, के न्यायालय में संबंधित व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने के सभी साक्ष्यों के साथ केस दर्ज कराएगा और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जे.एम.एफ.सी.) को इन अपराधों पर कार्रवाई करने का प्राधिकार होगा ।

अध्याय-६

संविदा कृषि

३९. संविदा कृषि प्रायोजकों का पंजीकरण और पंजीकरण का नवीकरण

(१) जैसा कि धारा ३८(१) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है स्वयं पंजीकरण कराने अथवा पंजीकरण के नवीकरण के लिए संविदा कृषि प्रायोजक सरकारी खजाने में चालान द्वारा देय प्रति जिला प्रतिवर्ष ५००/- रु० (पांच सौ रुपए केवल) के शुल्क के साथ फार्म 'एफ' में, निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न करके प्रायोजक पंजीकरण प्राधिकारी (इस मामले में पंजीकरण प्राधिकारी जैसा कि यहां पर राज्य सरकार अंतिम रुप से निर्धारित करे, राज्य स्तर पर कृषि/कृषि विपणन/सहकारी विभाग का प्रभारी अधिकारी) ..... को सम्बोधित करते हुए लिखित में आवेदन करेगा ।

(२) उप-नियम के अंतर्गत दिए गए आवेदन पत्र की जांच करने पर और पंजीकरण के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करने के बाद संबंधित प्रायोजक पंजीकरण प्राधिकारी फार्म 'जी' में, रखे जाने वाले रजिस्टर में ऐसे आवेदन से संबंधित रिकार्ड को रखेगा और आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख से ३० दिन के अंदर इसका निस्तारण करेगा और फार्म 'एच' के अनुसार पंजीकरण कर दिया जाएगा ।

४०. संविदा कृषि उत्पादक और संविदा कृषि प्रायोजक के मध्य संविदा कृषि करार

(१) संविदा कृषि उत्पादक और संविदा कृषि प्रायोजक के मध्य संविदा कृषि करार सामान्यतः फार्म 'आई' के अनुसार होगा । तथापि, संविदा कृषि करार के नियम एवं शर्तें निर्धारित करने के लिए परस्पर स्वतंत्र होंगे, ये नियम एवं शर्तें अधिनियम और इसके नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होंगी ।

(२) संविदा कृषि प्रायोजक करार सम्पादित होने से पन्द्रह दिन के अंदर ..... को, जो कि करार दर्ज कराने वाले प्राधिकारी के नाम से जाना जाएगा, (करार दर्ज करने वाला प्राधिकारी मंडी समिति का सचिव अथवा यहां पर उल्लेख करने के लिए जैसा राज्य सरकार ने निर्धारित

किया हो, ब्लाक/तालुका/मंडल स्तर पर कृषि/कृषि विपणन/सहकारिता विभाग का प्रभारी अधिकारी) संविदा कृषि

उत्पादक के साथ होने वाले संविदा कृषि करार की मूल प्रति प्रस्तुत करेगा, जो कि इसकी पावती देगा और फार्म 'J' में बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा ।

४१. <u>संविदा कृषि का विवाद समाधान प्राधिकारी</u>

संविदा कृषि करार के किसी भी विवाद के समाधान के लिए विवाद समाधान प्राधिकारी (जैसा कि यहां पर उल्लेख करने के लिए राज्य सरकार अंतिम रुप से निश्चय करे, कृषि/कृषि विपणन/कृषि विपणन के विनियमन से संबंधित तालुका/ब्लाक/मंडल स्तर का अधिकारी) ..... को विवाद के समाधान के उद्देश्य के लिए २०/- रु० (बीस रुपए केवल) के कोर्ट फीस स्टाम्प के साथ एक लिखित आवेदन देना होगा । विवाद समाधान प्राधिकारी, दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद और संबंधित पार्टियों को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात तीस दिन की अवधि के अंदर अपना निर्णय देगा ।

४२. <u>विवाद समाधान प्राधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपील</u>

नियम ४१ के अंतर्गत विवाद समाधान अधिकारी के निर्णय से असहमत कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्णय की तारीख से तीस दिन के अंदर विवाद समाधान प्राधिकारी के संबंधित विभाग के जिला अधिकारी के पास अपील दर्ज कर सकता है इसके साथ ५०/- रु० (पचास रुपए केवल) को कोर्ट फीस स्टाम्प और उस निर्णय की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, संलग्न होने चाहिए । अपीलीय प्राधिकारी, संबंधित पार्टियों को सुने जाने का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात और संबंधित रिकार्ड और दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात उस अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर अपील पर निर्णय देगा और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

४३. <u>संविदा कृषि करार के अंतर्गत कृषि उपज की खरीद</u>

संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा संविदा कृषि करार के अंतर्गत किसी भी स्थान पर कृषि उपज की खरीद की जा सकती है और इस उपज पर मंडी समिति कोई मंडी शुल्क नहीं लगाएगी । यदि संविदा कृषि प्रायोजक ने उपज की खरीद निर्यात अथवा प्रसंस्करण की नीयत से की है तब वह

पंजीकरण प्राधिकारी को इसकी सूचना फार्म 'के' में देगा । संविदा कृषि प्रायोजक, प्रायोजक पंजीकरण प्राधिकारी को एक घोषणा पत्र देगा कि वह खरीद की तारीख से नब्बे दिन के अंदर उपज का निर्यात अथवा प्रसंस्करण कर रहा है ।

४४. संविदा कृषि प्रायोजकों को संविदा कृषि उत्पादकों की भूमि पर स्थायी निर्माण करने से रोकना

संविदा कृषि करार में निहित किसी बात के होने के बावजूद भी संविदा कृषि प्रायोजक को संविदा कृषि उत्पादक की भूमि पर किसी भी प्रकार की स्थायी आधारिक संरचना सृजित करने अथवा किसी भी प्रकार के पट्टे का अधिकार अथवा हक नहीं है ।

४५. संविदा कृषि करार का उद्देश्य

संविदा कृषि करार संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा संविदा कृषि उत्पादक से कृषि उपज की खरीद के लिए किया जाएगा और इसका अर्थ केवल ऐसे सभी उद्देश्यों के लिए होगा ।

४६. संविदा कृषि करार की अवधि

संविदा कृषि करार की न्यूनतम अवधि एक फसल सीजन के लिए होगी और अधिकतम अवधि प्रायोजक और उत्पादक के द्वारा प्रारस्परिक सहमति से निर्धारित की जाएगी ।

४७. संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा संविदा कृषि उत्पादक को दिए गए अग्रिमों और ऋणों की वसूली

संविदा कृषि प्रायोजकों द्वारा संविदा कृषि उत्पादक को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली केवल कृषि उपज की बिक्री से की जाएगी और किसी भी दशा में संविदा कृषि करार से संबंधित भूमि की बिक्री नहीं की जाएगी ।

४८. संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया जाना

संविदा कृषि प्रायोजक फार्म 'एल' में प्रत्येक वर्ष ३० जून से पहले, पिछले वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा किए गए सभी लेनदेन के संबंध में कृषि विपणन के विनियमन के अनुसरण में संबंधित जिला स्तर के अधिकारी के पास वार्षिक लेखा जमा करेगा ।

अध्याय-७

व्यापार का विनियमन

४९. अधिनियम की धारा ४४ की उप-धारा (१) के अंतर्गत पंजीकरण अथवा पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र और इस पर लगने वाला शुल्क

(१) धारा ४४ की उप-धारा (१) के अंतर्गत पंजीकरण अथवा पंजीकरण के नवीकरण का इच्छुक कोई भी व्यक्ति फार्म 'एम' में आवेदन करेगा ।

(i) बशर्ते, वह ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र से साथ शुल्क, जो कि ५२५/- रु० (पांच सौ पच्चीस रुपए केवल) से अधिक नहीं होगा और जैसा मंडी समिति की बाई-लाज में दिया गया हो, संलग्न करेगा;

(ii) परन्तु अधिसूचित क्षेत्र से बाहर रहने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को जो वर्ष के दौरान १० से कम बार विशिष्ट लेन-देन, के लिए मंडी समिति के अधिसूचित क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक हो, को निर्धारित शुल्क, जो कि २०/- रु० (बीस रुपए केवल) से अधिक नहीं होगा और जैसा कि मंडी समिति के बाई-लाज में दिया गया हो, के भुगतान करने पर विशेष पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है;

(iii) बशर्ते कि उसने पंजीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क भेजा हो ।

(२) बशर्ते कि जहां पर कोई व्यापारी किसी मंडी समिति में पंजीकृत हो और वह दूसरी मंडी समिति के अधिकार क्षेत्र में खरीद अथवा बिक्री करने का इच्छुक हो तो वह ५०/- रु० (पचास रुपए केवल)

प्रति मंडी के शुल्क के साथ उक्त फार्म में उल्लिखित सूचना के साथ पंजीकरण के लिए फार्म 'एन' में निदेशक/प्रबंध निदेशक के पास आवेदन कर सकता है । वांछित सूचना और शुल्क के साथ ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर निदेशक/प्रबंध निदेशक एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए फार्म 'एन-१' में आवेदक का पंजीकरण करेंगे । संबंधित पंजीकृत व्यापारी को प्रतिमाह कृषि उपज की, उसके द्वारा की गई खरीद की विवरणी मंडी समिति के पास जमा करनी होगी और मंडी क्षेत्र में कृषि उपज की खरीद करने पर संबंधित मंडी समिति को प्रतिमाह मंडी शुल्क का भुगतान करना होगा ।

(३) मंडी समिति ऐसे व्यक्ति को धारा ४४ की उपधारा (१) के प्रावधानों से मुक्त कर सकती है जिसने किसी एकल दिवस में घरेलू खपत और अथवा खुदरा बिक्री के लिए मंडी समिति के बाई-लाज द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में किसी अधिसूचित कृषि उपच की खरीद अथवा बिक्री की हो ।

५०. <u>अधिसूचित मंडी क्षेत्र में कमीशन एजेंट, व्यापारियों, दलालों, ढुलाई अथवा क्लियरिंग एजेंटों इत्यादि के रुप में कार्य करने के लिए पंजीकरण</u>

(१) कोई भी व्यक्ति अधिसूचित मंडी मंडी क्षेत्र के अंदर कमीशन एजेंट, व्यापारी, दलाल, ढुलाई अथवा क्लियरिंग एजेंट, वेयरहाउसमैन, तौलकर्ता, मापकर्ता, सर्वेक्षण, लॉरी मालिक, गाड़ीवान, हमाल अथवा अन्य मंडी कार्यकर्ता के रुप में उन शर्तों के अनुसरण में और उनके अंतर्गत कार्य करेगा जिनके तहत मंडी समिति में वह पंजीकृत है ।

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति की सेवा में हो अथवा लाइसेंसधारक निजी मंडी अथवा उपभोक्ता/कृषक मंडी, प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंसधारक अथवा लाइसेंसधारक निजी-ई-मंडी/कमोडिटी एक्सचेंजों के मंडी कार्यकर्ताओं को छोड़कर अन्य कार्य में संलग्न हो, कमीशन एजेंट, व्यापारी, तलाल, वेयर हाउसमैन, तौलकर्ता, मापकर्ता, सर्वेक्षण, गाडीवान अथवा क्लियरिंग एजेंट के रुप में पंजीकरण प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु निजी-ई-मंडी अथवा उपभोक्ता/कृषक मंडी सहित निजी मंडी और किसी लाइसेंस के अंतर्गत निदेशक/प्रबंध निदेशक मनोनीत प्राधिकारी द्वारा इजाजत दिए गए प्रत्यक्ष विपणन में संलग्न मंडी कार्यकर्ताओं को पंजीकरण की जरुरत नहीं है ।

(२) उप-नियम (१) के अंतर्गत पंजीकरण कराने अथवा अपने पंजीकरण का नवीकरण कराने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपेक्षित शुल्क जो कि निम्नांकित राशि से अधिक नहीं होगा अथवा जैसा कि मंडी समिति के बाई-लाज में दिया गया हो, के साथ फार्म 'एम' में आवेदन करेगा ।

	के लिए पंजीकरण	पंजीकरण कराने अथवा इसका नवीकरण कराने के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम शुल्क
१.	कमीशन एजेंट/व्यापारी/दलाल	१२५ रु०
२.	ढुलाई अथवा क्लियरिंग एजेंट	१०० रु०
३.	वेयरहाउस मैन	१५० रु०
४.	तौलकर्ता, मापकर्ता अथवा सर्वेक्षक	१०० रु०
५.	लॉरी मालिक	१०० रु०
६.	गाडीवान	१० रु०
७.	हमाल	५ रु०

परन्तु मंडी समिति हमाल के मामले में कोई भी पंजीकरण शुल्क न लेने का निर्णय ले सकती है ।

५१. <u>पंजीकरण करने और इसका नवीकरण करने के लिए मंडी समिति की शक्ति</u>

(१) मंडी समिति पंजीकरण करने अथवा इसका नवीकरण करने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के अंदर नियम ४९ अथवा नियम ५० के अंतर्गत या तो फार्म 'ओ' में पंजीकरण जारी करेगी अथवा नवीकरण करेगी, जैसा भी मामला हो, अथवा निरस्त करने का कारण बताते हुए आवेदन-पत्र निरस्त कर देगी ।

(२) (i) पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र उस पंजीकरण के समाप्त होने की तारीख से ३० दिन पहले देना होगा ।

परन्तु जहां पर उक्त प्रकार से आवेदन नहीं किया जाता है लेकिन पंजीकरण समाप्त होने की तारीख से पहले आवेदन किया जाता है तब मंडी समिति पहले पन्द्रह दिन के विलम्ब के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के १० प्रतिशत की दर से और कुल ३० दिन के विलम्ब के लिए २५ प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के भुगतान पर पंजीकरण अथवा इसका नवीकरण करेगी ।

नोट १: विलम्ब शुल्क की गणना करते हुए आधे रुपए से कम को छोड़ दिया जाएगा और आधे से अधिक होने पर उसे जोड़ कर अगला पूर्णांक बना दिया जाएगा ।

नोट २: मंडी समिति लिखित में दर्ज कराए जाने वाले कारणों के लिए विलम्ब शुल्क को माफ कर सकती है ।

(ii) इस उप-नियम के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रत्येक पंजीकरण का नवीकरण पंजीकरण समाप्त होने
की तारीख से अगली तारीख से लागू होगा ।

(३) इस नियम के अंतर्गत किया गया प्रत्येक पंजीकरण अथवा नवीकरण, जिस वर्ष यह जारी किया गया उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समाप्त हो जाएगा । वर्ष के किसी भाग के लिए भी पूरा शुल्क देय होगा ।

५२. मंडी समिति द्वारा डुप्लीकेट पंजीकरण जारी करना

मंडी समिति, पंजीकरण शुल्क के आधे की दर, लेकिन ५/- रु० (पांच रुपए केवल) से कम नहीं, पर शुल्क का भुगतान करने पर डुप्लीकेट पंजीकरण जारी किया जा सकता है किन्तु यह सन्तुष्टि कर ली जाए कि उसे जारी किए गए पंजीकरण आदेश की मूल प्रति खो गई है अथवा दुर्घटनावश नष्ट हो गई है ।

५३. मंडी समिति द्वारा पंजीकरण का निलम्बन अथवा निरस्तीकरण

(१) मंडी समिति अपनी एक बैठक में जिसमें कम से कम पांच सदस्य उपस्थित हों, बहुमत से संकल्प पास करके और इसे परिचालित करके अधिनियम की धारा ४४ की उप-धारा (१) के अंतर्गत किसी कमीशन एजेंट अथवा व्यापारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन को दिया गया पंजीकरण रद्द अथवा निलम्बित कर सकती है, यदि वह निम्न तथ्यों से सन्तुष्ट हो:

(i) पंजीकरण जान-बूझकर गलत प्रतिनिधित्व अथवा फ्राड के माध्यम से प्राप्त किया गया है; अथवा

(ii) उसका धारक अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई सेवक अथवा कोई व्यक्ति उसकी व्यक्त अथवा अन्तर्निहित अनुमति से पंजीकरण के नियम एवं शर्तों को अथवा मंडी समिति के इन नियमों अथवा बाई-लॉज के प्रावधानों को भंग करता है; अथवा

(iii) अन्य पंजीकरण धारकों के साथ कोई पंजीकरण धारक मंडी क्षेत्र में किसी अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को इच्छापूर्वक बाधित, निलम्बित अथवा रोकने की नीयत से मंडी में कोई कृत्य करता हो अथवा अपना सामान्य कार्य न करता हो, जिसके कारण ऐसी अधिसूचित कृषि उपज का विपणन बाधित, निलम्बित अथवा ठप्प हो गया हो; अथवा

(iv) पंजीकरण धारक दिवालिया हो गया हो; अथवा

(v) पंजीकरण धारक अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में दोषी पाया गया हो ।

(२) परन्तु संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस दिए बिना और उसे बिना सुने मंडी समिति, उपर्युक्त कार्रवाई नहीं करेगा ।

इसके अलावा अध्यक्ष, मंडी समिति यदि इस तथ्य से सन्तुष्ट है कि पंजीकृत व्यक्ति ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और उपर्युक्त नियम ५३(१) के अन्तर्गत उल्लिखित कार्रवाई करने के लिए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला है तो वह धारा ४४ अथवा नियम ५१ के अंतर्गत पंजीकरण धारक व्यक्ति का पंजीकरण १५ दिन की अवधि तक निलम्बित कर सकता है । समिति का अध्यक्ष, १५ दिन की अवधि के अंदर, नियम ५३(१) के अंतर्गत विचारित कार्रवाई और इसकी अभिपुष्टि के लिए मामले को मंडी समिति के समक्ष रखेगा ।

५४. मंडी समिति द्वारा पंजीकरण के निरस्तीकरण अथवा निलम्बन के आदेश के विरुद्ध अपील

(१) मंडी समिति के आदेशों के विरुद्ध अपील निदेशक/प्रबंध निदेशक के पास ऐसे आदेश की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जा सकेगी । ऐसी अपील प्राप्त होने पर निदेशक/प्रबंध निदेशक मंडी समिति के सभी संबंधित रजिस्टरों और रिकार्ड को मंगाएगा और ऐसी जांच, जिसे वह जरुरी समझता हो, को करने अथवा कराने के पश्चात या तो स्वीकृत आदेशों की पुष्टि में अथवा पंजीकरण के निलम्बन अथवा निरस्तीकरण के आदेशों को रद्द करते हुए आदेश पास करेगा ।

(२) निदेशक/प्रबंध निदेशक उनके संबंध में उप-नियम (१) के अंतर्गत मामले में लम्बित निर्णय के आदेशों के अनुपालन को निलम्बित कर सकता है ।

५५. अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री की विधि

मंडी में बिक्री के लिए लाई गई सभी अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री मंडी समिति द्वारा खुली नीलामी अथवा टेंडर प्रणाली के माध्यम से कराई जाएगा । अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री के लिए प्रदर्शनी, उसकी नीलामी और तौल मंडी समिति के बाई-लॉज में उल्लिखित तरीके से की जाएगी ।

५६. अधिसूचित कृषि उपज की मूल्य कोटेशन की इकाई

अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री के संबंध में मूल्य कोटेशन की इकाई, मीट्रिक भार अथवा मीट्रिक माप अथवा मंडी समिति के बाई-लॉज में विनिर्दिष्ट संख्या होगी ।

५७. अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री और व्यापार

(१) मंडी समिति, मंडी में क्रेता और विक्रेता के मध्य होने वाली प्रत्यक्ष बिक्री के लिए सुविधा प्रदान करेगी । विक्रेता अपनी अधिसूचित कृषि उपज की प्रत्यक्ष रुप से अथवा लाइसेंस धारक/पंजीकृत कमीशन एजेंटों अथवा इस उद्देश्य के लिए लाइसेंस धारक/पंजीकृत अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(२) क्रेता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अधिसूचित कृषि उपज की मंडी में तुलाई/मापन अथवा गिनती जैसा भी मामला हो, के पश्चात उसी हालत में तत्काल आपूर्ति प्राप्त कर ले और उसी दिन इसका भुगतान कर दे ।

५८. अधिसूचित कृषि उपज की तुलाई, मापन और गिनती पर नियंत्रण

(१) अधिसूचित मंडी क्षेत्र में मंडी की खरीदी अथवा बेची जाने वाली और भंडारण, प्रसंस्करण अथवा निर्यात की जाने वाली अधिसूचित कृषि उपज की सभी तुलाई, मापन अथवा गिनती, जैसा भी मामला हो, मंडी समिति के नियंत्रण में लाइसेंस धारक/पंजीकृत तौलकर्ताओं के माध्यम से की जाएगी जो कि मंडी समिति को इसका लेखा यथाविनिर्दिष्ट रुप में सौंपेगें ।

(२) इस नियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर १०००/- रु० (एक हजार रुपए केवल) तक जुर्माना किया जाएगा ।

५९. केवल प्राधिकृत बाटों और मापकों का प्रयोग

अधिसूचित मंडी क्षेत्र में, अधिनियम द्वारा प्रचालित लेन-देन में केवल ऐसे बाटों और मापनियों का प्रयोग किया जाएगा जो कि मीट्रिक भार अथवा मीट्रिक मापकों और उनके गुणकों तथा उनके उप-गुणकों के अनुरुप हों ।

६०. मंडी समिति के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तराजुओं, बाटों और मापकों, तुलाई, मपाई और गिनती की जांच

इस उद्देश्य के लिए मंडी समिति द्वारा प्राधिकृत मंडी समिति का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी भी समय और बिना सूचना के अधिसूचित मंडी क्षेत्र की सीमाओं के अंदर किसी भी स्थान पर प्रयुक्त, रखे हुए अथवा किसी के पास मौजूद मापनी, बाट अथवा मापक की जांच कर सकता है और वह अधिसूचित कृषि क्षेत्र की सीमाओं के अंदर किसी अधिसूचित कृषि उपज की तुलाई, मापन और गिनती, जैसा भी मामला हो, का निरीक्षण और जांच कर सकता है ।

६१. मंडी समिति द्वारा मीट्रिक बाटों और मापकों का सेट रखा जाना

मंडी समिति, मीट्रिक बाटों और मापनियों का कम से कम एक सेट रखेगी जो कि अपने मीट्रिक बाटों और मापनियों से तुलना के लिए जनता हेतु मंडी समिति के कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध रहेगा ।

६२. <u>तुलाई में काउन्टर बैलेन्सिंग</u>

बैग, टिन अथवा अन्य पैकेजिंग सामग्री जिसमें अधिसूचित कृषि उपज रखी जाती है और उनकी पैकिंग में प्रयुक्त रस्सी अथवा ट्वाइज के बराबर वजन को तराजू में बाट की साइड में जोड़ दिया जाएगा ताकि ऐसे बैग, टिन अथवा अन्य पैकिंग सामग्री और रस्सी अथवा ट्वाइज का काउन्टर बैलेन्स हो जाए ।

६३. <u>निरीक्षण के लिए तराजुओं, मापकों और बाटों को प्रस्तुत करना</u>

प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा ४४ की उप-धारा (i) के अंतर्गत लाइसेंस/पंजीकरण प्रदान किया जाता है, को नियम ६० के अंतर्गत किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आदेश दिया जाएगा कि वह अथवा उसके प्राधिकार और नियंत्रण में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अथवा उनके पास रखे प्रत्येक मापनी, मापक अथवा बाट की घोषणा करे और किसी भी समय और स्थान पर जैसी भी जरुरत हो इन्हें जांच के लिए उपलब्ध कराए और नियम ६० के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति को इनकी जांच और निरीक्षण करने दे ।

६४. <u>दोषपूर्ण तराजुओं, मापकों और बाटों की रिपोर्ट</u>

यदि नियम ६० अथवा नियम ६३ के अंतर्गत कोई मापनी, मापक अथवा बाट अप्राधिकृत अथवा दोषपूर्ण पाया जाता है तो इस मामले की सूचना सचिव द्वारा मंडी समिति के माप-तौल प्रशासन से संबंधित सरकारी प्रभारी अधिकारी को दी जाएगी और वह ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझता हो ।

६५. <u>विक्रेता को कमीशन एजेंट अथवा खरीदार द्वारा बिक्री रकम का भुगतान शीघ्र किया जाना</u>

जब किसी कमीशन एजेंट के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री की जाती है तो वह मंडी समिति के बाई-लॉज के अंतर्गत विक्रेता द्वारा दिए जाने वाले और खरीदार से वसूले जाने वाले प्रभारों को घटाते हुए बिक्री के दिन ही अपने खाते से विक्रेता को अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री रकम का भुगतान करेगा ।

परन्तु जब विक्रेता द्वारा क्रेता को कोई अधिसूचित कृषि उपज सीधे ही बेची गई हो तो क्रेता मंडी समिति द्वारा की गई तुलाई, मापन अथवा गिनती के बाद उसी दिन बिक्री रकम का भुगतान करेगा । वह बिक्री रकम के भुगतान के बाद ही अधसूचित कृषि उपज को उठाने का हकदार होगा ।

६६. <u>कमीशन एजेंट द्वारा बिक्री पर्चियां जारी करना</u>

प्रत्येक कमीशन एजेंट फार्म 'ओ-१' में निर्धारित बिक्री पर्ची के जरिए से ही भुगतान करेगा और बिक्री पर्ची की मूल प्रति विक्रेता को देगा, दूसरी प्रति खरीदार को मिलेगी, तीसरी प्रति मंडी समिति के कार्यालय को दी जाएगी और चौथी प्रति जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप होगी, बिक्री रकम की कुल राशि प्राप्त करने के लिए टोकन रुप में होगी । बिक्री पर्ची की ऐसी प्रति को कमीशन एजेंट स्वयं, विक्रेता को वास्तविक भुगतान किए जाने की तारीख से २ वर्ष की अवधि अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस वाउचर वाले लेखाओं की लेखा परीक्षा, जो भी पहले हो, तक रखेगा ।

बशर्ते पंजीकृत व्यापारियों के मध्य अथवा निजी ई-मंडी सहित निजी मंडी यार्ड में अथवा संविदा कृषि के अन्तर्गत कृषकों से प्रत्यक्ष खरीद अथवा खरीद के मामले में लाइसेंस धारक/पंजीकरण धारक व्यक्ति द्वारा फार्म 'ओ-१' में बिक्री पर्ची जारी की जाएगी ।

६७. <u>कमीशन एजेंट द्वारा भंडारण पर्चियां जारी करना</u>

जहां पर किसी अधिसूचित कृषि उपज को इस आशय से कमीशन एजेंट के पास लाया जाता है कि मंडी में उसकी बिक्री की जाए या उसे दूसरी मंडी में भेजा जाए या बाद में निर्यात किया जाए तो मंडी में लाने अथवा अन्य मंडी में ले जाने के लिए अथवा बाद भी किसी तारीख में निर्यात के लिए इसकी बिक्री हेतु

कमीशन एजेंट के पास ले जाया जाता है तो वह ऐसी बिक्री अथवा इसके परिवहन में समय लगने पर इसके भंडारण की व्यवस्था करेगा और वह मंडी समिति के बाई-लॉज में विनिर्दिष्ट ढंग से भंडारण स्लिप भी जारी करेगा ।

६८. कमीशन एजेंट द्वारा भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना

मंडी में अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री अथवा इसका निर्यात बाद की तारीख में सम्पन्न होगा इसे ध्यान में रखते हुए विक्रेता के चाहने पर अधिसूचित कृषि उपज के लिए भंडारण की व्यवस्था और इसकी चोरी, आग, बाढ़, बारिश अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से बचाव का इंश्योरेन्स करने का उत्तरदायित्व कमीशन एजेंट का होगा ।

बशर्ते जहां पर कोई विक्रेता प्रत्यक्ष बिक्री के लिए मंडी में किसी अधिसूचित कृषि उपज को एकत्र करता है तो मंडी समिति ऐसी बिक्री के लिए सभी सुविधाओं को मुहैया करान के अलावा बिक्री न किए गए स्टॉक के लिए विक्रेता की इच्छा होने पर अस्थायी भंडारण प्रदान कर सकती है लेकिन भंडारण की यह अवधि एक सप्ताह से अधिक नहीं होगी और ऐसी राशि वसूल करके, जिसे बाई-लॉज में विनिर्दिष्ट रुप में समय-समय पर निर्धारित किया गया हो, इस उपज का इंश्योरेन्स भी किया जा सकता है ।

परन्तु यह भी कि जहां पर कोई अधिसूचित कृषि उपज भंडारित की जाती है और इसे एक सप्ताह के अंदर नहीं हटाया जाता है तो उक्त अधिसूचित कृषि उपज के मामले में वही कार्रवाई की जाएगी जैसा कि मंडी समिति के बाई-लॉज में विनिर्दिष्ट है ।

६९. व्यापार भत्ते और कटौतियों का निर्धारण

(१) अधिसूचित मंडी क्षेत्र में किसी लेन-देन के संबंध में कोई लाइसेंसधारक/पंजीकृत व्यापारी कमीशन एजेंट, दलाल अथवा तौलकर्ता किसी भत्ते अथवा नि:शुल्क नमूने की मांग नहीं करेंगे, लेंगे अथवा रखेगें । ऐसे भत्ते अथवा नि:शुल्क नमूने की मांग करने वाले, लेने वाले अथवा रखने वाले अथवा ऐसे भत्ते अथवा नि:शुल्क नमूने की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना किया जाएगा जो कि १०००/- (एक हजार रुपए केवल) तक हो सकता है ।

व्याख्या: तुलाई के उद्देश्य से भुगतान करके लिया जाने वाला नमूना, नि:शुल्क नमूने के रुप में इस नियम की परिधि में नहीं आता है ।

(२) धर्मार्थ कार्यों के लिए अधिसूचित मंडी क्षेत्र में कोई शुल्क अथवा अंशदान नहीं लिया जाएगा अथवा अपनी अधिसूचित कृषि उपज की नीलामी बिक्री के संबंध में विक्रेता द्वारा दिया जाएगा अथवा अधिसूचित क्षेत्र में इसके भंडारण, तुलाई, मापन, प्रसंस्करण अथवा निर्यात के लिए कोई शुल्क लिया जाएगा और

वाउचर अथवा भंडारण पर्ची में ऐसे शुल्क की मांग करने, लेने अथवा कटौती करने वाले व्यक्ति अथवा किसी भी प्रकार से अधिसूचित क्षेत्र में प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से ऐसी मांग करने, लेने अथवा कटौती एकत्रित करने में सहायता करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना किया जाएगा, जो कि १०००/- (एक हजार रुपए केवल) तक हो सकता है ।

(३) जहां पर, मंडी समिति की राय है कि अधिसूचित मंडी क्षेत्र में किसी व्यापारी अथवा कमीशन एजेंट ने नियमों अथवा बाई-लॉज में स्वीकृत सीमा से अधिक संग्रह किया है तो मंडी समिति बैठक में संकल्प पास करके किसी ऐसे अधिकारी, जो कि सहायक सचिव से कम रैंक का न हो, को अपने समक्ष वाउचर, लेखा पुस्तिकाओं, संबंधित रिकार्ड अथवा दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने हेतु और कोई अन्य सूचना भेजने तथा इस विषय में जानकारी देने के लिए व्यापारी अथवा कमीशन एजेंट को निदेश देने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा ।

(४) इस उद्देश्य के लिए मंडी समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, रिकार्ड की जांच और निरीक्षण के बाद और अपेक्षित जांच, जैसी जरुरी हो, के पश्चात व्यापारियों अथवा कमीशन एजेंटों की लेखा पुस्तिकाओं, जैसा भी मामला हो, में लिखित लेनदेन के आधार पर जांच करने के बाद संबंधित व्यापारी अथवा कमीशन एजेंट को इसकी प्राप्ति के सात दिन के अंदर यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगा कि अधिक मात्रा में अथवा अनधिकृत रुप से एकत्रित उक्त राशि को क्यों न उनसे वसूल कर लिया जाए । प्राधिकृत अधिकारी उसके उत्तर, यदि कोई हो, जो कि नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर व्यापारी अथवा कमीशन एजेंट से प्राप्त हुआ हो, पर पर्याप्त विचार करने के बाद यह निदेश देगा कि वह डिमांड ड्राफ्ट द्वारा १५ (पन्द्रह दिन) की अवधि के अंदर अधिक एकत्रित राशि का भुगतान कर दे और उसके द्वारा अधिक एकत्रित राशि को मंडी समिति में जमा कराए तथा उसका टोकन प्राप्त कर ले ।

(५) जो कोई व्यक्ति नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, मंडी समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे गए रिकार्ड और लेखाओं को देने से मना करता हो, पर १०००/- रुपए (एक हजार रुपए केवल) तक का जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसे अपराध को आगे जारी रखने के मामले में उसका दोष सिद्ध हो जाने पर उल्लंघन जारी रहने की अवधि के दौरान प्रतिदिन ५० रुपए (पचास रुपए केवल) का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है ।

७०. खरीदार द्वारा शेष सामग्री खरीदा जाना

किसी लॉट के किसी भाग के पहले घोषित मूल्य पर उसके शेष को खरीदने से कोई खरीदार मना नहीं करेगा, मंडी की सफाई के दौरान इकट्ठी हुई सामग्री मंडी समिति की सम्पत्ति होगी और इसकी कीमत को, प्रत्येक दिन के लेनदेन के बाद इसके लेखा में जमा किया जाएगा ।

७१. व्यापारियों, दलालों, कमीशन एजेंटों, तौलकर्ताओं इत्यादि द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर

(१) अधिसूचित क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक लाइसेंसधारक/पंजीकृत व्यापारी, कमीशन एजेंट, प्रसंस्करणकर्ता, वेयरहाउस मैन, आयातक, निर्यातक, स्टाकिस्ट और अन्य लाइसेंसधारक/पंजीकृत व्यक्ति ऐसे ढंग से लेखा का रखाव करेगा और ऐसे प्राधिकारी के पास ऐसी रिपोर्ट और विवरणियों को जमा करेगा जैसा कि इस उद्देश्य के लिए मंडी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

(२) यदि कोई लाइसेंसधारक/पंजीकृत व्यक्ति इस नियम के तहत कोई रिपोर्ट अथवा विवरणी नहीं भेजता है अथवा उसके द्वारा जमा की गई विवरणी अथवा रिपोर्ट में किए गए संशोधनों की पुष्टि में अथवा अन्य कारणों से सचिव अथवा निदेशक/प्रबंध निदेशक किसी व्यक्ति के व्यापार से संबंधित लेखा पुस्तिकाओं की जांच करना जरुरी समझता है तो सचिव अथवा निदेशक/प्रबंध निदेशक, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति को जांच के लिए अपने समक्ष लेखा पुस्तिकाएं और संबंधित रिकार्ड अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने और इससे संबंधित जानकारी देने के निदेश दे सकता है । यदि बिना पर्याप्त कारणों के कोई लाइसेंसधारक/पंजीकृत व्यक्ति उपर्युक्त विषय पर सचिव अथवा निदेशक/प्रबंध निदेशक के निदेशों का अनुपालन नहीं करता हो तो उस पर जुर्माना किया जाएगा, जो कि १०००/- रु० (एक हजार रुपए केवल) तक हो सकता है ।

७२. दलाल नियुक्त करने संबंधी सीमाएं

(१) कोई भी व्यक्ति, करार न किए जाने पर, किसी लेनदेन में दलाल की सेवाएं लेने के लिए और किसी अन्य पार्टी द्वारा कार्य में लगाए गए दलाल को भुगतान करने अथवा किसी दलाल के कार्य न करने की स्थिति में दलाल को भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं होगा ।

(२) अधिसूचित कृषि उपज के खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए दलाल के रुप में एक ही व्यक्ति कार्य नहीं करेगा ।

७३. कृषकों को दिए जाने वाले अग्रिमों का विनियमन

कोई लाइसेंसधारक/पंजीकृत सामान्य कमीशन एजेंट अथवा दलाल अथवा व्यापारी कृषकों को नकद या किसी अन्य प्रकार से अग्रिम दे सकता है लेकिन ऐसा अग्रिम निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगा:-

(i) यदि ऋणदाता और कर्जदार के मध्य कोई करार होता है तो ऋणदाता इस करार की एक प्रति कर्जदार को देगा;

(ii) जब समय-समय पर अग्रिम दिए जाते हैं तो दिए गए अग्रिमों और किए गए पुनर्भुगतान की एक लेखा पुस्तिका बाई-लॉज में उल्लिखित ढंग से रखी जाएगी । कर्ज देने वाला ऐसी लेखा पुस्तिका की एक प्रति कर्जदार को देगा और दी गई लेखा पुस्तिका की प्रति में ऋण लेने और वसूली के प्रत्येक पृथक लेनदेन को अपने हस्ताक्षर करके अनुप्रमाणित करेगा ।

७४. मंडी प्रभारों की सीमाएं और उन पर शास्ति

(१) मंडी में विक्रेता अथवा खरीदार द्वारा, निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेशों से विनिर्दिष्ट प्रभारों को छोड़कर अन्य किसी प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(२) कमीशन एजेंट के रुप में कार्य करने वाला कोई लाइसेंस/पंजीकरण धारक अधिनियम, इसके अंतर्गत बने नियमों अथवा बाई-लॉज के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित प्रभारों को छोड़कर किसी अन्य राशि का संग्रह नहीं करेगा ।

(३) उप-नियम (२) का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति पर जुर्माना किया जा सकेगा जो कि १०००/- रु० (एक हजार रुपए केवल) तक हो सकता है ।

अध्याय-VIII

मंडी शुल्क की लेवी और इसका संग्रहण

७५. मंडी शुल्क की एकल बिन्दु लेवी

(१) बाई-लॉज में उल्लिखित विधि के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज पर धारा ४२ की उपधारा (१) के अंतर्गत लगाए गए मंडी शुल्क का भुगतान यदि राज्य के अंदर एक मंडी समिति को कर दिया गया हो और जब प्रसंस्करण, पैंकिंग, भंडारण और निर्यात उद्देश्यों के लिए अधिसूचित कृषि उपज दूसरी मंडी समिति के अधिसूचित मंडी क्षेत्र में लाई जाती है और लाइसेंसधारक/पंजीकृत व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के मध्य होने वाले वाणिज्यिक लेनदेन के फलस्वरुप कोई बिक्री हुई हो तो ऐसे मामलों में मंडी शुल्क के भुगतान के संबंध में बाई-लॉज में निर्धारित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अन्य मंडी समिति द्वारा मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा ।

(२) किसी लाइसेंसी/पंजीकरण धारक द्वारा जैसे ही किसी अधिसूचित कृषि उपज की खरीद अथवा बिक्री की जाती है तो शीघ्रातिशीघ्र ऐसे शुल्क की उगाही की जाएगी । अधिसूचित कृषि उपज की तुलाई अथवा मापन अथवा गिनती के बाद यह समझा जाएगा कि अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री अथवा खरीद हो चुकी है ।

(३) मंडी समिति शुल्क को अपने लाइसेंसधारक/पंजीकृत कमीशन एजेंटों/व्यापारियों के माध्यम से एकत्र कर सकती है ।

(४) (i) अधिसूचित कृषि उपज पर लाइसेंसधारक/पंजीकृत कमीशन एजेंटों अथवा व्यापारियों द्वारा एकत्र

किए गए मंडी शुल्क का भुगतान आगामी माह की २५ तारीख तक मंडी समिति को कर दिया जाएगा ।

(ii) इस उप-नियम का कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा जिसके लिए १०००/- रु० (एक हजार रुपए केवल) तक जुर्माना किया जा सकता है ।

७६. चेक-पोस्ट

(१) कोई भी व्यक्ति संबंधित मंडी समिति को ऐसी अधिसूचित कृषि उपज के लिए निर्धारित शुल्क की वसूली की पुष्टि में विक्रय पर्ची प्रस्तुत किए बिना अधिसूचित मंडी क्षेत्र में और उसकी सीमा में किसी अधिसूचित कृषि उपज की खरीद अथवा बिक्री और उसका परिवहन नहीं करेगा ।

(२) मंडी समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत किसी कर्मचारी को किसी अधिसूचित मंडी क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी स्थान पर किसी भी समय और बिना नोटिस के किसी संदेहास्पद अप्राधिकृत अधिसूचित कृषि उपज को ले जाने वाले वाहन की जांच करने और उसे रोकने की शक्ति होगी ।

(३) जब उप-नियम (२) के अंतर्गत वाहन रोकना अपेक्षित हो तब भी वाहन न रोकने वाले व्यक्ति को जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, जो कि १०००/- (एक हजार रुपए केवल) तक हो सकता है ।

७७. <u>मंडी शुल्क का भुगतान न करने पर शास्ति</u>

किसी अधिसूचित कृषि उपज पर देय मंडी शुल्क का भुगतान करने और ऐसे भुगतान के संबंध में रसीद प्राप्त करने से पहले नियम ७५ के प्रावधानों के उल्लंघन में ऐसे क्षेत्र से किसी ऐसी अधिसूचित कृषि उपज को हटाने अथवा हटाने का प्रयास करते हुए अथवा उसके लिए परिवहन की अनुमति देने अथवा शुल्क से बचने के लिए कोई युक्ति अपनाने अथवा शुल्क के भुगतान से बचने में सहायता करने वाले व्यक्ति को जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, जो कि १०००/- रु० (एक हजार रुपए केवल) तक हो सकता है ।

<u>व्याख्या:</u> नियम ७६ और ७७ के उद्देश्यों के लिए 'व्यक्ति' शब्द में सरकार शामिल होगी ।

७८. <u>मंडी शुल्क के लिए रजिस्टर</u>

मंडी समिति धारा ४२ के तहत फार्म 'पी' में मंडी शुल्क अथवा अपने द्वारा एकत्र किया गया अन्य कोई प्रभार दर्शाते हुए एक रजिस्टर रखेगी । इस नियम के अंतर्गत एकत्र किए गए शुल्कों अथवा प्रभारों के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी ।

७९. <u>मंडी शुल्क एकत्र करने के लिए कर्मचारियों का उपयोग</u>

धारा ४२ के अंतर्गत शुल्क मंडी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा एकत्र किया जाएगा । मंडी समिति निदेशक/प्रबंध निदेशक की पूर्व स्वीकृति से मंडी शुल्क के संग्रह का कार्य बाहर से अथवा अन्य किसी व्यक्ति से भी करा सकती है ।

८०. <u>मंडी शुल्क संग्रह करने वाले कर्मचारी</u>

सचिव के अलावा मंडी समिति का प्रत्येक अधिकारी अथवा स्टाफ एक पहचान-पत्र रखेगा जिस पर मंडी समिति की ओर से उसे शुल्क एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु मंडी समिति की सील लगी होगी ।

८१. <u>मंडी समिति के सचिव द्वारा नकद और लेखा निरीक्षण</u>

मंडी समिति की ओर से शुल्क एकत्र करने के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारियों एवं स्टाफ के नकद एवं लेखा के निरीक्षण और आवधिक जांच की व्यवस्था सचिव द्वारा की जाएगी ।

अध्याय-IX

निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी/निजी ई -मंडी /उपभोक्ता/कृषक मंडी की स्थापना और संचालन तथा प्रत्यक्ष खरीद

८२. अधिनियम की धारा ४५ और ४६ के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन और प्रभार्य शुल्क ।

(१) अधिनियम की धारा ५ के साथ पठित धारा ४५ और ४६ के अन्तर्गत, कोई भी व्यक्ति जो

(i) **एक अथवा अधिक मंडी क्षेत्र में निजी-ई-मंडी सहित निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी स्थापित करना चाहता है; अथवा**

(ii) **धारा ४५ के अन्तर्गत उल्लिखित अथवा उनमें से किसी उद्देश्य के लिए कृषि उपज खरीदने के लिए प्रत्यक्ष खरीद सुविधाओं की स्थापना अथवा**

(iii) **किसी भी मंडी क्षेत्र में उपभोक्ता/कृषक मंडी की स्थापना करना चाहता है, वह**

निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी अथवा उपभोक्ता/कृषक मंडी के लिए प्रपत्र में विहित दस्तावेजों सहित फार्म–क्यू में निजी ई - मंडी के लिए फार्म क्यू-१ में और कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए फार्म-आर में निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी को दो प्रतियों में आवेदन करेगा और साथ में, निम्न तालिका में दिखाए गए स्केल के अनुसार अपेक्षित शुल्क राशि की कीमत का लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके संबंधित ट्रेजरी चालान की प्रति भी संलग्न करेगा ।

तालिका

(i)	**निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी की स्थापना अथवा प्रत्यक्ष खरीद सुविधाएं** **(क) एक मंडी क्षेत्र के लिए** **(ख) एक से अधिक मंडी क्षेत्र के लिए**	 **१०,०००/- रू० प्रतिवर्ष** **५०,०००/- रू० प्रतिवर्ष**
(ii)	**उपभोक्ता/कृषक मंडी की स्थापना**	**२,०००/- रू० प्रतिवर्ष**
(iii)	**निजी ई - मंडी की स्थापना**	**५००००/- रू० प्रतिवर्ष**

८३. निजी ई-मंडी और उपभोक्ता/कृषक मंडी सहित निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना ।

(१) प्रत्येक आवेदन के साथ निम्न संलग्न होना चाहिए ।

(i) **आवेदक के वित्तीय स्तर को दर्शाती विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसके साथ पिछले तीन निर्धारण वर्षों की आयकर रिटर्न अथवा स्थायी सम्पत्ति के सनदी लेखाकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य को दर्शाने वाला विवरण दिया जाएगा ।**

(ii) **निजी मंडी अथवा उपभोक्ता/कृषक मंडी की स्थापना हेतु लाईसेंस के आवेदन के लिए, राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित बैंक गारंटी निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी के पास जमा कराई जाएगी । तथापि, सरकारी संगठन और स्थानीय प्राधिकरण इस उप-नियम से मुक्त रहेंगे ।**

(iii) **निजी मंडी की रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी जैसे मंडी स्थापना के लिए प्रस्तावित सुनिश्चित स्थान और भूविस्तार, प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, पैकिंग, भंडारण आदि सहित अधिसूचित कृषि उपज की खरीद/विक्रय, भंडारण और मूल्यवर्धन द्वारा कृषि उपज के विक्रय/निर्यात के लिए सुविधाओं की स्थापना के लिए खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि और सुविधाएं जैसे निजी मंडी में उपज लाने वाले उत्पादकों के लिए आवास, भोजन व्यवस्था, उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य संरक्षक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण के बाद कृषि उपज की गुणवत्ता के मूल्यांकन एवं निर्धारण के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना हेतु निर्धारित किए गए परिव्यय की जानकारी होनी चाहिए ।**

(iv) **उपभोक्ता/कृषक मंडी रिपोर्ट में सुनिश्चित स्थान और भूविस्तार जिसमें मंडी की स्थापना प्रस्तावित है, नीलामी हॉल, शेड्स, पेयजल सुविधाएं, शौचालय, आंतरिक सड़कों आदि आधारभूत सुविधाओं के लिए निर्धारित परिव्यय आदि के विस्तृत ब्यौरे होने चाहिए ।**

(v) **कहीं और दी गई किन्हीं बातों के बावजूद निजी ई-मंडी की स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और लाईसेंसी प्राधिकारी द्वारा विचारित होगा बशर्ते आवेदक के पास ऑनलाइन व्यापार, निपुण निकासी और व्यवस्थापन और गारंटी प्रणाली है । यह वेयरहाऊस रसीद प्रणाली द्वारा**

समर्थित भंडारित कृषि उपज की सुपुर्दगी की व्यवस्था भी करेगी । इसके पास सुसंगठित और पूंजीगत आढती हाऊस प्रणाली भी होनी चाहिए, जहां पर्याप्त पूंजी के साथ सदस्य/आढ़ती भाग ले सके । ई-मंडी ऑन लाईन तात्क्षणिक कीमत और व्यापार सूचना प्रसार की भी व्यवस्था करेगी । व्यापार से संबंधित कोई भी सूचना मंडी के साथ ऑन लाईन शेयर की जाएगी । संचालन और निर्णय लेने में यह पारदर्शिता बरती जाएगी । निजी ई-मंडी चलाने वाला प्रबंधन विश्वसनीय, प्रभावी और निष्पक्ष होगा तथा उसे वस्तु मंडियों के संचालन का

अनुभव भी होगा । निजी ई-मंडी का स्वामित्व/प्रबंधन और सदस्य/आढ़ती पृथक-पृथक व्यक्ति/निकाय होंगे ।

परन्तु यह भी कि निजी ई-मंडी कृषकों को अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय और खरीद के लिए

निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगी ।

(क) यह प्रमुख स्थानों पर ऑनलाईन व्यापार के लिए मंडी क्षेत्र में व्यापार टर्मिनल स्थापित करेगी, जो कृषकों की पहुंच में हो ।

(ख) यह यथासंभव मंडी क्षेत्र, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित कृषि उपज पर तात्क्षणिक कीमत और व्यापार संबंधी सूचना प्रदान करेगी और मंडी समिति यार्ड के संचालन क्षेत्र में स्थायी इलेक्ट्रानिक कीमत डिस्प्ले बोर्ड भी लगाएगी ।

(ग) यह वेयरहाउसिंग, तुलाई, श्रेणीकरण और प्रमाणन तथा स्वास्थ्य एवं पादप संरक्षण उपाय के लिए प्रबंध करेगी ।

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि कृषकों द्वारा बेची गई कृषि उपज की सुपुदर्गी क्रेताओं द्वारा पूर्ण भुगतान किए जाने के बाद ही हो ।

(ड़) निजी ई-मंडी को उस आधारिक संरचना के निर्माण से छूट होगी जो निजी मंडियों के लिए आवश्यक है । तथापि, इस नियम में यथा निर्देशित सुविधाएं लाइसेंसी द्वारा प्रदान की जाएंगी ।

(च) निजी ई-मंडी का लाइसेंसी कृषकों को छोड़कर शेष मंडी कार्यकर्ताओं से सदस्यता शुल्क, सिक्योरिटी राशि, वार्षिक अंशदान, सीमान्त राशि आदि प्रभार लेने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(छ) कृषक, प्रत्यक्ष रूप से अथवा निजी ई-मंडी द्वारा मान्यता प्राप्त निर्धारित वेयरहाऊस रसीद के माध्यम से सुपुर्दगी करेगा ।

(ज) निजी ई-मंडी उसमें किए गए सभी व्यापारों पर भुगतान की गारंटी देगी अथवा इस उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थापन गारंटी निधि रखेगी । कृषक-विक्रेता, क्रेता की तरफ से किसी भी प्रकार की त्रुटि के बावजूद, सुपुर्दगी पर तीन दिनों के अन्दर पूर्ण भुगतान प्राप्त करेगा ।

(झ) क्रेता द्वारा बताई गई कीमत शुद्ध रूप में कृषक को प्रदान की जाएगी जिसमें मंडी शुल्क, आढ़ती प्रभार आदि शामिल होंगे । परिवहन लागत और वेयरहाऊसों पर दिए जाने वाले अन्य प्रभार क्रेता को देने होंगे और क्रेता कृषक को शुद्ध भुगतान कीमत ही बताएगा ।

(ञ) सदस्यता सभी को आसानी से उपलब्ध होगी जिसमें कृषक अथवा उनके समूह/ सहकारिताएं/कम्पनियां शामिल हैं । कृषकों के लिए सदस्यता शुल्क निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित पदाधिकारी के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा ।

(ट) निजी ई-मंडी अपने मंच से किए गए सभी करारों के निष्पादन की गारंटी देगी । इस उद्देश्य के लिए, निजी ई-मंडी एक व्यवस्थापन गारंटी निधि रखेगी । विक्रेता निर्धारित समय सूची के अनुसार समय पर भुगतान प्राप्त करेगा । क्रेता की किसी भी तरह की त्रुटि के बावजूद लाइसेंसी निजी ई-मंडी कृषकों को समय पर सूची के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करेगी ।

(vi) आवेदन प्राप्त होने पर छानबीन, निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी और सन्तुष्ट होने पर वह इसकी प्रविष्टि यथाशीघ्र प्रपत्र एस/एस.१ के अनुसार रखे गए रजिस्टर में, इसकी प्राप्ति के अधिक से अधिक तीस दिनों के अन्दर करेगा ।

(vii) निदेशक/प्रबंध निदेशक अथवा राज्य सरकार द्वारा पदनामित कोई अन्य अधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा और आवेदन प्राप्त करने की तारीख के ६० दिनों के अन्दर मूल्यांकन के आधार पर परियोजना को शुरू करने के लिए आशय पत्र जारी करेगा ।

(viii) (क) परियोजना के पूरा होने पर, आवेदक निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित पदाधिकारी को सूचित करेगा । सूचना प्राप्त होने पर निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित अधिकारी निरीक्षण के लिए एक अधिकारी को प्राधिकृत करेंगे जो परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सभी सुविधाओं के साथ परियोजना पूरी होने के बारे में स्वयं सन्तुष्ट होने पर रिपोर्ट निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी को सौंपेगा । स्वीकृति पत्र में उल्लिखित अथवा बढ़ाई गई अवधि, जो आशय पत्र के जारी होने से तीन वर्ष तक से अधिक नहीं हो, के अन्दर परियोजना को कार्यान्वित करने में आवेदक के विफल होने पर, निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी, लाइसेंस देने से मना कर सकते हैं और जिसके कारण आवेदक को सूचित कर दिए जाएंगे । आवेदन रद्द करने के मामले में, आवेदन के साथ जमा की गई राशि आवेदक को प्रक्रिया लागत का ५% रखकर वापिस कर दी जाएगी ।

(ख) परियोजना का कार्यान्वयन कार्य पूरा होने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी प्रपत्र टी/टी-१ में ऐसी विशिष्ट शर्तों पर १० वर्षों की अवधि के लिए लाईसेंस जारी कर सकता है । लाईसेंस का नवीकरण १० वर्षों के बाद, हर बार के आवेदन पर अपेक्षित शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा ।

(ix) लाईसेंसी, लाईसेंस प्राप्त होने पर ही लाईसेंस में जैसा भी मामला हो, विनिर्धारित क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के कृषक उत्पादनों के साथ व्यापार अथवा खरीदारी प्रारम्भ कर सकता है । तथापि, परियोजना लागू करने में विफल होने की वजह से लाईसेंस रद्द होने पर, लाईसेंसी, लाईसेंस के तहत खरीदारी करना तुरंत बंद कर देगा ।

(x) निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई व्यक्ति जिसका स्तर विपणन निदेशक/बोर्ड के सहायक निदेशक के पद से कम नहीं होगा, को निजी मंडी यार्ड और उपभोक्ता/कृषि मंडी का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(xi) लाईसेंसी, कृषि-उत्पादकों से की गई खरीदारी का मंडी क्षेत्र-वार मासिक विवरण संबंधित मंडी समिति को प्रस्तुत करेगा और निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी को समेकित विवरण भी प्रस्तुत करेगा तथा संबंधित मंडी समिति को उपनियमों में यथानिर्धारित मंडी शुल्क का भुगतान

आगामी माह की २५ तारीख तक करेगा । वह लागू प्रसंस्कृत वस्तुओं से संबंधित बिक्री विवरण भी प्रस्तुत करेगा ।

परंतु, राज्य की किसी भी मंडी में उस अधिसूचित कृषि उपज पर दूसरी बार कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाएगा जिन पर निजी ई-मंडी सहित निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी में निर्धारित दर पर मंडी शुल्क लगाया और एकत्र किया जा चुका है ।

परंतु, निजी ई - मंडी से इतर लाईसेंसी निजी मंडी यार्ड, कृषकों द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार और उसे विनियमित करने के लिए अपने कार्यकलापों के विकास एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से एकत्रित मंडी शुल्क का २०% अपने पास रखेगा ।

परंतु, उपभोक्ता/कृषक मंडी में बिक्री और खरीद पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगाया जाएगा ।

(xii) लाईसेंसी, नियम ६६ के अनुसार बिक्री दिवस पर बिक्री-पर्ची जारी करके कृषकों को बिक्री का भुगतान करना सुनिश्चित करेगा और केवल ऐसे भत्ते और छूट की अनुमति देगा जिनकी अनुमति नियमों के अन्दर प्रदान की गई है । वह अधिसूचित मंडी क्षेत्र में लागू मंडी प्रभार एकत्र करेगा, रजिस्टर रखेगा और इस प्रकार के सभी विवरण निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी अथवा ऐसे ही अन्य अधिकारी को भेजेगा ।

(xiii) उपभोक्ता/कृषक मंडी में कृषकों को एक ही उपभोक्ता को दस किलोग्राम फल एवं सब्जियां अथवा अन्य नाशवान कृषि उपज और पचास किलोग्राम से अधिक खाद्यान्न अथवा अन्य गैर नाशवान कृषि उपज बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(xiv) निजी ई - मंडी सहित निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी और उपभोक्ता/कृषक मंडी लाईसेंस होल्डर को सीधी खरीद के लिए लाईसेंस नहीं दिया जाएगा ।

२. निजी ई - मंडी अथवा उपभोक्ता/कृषक मंडी/लाईसेंसी निजी मंडी यार्ड से इतर लाइसेंसी निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित आधारिक संरचना का भी विकास करेगी ।

(i) निजी मंडी का मालिक मंडी का उपयोग करने वाले उत्पादकों और व्यक्तियों के हित और सुविधाओं के लिए यार्ड में नीलामी मंच दुकानें, गोदाम, कैंटीन, पीने का पानी, शौचालय, यूरीनल, कम्पोस्ट, पिट्स, स्ट्रीट लाईट इत्यादि जैसी न्यूनतम सामान्य सुविधाएं प्रदान करेगा ।

(ii) उपर्युक्त उप-नियम (i) में उल्लिखित आधारिक संरचना के अतिरिक्त, निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी का मालिक ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान कर सकता है जिनमें वेयर हाऊस, पूर्वशीतन, शीतागार (जिसमें नियंत्रित वातावरण शीतागार शामिल है) उपभोक्ताओं की फल पकाने संबंधी आवश्यकताएं, ग्रेडिंग लाइन वाले पैक हाऊस, किसान चैम्बर्स, किसानों की स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य संरक्षक उपाय को निर्धारित करने के लिए प्रसंस्करण के बाद उपज की गुणवत्ता के मूल्यांकन और निर्धारण के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं स्थापित करना, ग्रेडिंग लाईन वाले पैक हाऊस, किसान भवन, ढुलाई एवं उतराई के स्थान, ई–नीलामी, विभिन्न कृषि उपज की मंडी दरों का ई–डिस्प्ले आदि जैसी मॉडर्न मंडी की सुविधाएं होंगी ।

(iii) उपभोक्ता/कृषक मंडी ऐसी न्यूनतम आधारिक संरचना का निर्माण करेगी जो सामान्यतः 'अपनी मंडी', 'किसान हाट' अथवा 'रिथु बाजार' में प्रदान की जाती है जिनमें कृषकों के लिए स्टॉल और बीज, खाद, ऑरगेनिक फ्रूट एवं वेजीटेबल, मिल्क, फल एवं सब्जी बूथ आदि सहायक सेवाएं भी शामिल हैं ।

८४ कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए लाईसेंस जारी करना

(१) लाईसेंस के लिए आवेदन करते समय, आवेदक, आवेदन के साथ प्रापण के लिए खोले जाने वाले केंद्रों के ब्यौरे भी भेजेगा । वह निदेशक/प्रबंध निदेशक को ऐसे नए केन्द्रों के नाम प्रस्तुत करेगा जिन्हें वह अपने व्यवसाय के दौरान खोलेगा और इनकी सूचना इनके खुलने के तीन दिनों के अन्दर देगा ।

(२) प्रत्यक्ष खरीद का लाईसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई बैंक प्रतिभूति निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी तथापि, राज्य संगठन और स्थानीय प्राधिकरणों को इस उप-नियम से छूट होगी ।

(३) नियम ८२ के अन्तर्गत किए गए आवेदन की जांच करने पर, निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी इस प्रकार के आवेदन की प्राप्ति की तारीख का रिकार्ड बनाए गए रजिस्टर में प्रपत्र 'एस' में रखेंगे । आवेदन की जांच और यह सुनिश्चित होने पर कि आवश्यक लाईसेंस शुल्क जमा किया जा चुका है, निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के अन्दर प्रपत्र 'टी' में इन शर्तों के साथ लाईसेंस जारी करेंगे कि लाईसेंस १० वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा और १० वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण हर बार आवेदन करने और अपेक्षित भुगतान करने पर किया जाएगा । आवेदन को रद्द करने के मामले में, आवेदन के साथ जमा की गई राशि का ५% प्रक्रिया संबंधी लागत के रूप में रखकर शेष राशि वापिस कर दी जाएगी ।

(४) निजी ई-मंडी अथवा उपभोक्ता/कृषक मंडी सहित निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष खरीद लाईसेंस धारी को कोई भी लाईसेंस नहीं दिया जाएगा ।

(५) लाईसेंसी, लाईसेंस की रसीद की प्राप्ति के बाद ही लाईसेंस में निर्धारित क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में कृषि उत्पादकों से व्यापार अथवा खरीदारी जो भी मामला हो, कर सकता है । तथापि, परियोजना का कार्यान्वयन असफल होने की वजह से लाईसेंस के रद्द होने पर लाईसेंसी व्यक्ति लाईसेंस के अन्तर्गत खरीदारी करना तत्काल बंद कर देगा ।

(६) निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी, जो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय/बोर्ड के सहायक निदेशक के पद से कम का नहीं होगा, को लाईसेंसी के परिसर/खरीद केंद्र के निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(७) लाईसेंसी, कृषि उत्पादकों से की गई खरीदारी का मंडी क्षेत्र-वार मासिक विवरण संबंधित मंडी समिति को प्रस्तुत करेगा और निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी को समेकित विवरण भी प्रस्तुत करेगा तथा संबंधित मंडी समिति को उपनियमों में यथानिर्धारित मंडी शुल्क का भुगतान

आगामी माह की २ तारीख तक करेगा । वह लागू प्रसंस्कृत वस्तुओं से संबंधित बिक्री विवरण भी प्रस्तुत करेगा ।

परंतु, राज्य की किसी भी मंडी में उस अधिसूचित कृषि उपज पर दूसरी बार कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाएगा जिस पर निजी ई - मंडी सहित निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी में निर्धारित दर पर मंडी शुल्क लगाया और एकत्र किया जा चुका है ।

(८) लाईसेंसी, नियम ६६ के अनुसार बिक्री दिवस पर बिक्री-पर्ची जारी करके कृषकों को बिक्री का भुगतान करना सुनिश्चित करेगा और केवल ऐसे भत्ते और छूट की अनुमति देगा जिनकी अनुमति नियमों के अन्दर प्रदान की गई है, वह अधिसूचित मंडी क्षेत्र में लागू मंडी प्रभार एकत्र करेगा, रजिस्टर रखेगा और इस प्रकार के सभी विवरण निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी अथवा उनके निदेशानुसार ऐसे अन्य अधिकारी को भेजेगा ।

८५. <u>विवादों का निपटारा</u>

(१) प्रत्यक्ष खरीद लाईसेंस होल्डर, निजी मंडी लाईसेंस होल्डर, उपभोक्ता/कृषक मंडी लाईसेंस होल्डर और मंडी समिति, कृषक, व्यापारी, उपभोक्ता के बीच होने वाले किसी भी विवाद को शिकायतकर्ता स्वयं अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लिखित में निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी को आवश्यक दस्तावेजों और २० रूपये (मात्र बीस रूपये) की कोर्ट फीस सहित विवाद होने की तारीख से ३० दिनों के अन्दर दे सकता है ।

(२) निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी शिकायतकर्ता की शिकायत प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर संबंधित पक्षों की राय सुनकर और आवश्यक जांच करके अपना निर्णय देंगे । निदेशक/प्रबंध निदेशक/पदनामित प्राधिकारी अपनी ओर से भी ऐसे विवादों पर विचार कर सकते हैं और तीस दिनों की अवधि के अन्दर अपने निर्णय दे सकते हैं ।

(३) विवादों में शामिल हैं :-

(क) प्रत्यक्ष खरीद अथवा निजी मंडी अथवा उपभोक्ता कृषक मंडियों में लेन-देन करते समय कृषक से कृषि उपज की खरीदारी के लिए कृषकों को किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में विवाद ।

(ख) क्षेत्राधिकार (संचालन क्षेत्र) के संबंध में विवाद ।

(ग) कृषि उपज के वजन, कीमत, प्रभार, शुल्क, कर आदि के संबंध में विवाद ।

(घ) अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत आने वाले विवाद ।

८६. <u>लाईसेंस का नवीकरण</u>

(१) अधिनियम की धारा ४५ और ४६ के अन्तर्गत प्रदान किया गया लाईसेंस उस अवधि के लिए वैध होगा जिसके लिए यह जारी किया गया है और यह धारा ४७ के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश के अध्यधीन होगा और नियम ८२ में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसके जारी करने वाले प्राधिकरण को फार्म यू/यू- I में आवेदन किए जाने पर इसका नवीकरण किया जाएगा ।

(२) लाईसेंस समाप्त होने की देय तारीख से कम से कम तीस दिनों के अंदर लाईसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा ।

परंतु लाईसेंस का नवीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, आवेदक द्वारा ५०००/- (पांच हजार रूपये केवल) रूपए के जुर्माने के भुगतान पर लाईसेंस खत्म होने के बाद तीन माह की अवधि के अन्दर लाईसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन पर विचार कर सकता है ।

टिप्पणी : इस नियम के तहत प्रदान किए गए लाईसेंस का प्रत्येक नवीकरण, लाईसेंस/पंजीकरण की वैधता समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से प्रभावी होगा ।

८७. लाईसेंसी की सदस्यता, नाम और शैली में परिवर्तन

(१) लाईसेंसी फर्म, कंपनी अथवा संघ अथवा व्यक्ति समूहों, निगमित या गैर निगमित, अन्यथा विरासत में प्राप्त होने की स्थिति को छोड़कर सदस्यता में कोई परिवर्तन, एक नई फर्म के सृजन के समान होगी और जिसके लिए एक नया लाईसेंस लिए जाने की आवश्यकता होगी ।

परंतु, हिन्दू संयुक्त परिवार के मामले में, एक नये सदस्य के जन्म के कारण सदस्यता में हुई वृद्धि को सदस्यता में परिवर्तन नहीं माना जाएगा ।

(२) लाईसेंसी फर्म अथवा कंपनी की मूल सदस्यता में कोई परिवर्तन न होने के बावजूद उप-नियम (१) के परंतुक के तहत शामिल परिस्थितियों को छोड़कर जब सदस्यता, अथवा नाम में अथवा शैली में

परिवर्तन होता है तो, इस तथ्य को पंद्रह दिनों के भीतर संबंधित मंडी समिति के सचिव के ध्यान में लाया जाएगा । आवेदन में लिखे तथ्यों की परिशुद्धता से स्वयं संतुष्ट होने पर सचिव इसे मूल रूप में, टिप्पणी के साथ निदेशक/प्रबंध निदेशक को विचारार्थ अग्रेषित करेगा ।

(३) आवेदन स्वीकृत होने पर निदेशक/प्रबंधक निदेशक मूल लाईसेंस में उचित पृष्ठांकन करेगा तथा मंडी समिति और बोर्ड द्वारा रखे गए संगत रजिस्टरों में भी परिवर्तन को दर्ज किया जाएगा ।

(४) निर्धारित समय-सीमा के अन्दर, उपर्युक्त उप-नियम (२) के अनुसार रिपोर्ट दर्ज न होने पर विद्यमान लाईसेंस को समाप्त माना जाएगा ।

८८. <u>लाईसेंस लंबित अथवा रद्द करना</u>

(१) निरीक्षण अधिकारी अथवा लेखा परीक्षक अथवा किसी अन्य से रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि निदेशक/ प्रबंध निदेशक सन्तुष्ट है कि लाईसेंसी प्रत्यक्षतः ऐसी किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है जिसके अध्यधीन लाईसेंस प्रदान किया गया है अथवा नवीकृत किया गया है अथवा अधिनियम की धारा ४८ के (क) से (च) खंड में दिए गए किसी भी आधार पर उसमें कमी दिखाई देती है तो वह चूककर्ता लाईसेंस धारी को १४ दिन का समय देते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है कि उनको दिया गया अथवा उनके नाम पर नवीकृत किया गया लाईसेंस क्यों लंबित अथवा रद्द न किया जाए ।

(२) लाईसेंसी को सुनवाई का विवेकपूर्ण अवसर देने के बाद यदि निदेशक/प्रबंध निदेशक, सन्तुष्ट होता है कि आरोप का कोई आधार नहीं है तो वह कार्यवाही को रोक सकता है अथवा, अन्यथा वह लाईसेंस को लंबित या रद्द कर सकता है ।

८९. धारा ४५, ४६ और ४८ के अन्तर्गत पारित आदेशों के खिलाफ अपील के लिए प्रक्रिया

(१) सरकारी कोष में चालान द्वारा ५०/- रू० (केवल पचास रूपये) के शुल्क के भुगतान सहित, अधिनियम की धारा ४५ अथवा ४६ अथवा ४८ के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध की गई अपील, अपील के आधारों को ज्ञापन के रूप में यथार्थ और संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए सरकार को

प्रस्तुत की जाएगी जो अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी । प्रतिवाद आदेश की एक प्रामाणिक प्रति अनिवार्य रूप से अपील ज्ञापन के साथ संलग्न की जाए ।

(२) इस नियम के अन्तर्गत की गई/किसी भी अपील पर तभी विचार किया जाएगा जब वह अपीलकर्ता द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की गई हो ।

(३) मामलों के तथ्यों, परिस्थितियों और रिकार्ड पर ध्यान रखते हुए और संबंधित आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणियों पर विचार करके और ऐसी छानबीन करने के बाद, जो वह उचित समझे, अपील प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का उपयुक्त अवसर देने के बाद संबंधित आदेश की पुष्टि में अथवा उसे एक तरफ करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है ।

अध्याय X

मंडी समिति की निधियां, बजट और लेखा

९०. मंडी समिति का बजट

मंडी समिति की बैठक वर्ष में एक बार लेकिन वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से कम से कम दो माह से

पहले अगले वर्ष की आय और व्यय का बजट तैयार एवं अंगीकृत करने के लिए निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा

विनिर्धारित रूप में होगी और समिति वर्ष की समाप्ति होने से ३० दिन की अवधि के अन्दर रिपोर्ट पहले निदेशक/

प्रबंध निदेशक को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी ।

परन्तु, यदि मंडी समिति को बजट प्रस्तुत करने की तारीख से ३० दिनों के अन्दर निदेशक/प्रबंध निदेशक

की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो वह मंडी समिति द्वारा पारित बजट के अनुसार अनंतिम रूप से व्यय करने के

लिए सक्षम होगी ।

९१. मंडी समिति का बजट सम्मेलन

निदेशक/प्रबंध निदेशक प्रत्येक मंडी समिति के बजट अनुमान से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए

मंडी समिति के प्रतिनिधियों के एक अथवा एक से अधिक सम्मेलन बुला सकता है और ऐसी प्रत्येक मंडी समिति

के संसाधनों और आवश्यकताओं पर विचार करते हुए जहां कहीं आवश्यक हो परिवर्तन कर सकता है ।

९२. पूरक अनुदान सहित बचत का, व्यय की एक मद से दूसरी मद में पुनर्विनियोग

मंडी समिति अपने बजट के प्रावधानों के अनुसार और निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर जारी

अनुदेशों के अनुसार अपने व्यय को विनियमित करेगी । कोई भी ऐसा खर्च नहीं किया जाएगा जिसके लिए कोई

बजट प्रावधान नहीं है जब तक कि इसे अन्य शीर्षों के तहत बचत से पुनर्विनियोग करके अथवा उपलब्ध आरक्षित

राशि से पूरक अनुदान द्वारा पूरा न किया जाए । बशर्ते इस तरह की मांग मंडी समिति द्वारा की गई हो और

उसकी स्वीकृति निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा दी गई हो ।

९३. लेखा का प्रकाशन और मंडी समिति की लेखा परीक्षा

(१) मंडी समिति इस प्रकार के लेखा को, ऐसे रूप और ऐसे ढंग से रखेगी जैसा कि इस निमित्त सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा मंडी समिति के लेखा की लेखा-परीक्षा के लिए विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो । मंडी समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्ववर्ती माह के अंत होने से पहले हर वर्ष इसकी **सम्पत्ति और देनदारियों का विवरण बैलेन्स सीट के साथ वर्ष के अन्तिम दिन पर तैयार एवं प्रकाशित करेगी ।**

(२) सचिव, ऐसे सभी लेखा, रजिस्टर, दस्तावेजों और अन्य कागजात को प्रस्तुत किए जाने का प्रबंध करेगा जो मंडी समिति के लेखा की लेखा-परीक्षा के लिए निदेशक/प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हों । वह ऐसे लेखों में पाई गई असंगति को निपटाने के लिए निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण भी तुरंत प्रस्तुत करेगा ।

९४. <u>मंडी समिति के लेखों का प्रस्तुतीकरण</u>

सचिव, निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा मंडी समिति के लेखों की लेखा-परीक्षा के लिए प्राधिकृत किए गए

लेखापरीक्षक द्वारा मांगे गए मंडी समिति के ऐसे सभी लेखों को प्रस्तुत करेगा ।

९५. लेखा-परीक्षक द्वारा दस्तावेजों को मंगवाने का अधिकार

(१) लेखा-परीक्षक

(i) **लिखित में सम्मन जारी करके, उस पुस्तक, विलेख, संविदा, लेखा-बाऊचर, रसीद अथवा अन्य दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के लिए कह सकता है जिसका अवलोकन अथवा मूल्यांकन वह आवश्यक समझता है ।**

(ii) **लिखित में सम्मन जारी करके वह ऐसे व्यक्ति को अपने सामने व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत होने के लिए कह सकता है जिसका ऐसे किसी दस्तावेज पर अधिकार अथवा नियंत्रण है अथवा जो इसके लिए उत्तरदायी है ।**

(iii) **वह ऐसे उपस्थित होने वाले व्यक्ति से संबंधित दस्तावेज के संबंध में घोषणा करने अथवा घोषणा पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी भी प्रश्न का जवाब देने अथवा उससे संबंधित किसी विवरण को तैयार करके भेजने की अपेक्षा कर सकता है ।**

२. इस नियम के तहत जो व्यक्ति उससे विधितः मांगी गई सूचना को देने में असफल रहता है उस पर अधिक से अधिक ५०/- रूपये (केवल पचास रूपये) तक का जुर्माना हो सकता है ।

९६. लेखा परीक्षक द्वारा सामग्री की अनुपयुक्ता अथवा अनियमतता, कमी, अपव्यय अथवा निधियों के दुरूपयोग की सूचना दिया जाना ।

(१) लेखा परीक्षक व्यय में अथवा मंडी समिति को देय धन की वसूली में अथवा मंडी समिति की लेखा पुस्तिकाओं में पाई गई कोई भी सामान संबंधी अनुपयुक्तता अथवा अनियमितता की सूचना, मंडी समिति और निदेशक/प्रबंध निदेशक को देगा ।

(२) लेखा परीक्षक मंडी समिति की स्वयं की संपत्ति अथवा निहित संपत्ति के किसी भी प्रकार के नुकसान. अपव्यय अथवा धन के दुरूपयोग की सूचना मंडी समिति और निदेशक/प्रबंध निदेशक को देगा और यदि ऐसा नुकसान अपव्यय अथवा दुरूपयोग किसी व्यक्ति द्वारा की गई उपेक्षा अथवा दुर्व्यवहार का सीधा परिणाम है, अथवा जो व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे नुकसान, अपव्यय अथवा दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी है, उसका नाम भी बताएगा ।

९७. मंडी समिति के सचिव का उत्तरदायित्व-दोषों अथवा अनियमितताओं को दूर करना

लेखा-परीक्षक द्वारा बताए गए किसी भी प्रकार के नुकसान अथवा अनियमितताओं को मंडी समिति के
सचिव द्वारा तुरंत दूर किया जाएगा और इसकी सूचना मंडी समिति को दी जाएगी ।

९८. किसी भी प्रकार की अप्राधिकृत वस्तु अथवा उस पर लगाये गये सरचार्ज को स्वीकृति प्रदान न करने का लेखा-परीक्षक का अधिकार

(१) लेखा परीक्षक प्रत्येक कानून-विरूद्ध वस्तु को अस्वीकृत कर सकता है और गैर-कानूनी भुगतान करने वाले व्यक्ति अथवा उसको प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर सरचार्ज लगा सकता है और किसी कमी अथवा किसी व्यक्ति की उपेक्षा अथवा दुर्व्यवहार के कारण हुआ अलाभकारी परिव्यय अथवा कोई राशि, जो खर्च की गई हो लेकिन उस व्यक्ति द्वारा लेखे में नहीं लाई गई हो, के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध आरोप लगा सक ता है और ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसे व्यक्ति द्वारा देय राशि को प्रमाणित कर सकता है ।

स्पष्टीकरण

इस तथ्य का पता करने के लिए कि किसी व्यक्ति की लापरवाही अथवा दुराचरण के बावजूद भी कमी अथवा नुकसान न हुआ होता लेकिन यह किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही अथवा दुराचरण

के कारण घटित हुआ है, किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बताया जाएगा कि किसकी उपेक्षा अथवा दुर्व्यवहार से ऐसी त्रुटि अथवा कमी आई है ।

(२) लेखा-परीक्षक प्रत्येक अस्वीकृति, सरचार्ज अथवा प्रभार के संबंध में अपने निर्णय का आधार लिखित में देगा और उसकी प्रति उस व्यक्ति को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा देगा जिसके विरूद्ध यह कार्रवाई की गई है ।

(३) यदि कोई व्यक्ति जिसे लेखा-परीक्षक के निर्णय की प्रति भेजी गई है, उसे प्राप्त करने से मना करता है तब भी उसे उप-नियम (२) के तात्पर्य के तहत ऐसे निर्णय की प्रति विधिवत भेजी गई है, ऐसा माना जाएगा । नियम ९८ और ९९ में संदर्भित १४ दिन की अवधि की गणना अस्वीकृत करने की तारीख से की जाएगी ।

९९. लेखा-परीक्षक के आदेशों के विरूद्ध अपील

अस्वीकृति, सरचार्ज अथवा नियम ९७ के उप-नियम (२) और (३) के तात्पर्य के अन्दर ऐसे निर्णय की विधिवत् प्रेषित प्रति और आरोप से पीड़ित व्यक्ति, लेखा-परीक्षक के निर्णय प्राप्त करने के १४ दिनों के अन्दर निदेशक/प्रबंध निदेशक को अपील कर सकता है । संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करके निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा इस प्रकार की अपील पर पारित किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा ।

१००. कोष में जमा किया जाने वाला भुगतान

इन नियमों के अन्तर्गत, लेखा-परीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा देय प्रमाणित की गई प्रत्येक राशि ऐसे व्यक्ति द्वारा, लेखा-परीक्षक के निर्णय की सूचना उसे दिये जाने के १४ दिन के अन्दर मंडी समिति निधि में जमा कर दी जाएगी । यदि इस समय के अन्दर, ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे निर्णय के विरूद्ध निदेशक/प्रबंध निदेशक को अपील न की गई हो और ऐसी राशि भुगतान न की गई हो अथवा राशि जिसे निदेशक प्रबंध निदेशक द्वारा देय घोषित किया जाए, वह राशि निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा कोर्ट को आवेदन किए जाने उसी प्रकारपर वसूली योग्य होगी जैसा कोर्ट आदेश करेगा ।

१०१. मंडी समिति द्वारा लेखा-परीक्षक को अर्ध-वार्षिक विवरण जमा किया जाना

लेखा-परीक्षक द्वारा जारी किए जाने वाले सरचार्ज प्रमाण पत्रों द्वारा कवर की गई सभी राशियों की समयबद्ध वसूली की निगरानी में लेखा-परीक्षक की सहायता के लिए, मंडी समिति द्वारा लेखा-परीक्षक और निदेशक/प्रबंध निदेशक को एक अर्द्धवार्षिक विवरण भेजा जाएगा । वसूली जिसके

लिए मंडी समिति उत्तरदायी है को प्रभावित करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरणी में विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा । प्रत्येक वर्ष की विवरणी में छमाही के अंत में बकाया सभी सरचार्ज शामिल होंगे और

संबंधित छमाही के आगामी माह की १० तारीख तक उसे लेखा-परीक्षक को भेज दिया जाएगा । विवरणी में देय राशियों की वसूली के स्तर के संबंध में विस्तृत सूचना शामिल होगी और विवरणी के साथ यह प्रमाणपत्र भेजा जाएगा कि राशियों की वसूली कालतीत नहीं हुई है । जहां कोई भी राशि की वसूली शेष नहीं होगी वहां 'शून्य' विवरणी भेज दी जाएगी । जैसे ही पूरी राशि की वसूली हो जाती है, मंडी समिति इस तथ्य की सूचना लेखा-परीक्षक और निदेशक/प्रबंध निदेशक को देगी ।

१०२. मंडी समिति का अधिशेष फंड

मंडी समिति के कार्यालयी वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस पर सभी खर्च न की गई शेष राशि को निदेशक/प्रबंध निदेशक की स्वीकृति से बैंकों में अथवा ब्याज वाली प्रतिभूतियों में निवेश कर दिया जाएगा ।

१०३. केन्द्रीय मंडी निधि

मंडी समिति प्रत्येक माह के अंत में इसके द्वारा प्राप्त सारे धन के आधार पर योगदान राशि का मूल्यांकन करेगी और उसे केंद्रीय मंडी निधि में जमा करेगी ।

१०४. <u>केंद्रीय मंडी निधि में अंशदान</u>

(१) प्रत्येक मंडी समिति वर्ष में प्राप्त आय को आगामी वर्ष के २० अप्रैल से पहले केन्द्रीय मंडी निधि में जमा करेगी ।

(२) प्रत्येक मंडी समिति अपना अलग रजिस्टर रखेगी जिसमें प्रत्येक वर्ष की आय और प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय मंडी निधि को भेजा गया अंशदान दिखाया गया होगा ।

(३) यदि मंडी समिति निर्धारित समय के अन्दर केन्द्रीय मंडी निधि को अपना अंशदान नहीं भेजती है तो उक्त राशि ६% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा मंडी समिति से वसूली जाएगी ।

१०५. <u>केन्द्रीय मंडी निधि का अनुप्रयोग और प्रशासन</u>

(१) केन्द्रीय मंडी निधि निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी एक अथवा सभी के लिए प्रयोग की जा सकती है ।

(i) अधिनियम के अन्तर्गत, मंडी समिति के गठन के बाद पहले वर्ष में मंडी समिति अथवा मंडी के

कार्यालय की स्थापना के लिए प्रारम्भिक व्यय हेतु मंडी समिति को अनुदान-सहायता ।

(ii) रू० २०,०००/- (बीस हजार रूपये केवल) तक की अनुदान सहायता उन मंडी समितियों को

स्वीकृत की जाएगी जो घाटे में हैं अथवा जिनमें पुनर्भुगतान क्षमता की कमी है । ऐसे अनुदान मंडी यार्ड के उपयोगकर्ताओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे ।

(iii) मंडी समिति को ऋण मंडी यार्ड के लिए स्थलों के अधिग्रहण और उनके विकास के लिए उस

दर पर प्रदान किये जाएंगे जिस दर पर विकास कार्यों के लिए स्थानीय निकायों को, सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं ।

(iv) केन्द्रीय मंडी निधि और राज्य कृषि विपणन बोर्ड के रख-रखाव और संचालन पर होने वाला

व्यय ।

(v) श्रेणीकरण, मंडी समाचार, प्रचार, विकास कार्य, चल और अचल सम्पत्तियों की खरीद और

उसके लिए आवश्यक स्टॉफ की नियुक्ति पर किया जाने वाला खर्च ।

(vi) अन्य राज्यों से आने वाले विपणन शिष्टमंडलों और अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों को लेने जाने और

उनके आतिथ्य सत्कार पर होने वाला खर्च ।

(vii) ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए जिन्हें सरकार द्वारा सामान्य रूप से कृषि विपणन को बढ़ाने के लिए

सामान्य अथवा विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(viii) मंडी क्षेत्र में आधारिक सुविधाओं का विकास एवं निर्माण ।

(ix) मंडी सर्वेक्षण और अनुसंधान, श्रेणीकरण एवं मानकीकरण, कृषि एवं सम्बद्ध उपज का प्रमाणन ।

(x) मंडी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन के लिए हाट/शैन्डीस का विकास ।

(xi) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित गुणवत्ता-जांच एवं संचार आधारिक संरचना का विकास ।

(xii) कृषि एवं संबद्ध उपज के विपणन के लिए उपयोगी मीडिया, साइबर और दूरस्थ आधारिक संरचना का विकास ।

२. निदेशक/प्रबंध निदेशक २०,०००/- रूपये (बीस हजार रूपये केवल) से अधिक किसी भी अनुदान

सहायता अथवा ऋण की स्वीकृति देने से पहले सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

३. घाटे की मंडी समिति को अनुदान सहायता तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी ।

१०६. <u>केन्द्रीय मंडी निधि का बजट</u>

निदेशक/प्रबंध निदेशक केन्द्रीय मंडी निधि की आय और व्यय का वार्षिक बजट तैयार करेंगे और सरकार को स्वीकृति हेतु प्रत्येक वर्ष ३० अप्रैल से पहले प्रस्तुत करेंगे ।

परन्तु निदेशक/प्रबंध निदेशक बजट में की गई व्यवस्था के अनुसार अनंतिम रूप से व्यय करने में सक्षम होंगे जिसकी स्वीकृति बाद में सक्षम प्राधिकारी से ली जाएगी ।

अध्याय XI

राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन और कार्य

१०७. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का संघटन

राज्य कृषि विपणन बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित १८ से अधिक सदस्य नहीं होंगे ।

(i) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति – कृषि/कृषि विपणन के प्रभारी मंत्री और कृषि/कृषि विपणन के प्रभारी राज्य मंत्री, बोर्ड के क्रमशः पदेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे ।

अथवा

बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन मंडी समिति के कृषक अध्यक्षों/सदस्यों द्वारा किया जाएगा । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया बोर्ड के विनियमों में निर्धारित की जाएगी ।

(ii) छः से दस सदस्यों का नामांकन राज्य सरकार द्वारा मंडी समितियों के अध्यक्षों में से किया जाएगा ।

अथवा

छः में से दस सदस्यों का चयन बोर्ड के विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित ढंग से मंडी समिति में

कृषकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्षों/सदस्यों में से किया जाएगा ।

(iii)निम्नलिखित बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे ।

(क) आयुक्त कृषि उत्पादन, निदेशक कृषि,

(ख) सचिव, कृषि विभाग अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका स्तर उपसचिव, प्रभारी, कृषि विपणन से कम न हो ।

(ग) कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार अथवा उनका नामित व्यक्ति ।

(घ) नाबार्ड का प्रतिनिधि जिसका स्तर उप महा प्रबंधक के पद से कम नहीं होगा ।

(ड़) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार; और

(च) राज्य कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक/प्रबंध निदेशक ।

१०८. <u>राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्त्तव्य</u>

बोर्ड का अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष

(i) संगठन के कुशल प्रशासन और अधिनियम के उपबंधों और इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन और

बोर्ड औंर मंडी समिति के कर्मचारियों पर नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(ii) मंडी समिति के बजट के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

(iii)बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे,

(iv)बोर्ड की बैठक के पीठासीन अधिकारी होंगे ।

परन्तु, राज्य सरकार अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के सामंजस्य से बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकार, कर्त्तव्य और कार्य के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर सकती हैं जो बोर्ड पर लागू होंगे ।

१०९. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल

(i) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल उस पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की अवधि के साथ ही समाप्त होगा जिस पद के आधार पर वे पदेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं ।

अथवा

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल उन सदस्यों के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा जिन्होंने उन्हें चुना है ।

(ii) कृषकों का प्रतिनिधित्व करने वाले चयनित अथवा नामित सदस्य तब तक पदों पर रहेंगे जब तक कि वे मंडी समिति के सदस्य बने रहते हैं । तथापि, उनका कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन/पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा ।

(iii) बोर्ड के सरकारी सदस्य तब तक पद पर रहेंगे जब तक वे उस कार्यालय में हैं जिसके आधार पर वे पदेन सदस्य बनाए गए हैं ।

११०. <u>प्रबंध निदेशक की नियुक्ति और उसके अधिकार</u>

(i) राज्य सरकार प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करेगी जो बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह-सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(ii) प्रबंध निदेशक की शक्तियां : अधिनियम की धारा ८३ और धारा ८५ के उपबंधों के अध्यधीन प्रबंध निदेशक बोर्ड के निर्विघ्न और कुशल कार्य के लिए जिम्मेदार होगा और इस संदर्भ में ऐसे प्रशासनिक, वित्तीय और सामान्य प्रकृति के अधिकारों का प्रयोग करेगा जो बनाए गए अधिनियम अथवा नियमों के अन्तर्गत उसमें निहित हैं और समय-समय पर बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये

गये हैं । बोर्ड से संबंधित मामले में बोर्ड के प्रबंध निदेशक को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो बोर्ड से संबंधित मामलों में कृषि विभाग के कार्यालयाध्यक्ष को प्राप्त होते हैं ।

१११. <u>राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बैठक</u>

(i) बोर्ड की बैठक का नोटिस सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्यों को सामान्यतः बैठक की तारीख से दस दिन पहले उक्त बैठक की प्रस्तावित व्यवसाय कार्यसूची सहित भेज दिया जाएगा । परन्तु विशेष बैठक, लिखित में एक दिन का नोटिस देकर आयोजित की जा सकती है ।

(ii) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तक में रिकार्ड की जाएगी, जिसे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और बैठक के बाद उसकी प्रति यथाशीघ्र प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी । कार्यवृत्त पुस्तक स्थायी रूप से संरक्षित की जाएगी और जब तक अन्यथा व्यवस्था न की जाए तब तक सदस्य सचिव की अभिरक्षा (कस्टडी) में रहेगी ।

(iii) यदि सदस्य लिखित में नोटिस देकर इस आधार पर कार्यवृत्त में संशोधन की मांग करता है कि रिकार्ड, बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुकूल नहीं है, तो मामला बोर्ड के समक्ष इसकी अगली बैठक में रखा जाएगा और उसका निर्णय अन्तिम एवं निर्णायक होगा ।

112. मामले जिन पर राज्य कृषि विपणन बोर्ड विनियम बना सकता है

अधिनियम की धारा ७४ में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त, बोर्ड निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकता है ।

(i) कृषि उपज का बेहतर विपणन जिसमें सहकारी पद्धति पर कृषि उपज का विपणन भी शामिल है;

(ii) कृषि उपज का श्रेणीकरण और मानकीकरण;

(iii) मंडियों अथवा उनकी संबंधित अधिसूचित मंडी क्षेत्रों में सामान्य सुधार ।

(iv) मंडी समिति फंड में से संपर्क सड़कों और पहुंच मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत पर होने वाला

खर्च ।

(v) बोर्ड के भवन का अनुरक्षण एवं विनियमन ।

(vi) वित्तीय रूप से कमजोर मंडी समितियों को दी जाने वाली सहायता की प्रक्रिया ।

(vii) बोर्ड अथवा सलाहकार समितियों के सदस्यों को देय भत्ता ।

(viii) कृषि एवं कृषि विपणन के सुधार के लिए प्रचार, प्रदर्शनी, प्रदर्शन और शिक्षा ।

(ix) मंडी समितियों के सचिवों और अन्य कर्मचारियों के ग्रेड तय करने के उद्देश्य से समितियों की

आय के आधार पर मंडी समितियों का वर्गीकरण और मंडी समिति से केंद्रीय मंडी फंड को देय योगदान ।

(x) व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिसके /जिनके द्वारा, और वह तरीका जिसके अनुसार बोर्ड की तरफ

से संविदा की जाएगी ।

(xi) अन्य कोई उद्देश्य जो, बोर्ड की राय में बोर्ड अथवा मंडी समिति के हितों को प्रोत्साहित करता है,

अथवा जिससे सामान्यतः कृषि और कृषि विपणन में सुधार होता है ।

(xii) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया; और

(xiii) अन्य मामले जिनके लिए विनियम में व्यवस्था की जानी है अथवा की जाएगी ।

११३. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का बजट

(१) अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट को अन्तिम रूप देने के लिए बोर्ड की बैठक प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले सप्ताह में अनिवार्य रूप से होगी ।

(२) बोर्ड द्वारा तैयार अन्तिम बजट, बजट वर्ष से पूर्ववर्ती फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(३) बोर्ड द्वारा तब तक कुछ भी खर्च नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे पूरा करने के लिए बजट में व्यवस्था नहीं है ।

(४) बोर्ड एक लेखा शीर्ष से दूसरे लेखा शीर्ष में किसी भी राशि को पुनर्नियोजित कर सकता है ।

११४. <u>विपणन निदेशक/प्रबंध निदेशक के अधिकार और कार्य</u>

अधिनियम की धारा ८५ के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अतिरिक्त निदेशक विपणन/प्रबंध निदेशक बोर्ड के लिए निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त ऐसे कार्य भी कर सक ते हैं जो अधिनियम के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन में मदद करेंगे । निदेशक, विपणन/प्रबंध निदेशक के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) नई मंडी समिति के गठन के समय प्रभारी अधिकारी अथवा समिति प्रभारी की नियुक्ति ।

(ii) मंडी समिति के चयन की वैधता निर्धारित करना, यदि किसी कानूनी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा प्रश्न उठाया गया है ।

(iii) मंडी समिति और बोर्ड द्वारा खातों के अनुरक्षण के लिए ढंग और रीति निर्धारित करना ।

(iv) संविदा कृषि, निजी मंडी, कृषकों से प्रत्यक्ष खरीद और उपभोक्ता/कृषक मंडी के लिए लाईसेंस/ पंजीकरण प्रदान करने के लिए निर्धारित लाईसेसिंग/पंजीकरण प्राधिकारी अधिसूचित करने के लिए संबंधी कार्रवाई करना ।

(v) संविदा कृषि, निजी मंडी, कृषकों और उपभोगकर्ताओं/कृषक मंडी से प्रत्यक्ष खरीद के अन्तर्गत विवादों को निपटाने के लिए विवाद निपटान प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी को अधिसूचित करने के लिए संबंधी कार्रवाई करना ।

(vi) बोर्ड के आदेश से दुखी किसी व्यक्ति से अपील स्वीकार करना ।

(vii) मंडी को विशेष मंडी अथवा विशेष वस्तु मंडी; के रूप में अधिसूचित करना अथवा अधिसूचित करने के लिए कार्रवाई करना ।

(viii) धारा ८५ (२) के अन्तर्गत कवर किए गए सभी अन्य कार्यकलाप ।

११५. <u>कृषि उपज विपणन मानक ब्यूरो की स्थापना</u>

(१) बोर्ड, कृ षि उपज विपणन मानक ब्यूरो की स्थापना करेगा, पेशेवर योग्य कार्मिकों की नियुक्ति करेगा और अपेक्षित सुविधाओं और आधारभूत संरचना की भी व्यवस्था करेगा जिसमें एक अथवा एक से अधिक सुसज्जित प्रयोगशालाएं भी शामिल होंगी ।

(२) ब्यूरो अधिनियम के उपबंधों और नियमों के अध्यधीन और बोर्ड के अधीक्षण और नियंत्रण के अन्तर्गत बोर्ड के निदेशों के अनुसार कार्य करता है और उसे ऐसे प्रयोग, परीक्षण और निरीक्षण

करने का अधिकार प्राप्त होगा जो उसके कार्यों के प्रभावकारी और शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक हो सकते हैं ।

अध्याय XII

मंडी समिति के महत्वपूर्ण कार्य

११६. कार्य

(१) (i) मंडी समिति द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों के लिए सभी योजनाएं और अनुमान जहां कहीं व्यवहार्य अथवा उपयोगी हो निदेशक/प्रबंध निदेशक के कार्यालय के इंजीनियरी कक्ष द्वारा डिजाइन किया जाएगा । ऐसे मामले जहां यह इंजीनियरी कक्ष समझता है कि लोक निर्माण विभाग अथवा सड़क अथवा भवन विभाग अथवा लोक स्वास्थ्य विभाग के किसी इंजीनियर की तकनीकी सलाह आवश्यक है, तो मामले को उस विभाग को सौंपा जा सकता है ।

(ii) सभी मौलिक कार्यों और मरम्मत की तकनीकी स्वीकृति निदेशक/प्रबंध निदेशक के कार्यालय के इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाएगी ।

(iii) कोई भी कार्य जिसके लिए योजनाएं और अनुमान पहले से तैयार नहीं किए गए हैं अथवा जिनके लिए तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई है, बजट में शामिल नहीं किया जाएगा ।

(२) मंडी समिति, लोक निर्माण विभाग के परामर्श से निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा विनिर्धारित प्रपत्र

और प्रक्रिया के अनुसार टेंडर आमंत्रित करेगी ।

(३)(i) निदेशक/प्रबंध निदेशक और योग्य तकनीकी अधिकारी जो मंडी समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त ओवरसीयर अथवा पर्यवेक्षक के रैंक से कम नहीं होगा, के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा ।

(ii) ऐसा कार्य जिसका अनुमोदित अनुमान २,००,०००/- (दो लाख रूपये मात्र) रूपये से अधिक है, का निरीक्षण खुदाई और छत स्तर पर निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत मंडी अभियन्ता मंडी द्वारा समिति की सूचना पर किया जाएगा । नींव उक्त अभियन्ता के निरीक्षण में ही भरी जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में छत भी नहीं डाली जाएगी ।

परंतु, किसी कार्य का अनुमोदित अनुमान २,००,०००/- (दो लाख रूपये केवल) से अधिक नहीं

है तो मंडी समिति समय-समय पर निदेशक/प्रबंधक निदेशक द्वारा दी गई तकनीकी सलाह के अनुसार अपने स्वयं के निरीक्षण में उस कार्य को करने के लिए सक्षम होगी ।

परंतु यह भी कि कार्य के लिए अन्तिम भुगतान मंडी समिति द्वारा अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर किया जाएगा, लेकिन यह कार्य इस संबंध में निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत इंजीनियर द्वारा जांच के बाद ही किया जाएगा ।

अध्याय-XIII

निरसन और बचत

११७. पूर्व नियमों को निरस्त करना

इन नियमों के लागू होने पर अधिनियम की धारा १११ के उपबंधों के अध्यधीन ।

(i) ---------- राज्य कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन), नियमावली

---------- वर्ष एतदद्वारा निरस्त किया जाता है ।

(ii) इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त नियमों के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कार्रवाई इन नियमों के अन्तर्गत किया गया अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी और नियम तब तक लागू रहेगा जब तक इन नियमों के अन्तर्गत किया गया कार्य अथवा की गई कार्रवाई द्वारा उसका अधिक्रमण नहीं हो जाता ।

अनुलग्नक

---------- राज्य कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) नियम, २००७ के तहत प्रपत्र

फार्म ए
(नियम ६(८)(i) देखें)

मंडी समिति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार द्वारा भरा जाने वाला नामांकन प्रपत्र

१. निर्वाचक मंडल का नाम
२. उम्मीदवार का पूरा नाम
३. पिता अथवा पति का नाम
४. आयु
५. लिंग
६. समुदाय
७. व्यवसाय और पता
८. प्रस्तावक का पूरा नाम
९. मतदाता सूची में प्रस्तावक की क्रम संख्या
१०. प्रस्तावक के हस्ताक्षर

उम्मीदवार की घोषणा :

मैं घोषणा करता हूं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं ।

दिनांक

स्थानः सदस्य के हस्ताक्षर

चुनाव अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला सुपुर्दगी प्रमाणपत्र

क्रम संख्या

यह नामांकन पत्र मुझे दिनांक ---------- को ----------बजे सुपुर्द किया गया ।

चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुदेश :

इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तारीख एवं समय से पहले चुनाव अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये गये नामांकन पत्रों को प्राप्त नहीं किया जाएगा ।

फार्म बी
(नियम ६(११) देखें)

मंडी समिति के चुनाव के लिए ---------- निर्वाचक मंडल के नामांकनों की

---------- दिनांक को प्राप्त नामांकन सूची ।

क्रम सं०	उम्मीदवार का नाम	पिता अथवा पति का नाम	लिंग	समुदाय	व्यवसाय और पता	प्रस्तावक का नाम
१	२	३	४	५	६	७

टिप्पणी : नामांकन पत्रों की छानबीन दिनांक ---------- दिन ---------- ----- (स्थान) ---------- पर की जाएगी ।

दिनांक:

स्थान:

चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर

फार्म सी
(नियम ६(१४) II देखें)

वैध नामांकनों की सूची

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	लिंग	समुदाय	पता
१	२	३	४	५

टिप्पणी : मतदान, पहले से अधिसूचित मतदान केन्द्रों पर दिनांक ---------- को ----- ------- बजे
से ---------- बजे तक होगा ।

दिनांक:
स्थान: चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर

फार्म डी
(नियम ६(१७) देखें)

मतदान/मतपत्र के लिए फार्म

प्रतिपत्रक **पत्रक**

मतपत्र सं०

मतपत्र	क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का प्रतीक/चिह्न	मतदाता चिन्ह
मतदाता सूची में मतदाता की संख्या	१ २ ३ ४ ५			

कृपया अपना मतदान करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ लें ।

(१) आपका ---------- मत है/हैं ।

(२)प्रत्येक मत X क्रॉस द्वारा दिखाया जाना है ।

(३)आप किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं दे सकते ।

फार्म ई
(नियम २४ (३)(V) देखें)

मंडी समिति में रिपोर्ट किए गए और निपटाए गए विवादों का रजिस्टर

क्रम सं०	विवाद के लिए पक्ष	भरने की तारीख	जमा किया गया शुल्क (पावती) चालान सं० और तारीख	विवाद का स्वरूप (संक्षेप में)	लिया गया निर्णय (संक्षेप में)	सचिव के हस्ताक्षर

फार्म - एफ
(नियम ३९(१) देखें)

संविदा कृषि प्रायोजक के पंजीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

महोदय,

मैं/हम ---------- (नाम) ---------- ----------(पता) दूरभाष) ---------- से ---------- --- तक अर्थात ---------- वर्षों की अवधि के लिए संविदा कृषि प्रायोजक के पंजीकरण/नवीकरण हेतु आवेदन कर रहा हूं/रहे हैं । मैं/हम ---------- जिलों/पूरे राज्य के लिए पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण चाहता हूं/चाहते हैं । आवेदन के साथ मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ ।

(i) शोध क्षमता प्रमाण पत्र ।

(ii) बैंक गारंटी

(iii) कम्पनी/सहभागी फर्म/गैर सरकारी संगठन/सरकारी सोसायटी/सरकारी संगठन आदि के पंजीकरण दस्तावेज के ब्योरे/निदेशक/पार्टनर आदि के पते और नाम ।

(iv) इस संविदा के अन्तर्गत आने वाले कृषि उपज के ब्यौरे ।

(v) चालान की प्रति जिसके द्वारा पांच सौ रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष, प्रति जिला सहकारी कोष में जमा किया गया है ।

(vi) आयकर विवरणी

आवेदक के हस्ताक्षर

फार्म जी
(नियम ३९ (२) देखें)

संविदा कृषि प्रायोजक का रजिस्टर

क्रम सं०	आवदेक का नाम और पता	आवेदन प्राप्त होने की तारीख	पंजीकरण शुल्क रूपये --- --------	जिला(जिले) जिसके लिए पंजीकरण प्रदान किया गया है ।	अवधि जिसके लिए पंजीकरण/ नवीकरण किया गया है ।	पंजीकरण जारी करने की संख्या और तारीख	हस्ताक्षर	टिप्पणी

फार्म 'एच'
(नियम ३९ (२) देखें)

संविदा कृषि प्रायोजक का पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण

सेवा में,

विषय: जिलों/सम्पूर्ण राज्य में संविदा कृषि प्रायोजक का पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक ---------- के आवेदन सं० ---------- के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि पंजीकरण/पंजीकरण का नवीकरण के लिए आपका आवेदन, पंजीकरण संख्या ---------- दिनांक ---------- के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया है ।

पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण ---------- राज्य के निम्नलिखित जिलों में ---------- से ---------- तक की अवधि में संचालन के लिए है ।

पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण की शर्त निम्नानुसार है ।

१. पंजीकरण धारक, इस निमित्त जारी अधिनियम के उपबंधों, नियमों एवं अनुदेशों का पालन करेगा ।
२. पंजीकरण धारक संविदा में दी गई शर्तों का पालन करेगा ।

दिनांक:
स्थान: पंजीकरण प्राधिकारी का हस्ताक्षर

फार्म-आई
(नियम ४० (१) देखें)

संविदा कृषि मॉडल करार

यह करार दिनांक----------, २००३ को---------- में ---------- से ---------- की आयु के लोगों के बीच जो---------- के रहने वाले हैं, जिसे पहले भाग का पहला पक्षकार कहा गया है (जब तक संदर्भ से असंगत नहीं है इससे अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती) और मैसर्स ---------- के मध्य किया गया जो कम्पनी अधिनियम, १९५६ के उपबंधों के अन्तर्गत संस्थापित एक प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ---------- में है जिसे दूसरे भाग का दूसरा पक्षकार कहा गया है (जब तक संदर्भ से असंगत नहीं है इससे अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) ।

जबकि पहले भाग का पक्षकार कृषि भूमि का स्वामी/कृषक है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है ।

ग्राम	गट संख्या	क्षेत्र, हैक्टेयर में	तहसील और जिला	राज्य

और जबकि, दूसरे भाग का पक्षकार कृषि उपज का व्यापार कर रहा है और भूमि तैयार करने, नर्सरी, उर्वरण, नाशीजीव प्रबंधन, सिंचाई, फसल कटाई और सदृश बातों के संबंध में तकनीकी जानकारी भी प्रदान कर रहा है ।

और जबकि, दूसरे भाग का पक्षकार विशेषकर यहां संलग्न सूची-१ में उल्लिखित कृषि उपज की मदों में अधिक आकृष्ट है और दूसरे भाग के पक्षकार के अनुरोध पर, पहले भाग का पक्षकार यहां सलग्न सूची-१ में उल्लिखित कृषि उपज की मदों की खेती करने के लिए सहमत हो गया है ।

और जबकि, दोनों पक्षकार, इसमें आगे लिखी गई रीति से लिखित में शर्तें करने के लिए करार करते हैं ।

यह करार गवाहों की उपस्थिति में एतद्द्वारा निम्नानुसार इसके पक्षकारों के बीच किया गया :

खण्ड-१

पहले भाग का पक्षकार कृषि का उत्पादन करने और दूसरे भाग के पक्षकार को देने के लिए सहमत है और दूसरे भाग का पक्षकार पहले भाग के पक्षकार से कृषि उपज की मदों की खरीद करने के लिए सहमत है, मदों के ब्यौरे, गुणवत्ता, मात्रा और मदों की कीमतें इसकी उपाबद्ध सूची-१ में विशेष रूप से उल्लिखित हैं ।

खण्ड-२

कृषि उपज जिसके ब्यौरे इससे उपाबद्ध सूची-१ में उल्लिखित किये गये हैं, पहले भाग के पक्षकार द्वारा दूसरे भाग के पक्षकार को इसकी ---------- तारीख के ---------- माह/वर्ष की अवधि के अंदर प्रदान की जाएगी ।

अथवा

दोनों पक्षकारों के बीच स्पष्ट रूप से सहमति है कि यह करार कृषि उपज जिसके ब्यौरों का वर्णन इसकी उपाबद्ध सूची-१ में किया गया है, के लिए है और यह ---------- माह/वर्षों की अवधि के लिए है और इस अवधि के समाप्त होने पर, यह करार स्वतः समाप्त हो जाएगा ।

खण्ड-३

पहले भाग का पक्षकार खेती करने और इससे उपाबद्ध सूची-१ में उल्लिखित मात्रा को दूसरे भाग के पक्षकार को देने के लिए सहमत है ।

खण्ड-४

पहले भाग का पक्षकार अनुसूची-१ में निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशनों के अनुसार संविदागत मात्रा को देने के लिए सहमत है । यदि कृषि उपज सहमत किये गये गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं है, तो दूसरे भाग का पक्षकार इसके कारण कृषि उपज की सुपुर्दगी लेने से मना करने का पात्र होगा । तब

(क) पहले भाग का पक्षकार दूसरे भाग के पक्षकार को पारस्परिक बातचीत से पुनः तय की गई कीमत पर उपज बेचने के लिए मुक्त होगा ।

अथवा

(ख) मुक्त मंडी में (थोक क्रेता अर्थात निर्यातक/संसाधक/निर्माता आदि) और यदि वह संविदागत कीमत से कम कीमत प्राप्त करता है तो अपने निवेश के अनुपात में दूसरे भाग के पक्षकार को कम देगा ।

अथवा

(ग) मंडी यार्ड में और यदि प्राप्त की गई कीमत संविदागत कीमत से कम है तो वह अपने निवेश के अनुपात में, दूसरे भाग के पक्षकार को कम लौटाएगा ।

यदि दूसरे भाग का पक्षकार अपने किन्हीं कारणों से संविदागत उपज की सुपुर्दगी को लेने से मना करता है/लेने में असफल है तो पहले भाग का पक्षकार उपज को मुक्त मंडी में बेचने के लिए मुक्त होगा और प्राप्त की गई संविदागत कीमत से कम है तो यह अंतर दूसरे भाग के पक्षकार के कारण होगा और दूसरे भाग का पक्षकार उक्त अंतर को पहले भाग के पक्षकार को ---------- दिनों की अवधि के अंदर देगा ।

<u>खण्ड-५</u>

पहले भाग का पक्षकार दूसरे भाग के पक्षकार द्वारा समय-समय पर दिये गये सुझावों के अनुसार भूमि तैयार करने, नर्सरी, उर्वरण, नाशीजीव प्रबंधन, सिंचाई, फसल कटाई और अन्य बातों के बारे में अनुदेशों/पद्धतियों को स्वीकार करने अनुसूची-१ में उल्लिखित विनिर्देशनों के अनुसार मदों की खेती करने के लिए सहमत हैं । दूसरे भाग का पक्षकार, पहले भाग के पक्षकार को प्रशिक्षण देने/कुशल अपग्रेडेशन करने, संविदागत गुणवत्ता और शर्तों के अनुसार कृषि उपज के लिए अपेक्षित तारीकों और प्रणालियों की जानकारी देने के लिए स्थानीय भाषा में लिखित सामग्री प्रदान करने, प्रशिक्षित और योग्य कर्मियों के माध्यम से गुणवत्ता विस्तार सेवा प्रदान करने और

सूची में उल्लिखित विनिर्देशनों के अनुसार निपुणता पूर्ण खेती करने में पहले भाग के पक्षकार को सक्षम बनाने के लिए खंड-१ में दी गई अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत है ।

<u>खण्ड-६</u>

दोनों पक्षकारों के बीच स्पष्ट रूप से यह सहमति है कि क्रयन (खरीददारी) निम्न शर्तों के अनुसार होगी और खरीद के तुरन्त बाद क्रय पर्ची दी जाएगी ।

तारीख	सुपुर्दगी स्थल	सुपुर्दगी की लागत

यह भी सहमति हुई है कि दूसरे भाग के पक्षकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुपुर्दगी के बाद सुपुर्दगी स्थल पर संविदागत उत्पाद को कब्जे में ले और यदि वह ---------- अवधि के अंदर सुपुर्दगी लेने में असफल होता है तो पहले भाग का पक्षकार संविदागत कृषि उत्पाद को निम्नानुसार बेचने के लिए मुक्त होगा ।

(क) मुक्त मंडी में (थोक क्रेता अर्थात निर्यातक/संसाधक/निर्माता आदि) और यदि वह संविदागत कीमत से कम कीमत प्राप्त करता है तो वह दूसरे भाग के पक्षकार को अपने निवेश के अनुपात में कम देगा ।

(ख) मंडी यार्ड में और यदि प्राप्त की गई कीमत संविदागत कीमत से कम है तो वह अपने निवेश के अनुपात में, निवेश के अनुपात में दूसरे भाग के पक्षकार को कम लौटाएगा ।

इस बात पर भी सहमति हुई कि परिवहन में गुणवत्ता अनुरक्षण का उत्तरदायित्व दूसरे भाग के पक्षकार का होगा और इसके लिए पहला भाग उत्तरदायी या दायी नहीं होगा ।

<u>खण्ड-७</u>

फसल की कटाई के बाद जब उसे दूसरे भाग के पक्षकार को सौंप दिया जाता है, तब दूसरे भाग का पक्षकार, पहले भाग के पक्षकार को दिये गये सभी अग्रिमों की बकाया राशि की कटौती के बाद, उसे अनुसूची-१ में उल्लिखित कीमत/दर देगा ।

भुगतान के लिए निम्न सूची का अनुपालन किया जाएगा ।

तारीख	भुगतान का तरीका	भुगतान का स्थान

<u>खण्ड-८</u>

दूसरे भाग के पक्षकार आवश्यक सूचना प्रदान करेगा और पहले भाग के पक्षकार द्वारा इससे उपाबद्ध अनुसूची-१ में उल्लिखित संविदागत उपज को, दैवीय प्रकोप, विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों के नाश, ऋण दोष और उत्पादन एवं आय में हानि और अन्य कार्य अथवा घटनाएं जो पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर हैं जैसे गंभीर बीमारी, महामारी फैलने से अथवा असामान्य मौसम, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान, भूकम्पों, आग अथवा अन्य महाविपत्तियां, युद्ध के कारण बहुत कम उत्पादन और सरकार के कार्य जो इस करार के समय अथवा इसकी प्रभावी तारीख पर किये गये हैं जो कृषक के दायित्व के पूरा होने में पूर्णतः अथवा अंशतः बाधित करते हैं, के

कारण होने वाली हानियों के जोखिम से बचाने के लिए ---------- की अवधि के लिए बीमा करवाने में मदद करेगा । अनुरोध पर ऐसे कार्यों को करने वाला पहले भाग का पक्षकार तथ्यों की विद्यमानता की पुष्टि दूसरे पक्षकार को देगा । ऐसे साक्ष्य में समुचित सरकारी विभाग के प्रमाण-पत्र का विवरण शामिल होगा । यदि ऐसा विवरण अथवा प्रमाण-पत्र युक्तियुक्त प्रकार से प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे कार्यों का दावा करने वाला पहले भाग का पक्षकार इसके विकल्प के रूप में नोटरी विवरण तैयार करेगा जिसमें दावा किये गये तथ्यों के ब्यौरों और कारणों का वर्णन होगा कि क्यों इस प्रकार का प्रमाण-पत्र अथवा विवरण ऐसे तथ्यों की विद्यमानता की पुष्टि करता है । विकल्पतः दोनों पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति के अध्यधीन पहले भाग का पक्षकार उपज के अपने कोटे को अन्य स्त्रोतों से पूरा कर सकता है और कीमत अंतर के कारण उसके द्वारा उठाई गई हानि को बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि को ध्यान में रखकर पक्षकारों के बीच बराबर बांटा जाएगा । बीमा प्रीमियम दोनों पक्षकारों में बराबर बांटा जाएगा ।

<u>खण्ड-९</u>

दूसरे भाग का पक्षकार खेती और फसलोपरान्त प्रबंधन की अवधि के दौरान पहले भाग के पक्षकार को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है । इस सेवाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

१.

२.

३.

४.

खण्ड-१०

दूसरे भाग का पक्षकार अथवा इसके प्रतिनिधि करार की अवधि के दौरान पहले भाग के पक्षकार द्वारा स्थापित/नामित कृषक फोरम के साथ नियमित बातचीत करने के लिए सहमत है ।

खण्ड-११

दूसरे भाग के पक्षकार अथवा इसके प्रतिनिधियों को अपनी लागत पर समय-समय पर स्वीकृत कृषि पद्धतियों और उपज की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए पहले भाग के पक्षकार के परिसरों/खेतों में प्रवेश करने का अधिकार होगा ।

खण्ड-१२

दूसरे भाग का पक्षकार यह पुष्टि करता है कि उसने स्वयं को दिनांक ---------- को प्रायोजक पंजीकरण प्राधिकरण ---------- के साथ पंजीकृत करवा लिया है और इस संबंध में प्रचलित कानून के अनुसार वह उस प्रायोजक पंजीकरण प्राधिकरण को शुल्क प्रदान करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में उस कृषि उपज के विपणन का विनियमन है जिसकी खेती उस भूमि पर की जाती है जिसका वर्णन

अथवा

दूसरे भाग के पक्षकार ने स्वयं को दिनांक ---------- को (एकल बिन्दु) प्रायोजक पंजीकरण प्राधिकरण नामतः ----------के साथ पंजीकृत कर लिया है जो इस संबंध में राज्य द्वारा विहित किया गया है । संबंधित प्रायोजक पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा उद्गृहित शुल्क केवल दूसरे भाग के पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा और किसी भी रीति में पहले भाग के पक्षकार को दी गई राशि में से काटा नहीं जाएगा ।

खण्ड-१३

इस करार के दौरान दूसरे भाग के पक्षकार को पहले भाग के पक्षकार की भूमि सम्पत्ति पर हक, स्वामित्व, कब्जा करने का अधिकार नहीं होगा न ही यह किसी भी तरह पहले भाग के पक्षकार को विशेषकर भूमि सम्पत्ति से अन्य संक्रान्त कर सकता है और न ही किसी भी तरह से पहले पक्षकार की भूमि सम्पत्ति को अन्य दूसरे व्यक्ति/संस्थान को बंधक स्वरूप, पट्टे पर, उप-पट्टे पर दे सकता है अथवा अन्तरित कर सकता है ।

खण्ड-१४

दूसरे भाग का पक्षकार इस करार की सही प्रति दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित करवाकर इसके करने की तारीख से १५ दिन के अंदर इस उद्देश्य के लिए विहित ए०पी०एम०आर० अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित ---------- मंडी समिति/पंजीकरण प्राधिकरण/अन्य कोई पंजीकरण प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

खण्ड-१५

करार का विघटन, पर्यवसान, रद्दकरण दोनों पक्षकारों की सहमति से होगा । ऐसे विघटन अथवा पर्यवसान/रद्दकरण का विलेख इस प्रकार के विघटन, पर्यवसान/रद्दकरण होने के १५ दिनों के अंदर पंजीकरण प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा ।

खण्ड-१६

इस विषय में दोनों पक्षकारों के बीच होने वाले विवाद अथवा मतभेद या इस प्रकार के करार के अन्तर्गत अधिकारों और उत्तरदायित्वों के कारण या एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के विरूद्ध कोई धन संबंधी दावा अथवा अन्यथा या इस करार की किन्हीं शर्तों की व्याख्या और प्रभाव के कारण ऐसे विवाद अथवा मतभेद, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित मध्यस्थम प्राधिकरण को निर्दिष्ट किये जाएंगे ।

खण्ड-१७

इस प्रकार के किसी भी पक्षकार का पता परिवर्तन होने के मामले में, यह पता दूसरे पक्षकार और पंजीकरण प्राधिकरण को भी सूचित किया जाना चाहिए ।

खण्ड-१८

इस विषय में प्रत्येक पक्षकार इस करार के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्वों के निष्पादन में दूसरे पक्षकार के साथ सदभावपूर्वक, तत्परतापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करेगा और दूसरे के हित को जोखिम में नहीं डालेगा ।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख ---------- --------- दिन ---------- माह और ---------- वर्ष में इस करार में हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

पहले भाग के पक्षकार ---------- ने)

१. ----------)
२. ----------)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मोहर लगाई और परिदान किया ।

दूसरे भाग के पक्षकार ---------- ने)

१. ----------)
२. ----------)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और परिदान किया ।

अनुसूची

श्रेणी विनिर्देशन, मात्रा और कीमत चार्ट

श्रेणी	विनिर्देशन	मात्रा	कीमत/दर
श्रेणी १ अथवा क	आकार, रंग, सुवास (एरोमा) इत्यादि		
श्रेणी २ अथवा ख			

फार्म 'जे'
(नियम ४०(२) देखें)

संविदा कृषि करार के पंजीकरण के लिए रजिस्टर प्रपत्र

क्रम सं०	करार के पक्षकारों के नाम			कृषि उपज का प्रकार	कृषि उपज की अनुमानित मात्रा	संविदा अवधि	कृषि उपज की अनुमानित कीमत	करार की तारीख	पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
	पहला पक्षकार (कृषक)	दूसरा पक्षकार (क्रेता)	तीसरा पक्षकार							

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११

फार्म 'के'
(नियम ४३ देखें)

संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा निर्यात अथवा प्रसंस्करण के उद्देश्य से खरीदी गई उपज की सूचना देने के लिए प्रपत्र

---------- अवधि के लिए विवरणी

क्र०सं०	तिमाही	संविदा	खरीदी	निर्यात के	प्रसंस्करण	खरीद के	खरीद के	टिप्पणी

	जिससे रिपोर्ट संबंधित है ।	कृषि प्रायोजक द्वारा खरीदी गई कृषि उपज की कुल मात्रा (टनों में)	गई उपज की कुल कीमत	लिए खरीदी गई कृषि उपज की कुल मात्रा टनों में (---------- रूपये)	के लिए खरीदी गई कृषि उपज की मात्रा टनों में	९० दिनों के अन्दर निर्यातित कृषि उपज की मात्रा	९० दिनों के अन्दर प्रसंस्कृत कृषि उपज की मात्रा	

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि निर्यात/प्रसंस्करण के लिए खरीदी गई कृषि उपज की मात्रा को इसकी खरीद से ९० दिनों की अवधि के भीतर हमारे द्वारा निर्यात/प्रसंस्कृत किया जाएगा । ऐसा न करने पर मेरे/हमारे खिलाफ ---------- राज्य कृषि उपज विनियमन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के उपबंधों/पंजीकरण नियम की शर्तों जिनसे मैं/हम परिचित हैं, के अनुसार कार्रवाई/ दंड दिया जाएगा ।

संविदा कृषि प्रायोजक के हस्ताक्षर

फार्म 'एल'
(नियम ४८ देखें)

संविदा कृषि प्रायोजक के वार्षिक लेखों का प्रपत्र

क्रम संख्या	कृषि उपज का नाम	कृषकों की संख्या	संविदा कृषि करार	खरीदी गई मात्रा टनों	कुल कीमत	कृषकों को दी गई	१५ दिनों से अधिक के लिए

		जिनके साथ संविदा पर हस्ताक्षर हुए	के अन्तर्गत क्षेत्र हेक्टेयर में	में	और खरीदी गई उपज की मात्रा	कीमत	बकाया भुगतान	
							कृषकों की संख्या	राशि रूपयों में

संविदा कृषि करार प्रायोजक के हस्ताक्षर

फार्म 'एम'

(खंड ४४ और नियम ४९(१) और ५०(२) देखें)

मंडी कार्यकर्ताओं के पंजीकरण/ पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

सचिव,

कृषि उपज विपणन समिति ----------

तालुका ---------- जिला ----------

महोदय,

---------- मैं/हम ---------- (पता), एकल/सहभागी फर्म/एच.यू.एफ./निजी/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/सरकारी उपक्रम/सहकारी समिति/गैर सरकारी संगठन - ----------

कृषि उपज मंडी समिति में ---------- से ---------- तक की अवधि के लिए कार्य करने के लिए (व्यापारी/कमीशन एजेंट/ब्रॉकर/हमाल/हेमैन/कार्टमैन आदि) के रूप में पंजीकरण देने पंजीकरण/ नवीकरण कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मैं/हम आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत कर रहा हूं/कर रहे हैं ।

(i) ---------- रूपये का अपेक्षित शुल्क दिए जाने के समर्थन में ट्रेजरी चालान की प्रति

(ii) सहभागी/निजी/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी आदि के पंजीकरण की प्रति

(iii)संगम ज्ञापन/उप-नियम की प्रति

(iv)अन्तिम वार्षिक लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र

(v) पिछली अवधि के लिए दिए गए पंजीकरण की प्रति

(vi)---------- रूपये की बैंक प्रतिभूति/सिक्यूरिटी बांड

वचन

मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम ---------- कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम और नियम के अन्तर्गत किसी भी उपबंध का/के बकायादार नही हूं/हैं और यह भी वचन देता हूं कि मैंने/हमने कोई अपराध नहीं किया है न ही उक्त अधिनियम एवं नियमों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए गए हैं तथा हम उक्त अधिनियम के उपबंधों, नियमों और उपनियमों तथा पंजीकरण शर्तों का पालन करेंगे ।

आपसे अनुरोध है कि ---------- कृषि उपज मंडी समिति में ---------- के रूप में कार्य करने के लिए मुझे/हमें पंजीकरण प्रदान करें ।

भवदीय,

स्थान :

दिनांक: **आवेदक के हस्ताक्षर**

९९

फार्म एन

(नियम ४९ (२) देखें)

एक से अधिक मंडी क्षेत्र में व्यापारी के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्राप्त करने हेतु आवेदन

सेवा में,

निदेशक/प्रबंध निदेशक

महोदय,

मैं/हम ---------- नाम ---------- --- (पता) ---------- (दूरभाष) ---------- निम्नलिखित मंडी क्षेत्रों में, एक से अधिक कृषि उपज मंडी समिति में कार्य करने हेतु व्यापारी के रूप में पंजीकरण करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ/कर रहे हैं । मैं नियमानुसार ---------- रूपये का आवश्यक पंजीकरण शुल्क देने के लिए तैयार हूं तथा देना चाहता हूं

१.

२.

३.

४.

इस आवेदन के साथ, मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूं :-

१) ऋण शोध-क्षमता प्रमाणपत्र

२) बैंक गारंटी

३) पिछले तीन वर्षों का आयकर विवरण

४) पहले से प्रदान किए गए पंजीकरण की प्रति, यदि कोई हो ।

<u>घोषणा</u>

(१) मैं/हम ---------- कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम ---------- और इसके अन्तर्गत बने नियम तथा समय-समय पर इसमें किए गए संशोधनों और समय-समय पर निदेशक, विपणन/प्रबंध निदेशक द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूं ।

(२) मैं/हम हमारे व्यवसाय के संचालन के बारे में आवश्यक रिकार्ड और सूचना रखने और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु मांगी जाने वाली किसी भी तरह की सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने में सहयोग देने के लिए सहमत हूं/हैं ।

(३) मैं/हम कोई भी प्रभार अथवा शुल्क अथवा कानूनी रूप में मेरे द्वारा देय राशि देने के लिए सहमत हूं ।

(४) मैं/हम गैर-कानूनी ढंग से व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के साथ व्यवसाय न करने के लिए सहमत हूं/हैं और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में सहयोग देने के लिए सहमत हूं ।

आवेदक के हस्ताक्षर

१. नामः
पता :
हस्ताक्षर :

२. नामः
पता :
हस्ताक्षर :

फार्म एन-१
(नियम ४९ (२) देखें)
एक से अधिक मंडी क्षेत्र में व्यापारी के रूप में कार्य करने हेतु पंजीकरण

---------- कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) ----------
------- कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) नियम ---------- के उपबंधों के अध्यधीन श्री ---------- (नाम) को जिसका पता ----------
---------- और फोन नं० ---------- है तथा जिसे आगे पंजीकरण धारक के रूप में संदर्भित किया गया है, ----------
रूपये के शुल्क के भुगतान पर

---------- मंडी क्षेत्रों में संचालन के लिए निम्नलिखित शर्तों पर --------
---------- कृषि उपज विपणन (विकास और विनियम) अधिनियम ----------
---------- और कृषि उपज विपणन (विकास और विनियम) नियम, ---------- के उपबंधों के अध्यधीन एतद्द्वारा पंजीकरण प्रदान किया जाता है ।

१. पंजीकरण धारक उक्त अधिनियम और नियम के उपबंधों और दिनांक ---------- को पंजीकरण द्वारा निदेशक/प्रबंध निदेशक के साथ हुए करार की शर्तों का पालन करेगा ।

२. पंजीकरण हस्ताक्षरणीय नहीं है ।

३. पंजीकरण उक्त अधिनियमों के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निलंबित अथवा रद्द किया जा सकता है ।

४. इस पंजीकरण के निलंबन अथवा रद्द होने पर, इसे निदेशक/प्रबंध निदेशक को सौंप दिया जाएगा ।

५. पंजीकरण धारक केवल ऐसे स्थान पर व्यापारी के रूप में व्यवसाय जारी रखेगा जिसके लिए पंजीकरण जारी किया गया है और उक्त नियमों के अन्तर्गत प्रदान किए गए पंजीकरण के अन्तर्गत पंजीकरण धारक जब तक अपना कोई व्यवसाय करता है तब तक वह मंडी क्षेत्र अथवा इसके अंतर्गत किसी मंडी में मंडी कार्यकर्ता का कोई अन्य व्यवसाय नहीं करेगा ।

६. पंजीकरण धारक संबंधित कृषि उपज मंडी समिति के लिए निर्धारित मंडी शुल्क और पर्यवेक्षण प्रभार देगा ।

७. पंजीकरण धारक मिलावट नहीं करेगा अथवा किसी घोषित कृषि उपज में किसी को मिलावट करने देगा ।

८. पंजीकरण धारक मंडी शुल्क का अपवंचन (evasion) रोकने के लिए निदेशक/प्रबंध निदेशक की मदद करेगा ।

(९) निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा पंजीकरण देने के बाद पंजीकरण धारक पन्द्रह दिनों के अन्दर उन प्राधिकृत प्रतिनिधियों के बारे में सूचना देगा जो उसकी ओर से उत्तरदायी होंगे ।

(१०) पंजीकरण धारक निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा यथा अपेक्षित ढंग से पुस्तकों, रजिस्टरों और खातों को रखेगा और उन्हें निदेशक/प्रबंध निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा ।

(११) पंजीकरण धारक समय-समय पर निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा मांगी गई सूचना और विवरण प्रदान करेगा ।

(१२) पंजीकरण धारक मंडी समिति के उपनियमों के तहत निर्धारित ढंग से कृषि उपज की कीमत तय करेगा और कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियम) नियम, २००७ के नियम ५५ के उपबंधों के अनुसार लेखा-परची अथवा क्रय बिल जारी करेगा ।

(१३) पंजीकरण धारक, यदि घोषित कृषि उपज उसकी एजेंसी द्वारा अथवा उसके द्वारा बेची जाती है तो बेची गई कृषि उपज के मूल्य को उसी दिन विक्रेता को देगा ।

(१४) पंजीकरण धारक किसी भी तरह के शुल्क की मांग नहीं करेगा न ही शुल्क प्राप्त करेगा अथवा उन प्रभारों के अतिरिक्त किसी भी प्रभार को वसूली नहीं करेगा जिनके लिए वह अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत बने नियमों और उपनियमों के अनुसार वसूली अथवा प्राप्त करने के लिए पात्र है ।

(१५) पंजीकरण धारक कोई व्यापार भत्ता नहीं लेगा/वसूल करेगा ।

(१६) पंजीकरण धारक प्राधिकृत बाटों और मापकों की व्यवस्था करेगा ।

१७. पंजीकरण धारक निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित दरों पर ही पंजीकृत तुलाई व्यक्ति अथवा मापक और हमाल को भुगतान करेगा और उन्हें किसी भी तरह के घर के कार्यों अथवा निजी कार्यों के लिए नहीं लगाएगा ।

(१८) पंजीकरण धारक, निदेशक/प्रबंध निदेशक को पंजीकरण धारक के पते में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में सूचना देगा ।

(१९) पंजीकरण धारक घोषित अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के संबंध में पूरे विवाद को कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) नियमावली के नियम २३ में दिए गए तरीके से प्रस्तुत करेगा/सौंपेगा ।

दिनांक:
स्थान:

निदेशक/प्रबंध निदेशक

पंजीकरण का नवीकरण

नवीकरण की तारीख	अवधि जिसके लिए नवीकरण किया गया	निदेशक के हस्ताक्षर और तारीख

निदेशक/प्रबंध निदेशक

फार्म ओ
(नियम ५१(१) देखें)

पंजीकरण के नवीकरण के लिए फार्म

नियम ४९(१) के अंतर्गत फार्म एम के अनुसार

फार्म ओ-१
(नियम ६६ देखें)
विक्रय पर्ची

मूल प्रति
दो प्रतियों में
तीन प्रतियों में
चार प्रतियों में

पुस्तक सं० .....
.....

क्रम सं०

मंडी क्षेत्र का नाम
तारीख/प्रत्यक्ष विक्रय
मंडी यार्ड का नाम

नीलामी की

पंजीकरण/लाईसेंस संख्या

कमीशन एजेंट/व्यापारी/निजी यार्ड
लाईसेंसी/संविदा कृषि प्रायोजक/
लाइसेंसी प्रत्यक्ष क्रेता का नाम

विक्रेता का नाम :

विक्रेता का पता :

व्यवसाय :

कृषि उपज का नाम	वजन	दर	दी गई राशि	मंडी शुल्क	क्रेता का नाम	टिप्पणी

प्रमाणित किया जाता है कि ---------- रूपये ----------
-----(शब्दों में) ---------- मंडी समिति ---------- की तरफ से क्रेता/विक्रेता से वसूल लिए गए हैं ।

प्राप्त की गई राशि ----------
विक्रेता के हस्ताक्षर :

कमीशन एजेंट/व्यापारी/निजी मंडी यार्ड लाईसेंसी/संविदा कृषि प्रायोजक/ लाईसेंसी प्रत्यक्ष क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता के हस्ताक्षर

(१) विक्रेता की प्रति
(२) क्रेता की प्रति
(३) मंडी समिति की प्रति

मंडी समिति की मोहर

फार्म पी
(नियम ७८ देखें)

मंडी समिति द्वारा वसूले जाने वाले मंडी शुल्क और अन्य प्रभारों को दर्शाने वाले रजिस्टर का फार्म

क्रम सं०	दिनांक	कुल आमद, टनों में	बेची गई कृषि उपज का मूल्य	निर्धारित मंडी शुल्क (रूपये में)	संगृहीत मंडी शुल्क (रूपये में)	संगृहीत लाइसेन्स फीस	अन्य स्त्रोतों से संगृहीत प्रभार	कुल योग

फार्म क्यू
(खंड ४५ और ४६ तथा नियम ८२(i)(iii) देखें)

निजी मंडी और उपभोक्ता – कृषक मंडी के लिए लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

दिनांकः

सेवा में,

निदेशक/प्रबंध निदेशक

मैं/हम ---------- (नाम) ---------- ---------- (पता) ---------- दूरभाष ---------- ----- निजी मंडी/उपभोक्ता कृषक-मंडी की स्थापना के लिए लाईसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन कर रहा हूं/रहे हैं । यथा अपेक्षित आवश्यक कागजात संलग्न हैं । मैं उपर्युक्त लाईसेंस प्राप्त करने के लिए नियमानुसार ---------- रूपये की आवश्यक लाईसेंस शुल्क देने के लिए तैयार हूं तथा देना चाहता हूं । कृपया मुझे लाइसेंस प्रदान करें ।

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

इस आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत हैं :-

i) **कम्पनी, सहकारी समिति, न्यास, निगम, सहभागी फर्म आदि के समामेलन अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र ।**

ii) **संगम ज्ञापन अथवा संगम अनुच्छेद ।**

iii) **सभी निदेशकों और मालिकों तथा सहभागियों आदि के नाम, पते और दूरभाष ।**

iv) **निम्न तालिका में भूमि की लागत के ब्यौरे सहित बनाई गई आधारिक संरचना के ब्यौरे (लागत के समर्थन में प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जाएं)**

क्रम संख्या	आधारिक संरचना का प्रकार	अनुमानित लागत (रूपये में)
१ २ ३		

५) लाईसेंस शुल्क दिए जाने के समर्थन में ट्रेजरी चालान ।

६) निजी मंडी को कैसे चलाया जाए अथवा संचालित किया जाए इस संबंध में परिचालन और कार्यकारी दिशा निर्देश ।

७) इस आशय का वचन अथवा शपथ पत्र कि आवेदक अधिनियम के उपबंधों और उनके अन्तर्गत बने नियमों का पालन करेगा और उल्लंघन के मामले में वह लाईसेंस रद्द होने की कार्रवाई समेत उत्तरदायी होगा ।

८) नियम ..... में उल्लिखित बैंक प्रतिभूति ।

९) आयकर रिटर्न ।

१०) प्रस्तावित मंडी की विन्यास योजना ।

दिनांक:
स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

फार्म क्यू-१

(नियम ८२ (i)(iii) देखें)

निजी ई - मंडी के लिए लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

दिनांक :

सेवा में,

निदेशक/प्रबंध निदेशक

मैं/हम ---------- (नाम) ---------- ---- (पता) ---------- दूरभाष ---------- राज्य में निम्नलिखित अधिसूचित कृषि उपज ---------- के लिए निजी ई - मंडी हेतु लाईसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन कर रहा हूं/रहे हैं । यथा अपेक्षित आवश्यक कागजात संलग्न हैं । मैं उपर्युक्त लाईसेंस प्राप्त करने के लिए नियमानुसार ---------- रूपये की आवश्यक लाईसेंस शुल्क देने के लिए तैयार हूं तथा देना चाहता हूं । कृपया मुझे लाइसेंस प्रदान करें ।

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

इस आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत हैं :-

(i) कम्पनी, सहकारी समिति, न्यास, निगम, सहभागी फर्म आदि के समामेलन अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र ।

(ii) संगम ज्ञापन अथवा संगम अनुच्छेद ।

(iii) सभी निदेशकों और मालिकों तथा सहभागियों आदि के नाम, पते तथा दूरभाष ।

(iv) निम्न तालिका में भूमि की लागत के ब्यौरे सहित बनाई गई आधारिक संरचना के ब्यौरे (लागत के समर्थन का प्रमाण- पत्र भी संलग्न किया जाएं)

क्रम संख्या	आधारिक संरचना का प्रकार	अनुमानित लागत (रूपये में)
१ २ ३		

(v) लाईसेंस शुल्क दिए जाने के समर्थन में ट्रेजरी चालान ।

(vi) निजी ई - मंडी को कैसे चलाया जाए अथवा संचालित किया जाए इस संबंध में परिचालन और कार्यकारी दिशा निर्देश ।

(vii) इस आशय का वचन अथवा शपथ पत्र कि आवेदक अधिनियम के उपबंधों और उनके अन्तर्गत बने नियमों का पालन करेगा और उल्लंघन के मामले में वह लाईसेंस रद्द होने की कार्रवाई समेत उत्तरदायी होगा ।

(viii) नियम .....में उल्लिखित बैंक प्रतिभूति ।

(ix) आयकर रिटर्न ।

(x) संबंधित प्राधिकारी द्वारा दी गई स्थायी मान्यता संबंधी पत्र की प्रमाणित प्रति ।

दिनांकः
स्थानः

आवेदक के हस्ताक्षर

फार्म 'आर'

(नियम ८२ (i) (iii) देखें)

कृषकों से कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

दिनांक

सेवा में,

निदेशक/प्रबंध निदेशक

महोदय,

मैं/हम ------------------------- (नाम) -- ---- (पता) ------------------------------------- दूरभाष -------------------- निम्नलिखित मंडी क्षेत्रों में कृषकों से कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए लाईसेंस लेने हेतु आवेदन कर रहा हूं/रहे हैं । मैं उपर्युक्त लाईसेंस प्राप्त करने के लिए नियमानुसार -------------------- रूपये का आवश्यक लाईसेंस शुल्क देने के लिए तैयार हूं तथा देना चाहता हूं ।

इस आवेदन के साथ मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूं :-

i) ऋण शोध-क्षमता प्रमाण पत्र ।

ii) बैंक गारंटी ।

iii) आवेदक (उदा० कम्पनी, सहभागी फर्म/गैर-सरकारी संगठन, सहकारी समिति/सरकारी संगठन आदि) के पंजीकरण दस्तावेजों के ब्यौरे ।

iv) उनके निदेशकों, सहभागियों आदि के नाम और पते ।

v) आयकर रिटर्न

घोषणा

१) मैं/हम .... कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम .... और इसके अन्तर्गत बने नियम तथा समय-समय पर इसमें किए गए संशोधनों और समय-समय पर निदेशक, विपणन/प्रबंध निदेशक द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं ।

२) मैं/हम हमारे व्यवसाय के संचालन के बारे में आवश्यक रिकार्ड और सूचना रखने और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु मांगी जाने वाली किसी भी तरह की सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने में सहयोग देने के लिए सहमत हूं/हैं ।

३) मैं/हम कोई भी प्रभार अथवा शुल्क अथवा कानूनी रूप में मेरे द्वारा देय राशि देने के लिए सहमत हूं ।

४) मैं/हम गैर-कानूनी ढंग से व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के साथ व्यवसाय न करने के लिए सहमत हूं/हैं और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में सहयोग देने के लिए सहमत हूं ।

आवेदक के हस्ताक्षर

१. नामः
पताः
हस्ताक्षरः

२. नामः
पताः
हस्ताक्षरः

१०८

फार्म 'एस'

(नियम ८३ (i) (vi) और ८४ (३) देखें)

कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए लाइसेंस धारकों का रजिस्टर और निजी मंडियों और उपभोक्ता/ कृषक मंडियों की स्थापना करना

क्रम सं०	आवेदक का नाम और पता	लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख	लाइसेंस का प्रकार और जारी करने की तारीख	मंडी क्षेत्र	लाइसेंस शुल्क रूपये (चालान संख्या)	लाइसेंस संख्या और तारीख	लाइसेंस की वैधता	टिप्पणी और हस्ताक्षर
१								
२								
३								
४								
५								
६								
७								

फार्म 'एस-१'

(नियम ८३ (i) (vi) **देखें)**

निजी ई - मंडियों के लिए लाईसेंस धारकों का रजिस्टर

क्रम सं०	आवेदक का नाम और पता	लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख	लाइसेंस का प्रकार और जारी करने की तारीख	मंडी क्षेत्र	लाइसेंस शुल्क रूपये (चालान संख्या)	लाइसेंस संख्या और तारीख	लाइसेंस की वैधता	टिप्पणी और हस्ताक्षर
१								
२								
३								
४								
५								
६								
७								

फार्म 'टी'

(नियम ८३ (i) (vii) (ख) और ८४(३) देखें)

कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद, निजी मंडी और उपभोक्ता/कृषि मंडी स्थापित करने के लिए लाइसेंस

----------कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, ---------- और ---------- कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) नियम ---------- के उपबंधों के अध्यधीन ---------- निम्नलिखित शर्तों पर श्री ---------- (नाम) ---------- और दूरभाष ---------- है तथा जिसे आगे लाइसेंसी के रूप में संदर्भित किया गया है ----------रू० के भुगतान पर ---------- मंडी क्षेत्रों में कृषि उपज की सीधी खरीद/निजी मंडी/उपभोक्ता कृषक मंडी की स्थापना और संचालन के लिए एतद्द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है :-

१. लाइसेंसी उक्त अधिनियम और नियमों के उपबंधों तथा लाइसेंसी द्वारा दिनांक---------- को निदेशक/प्रबंध निदेशक के साथ किए गए करार की शर्तों का पालन करेगा ।

२. यह लाइसेंस हस्तान्तरणीय नहीं होगा ।

३. यह लाइसेंस उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार लंबित या रद्द किया जा सकता है । यदि लाइसेंस धारक मंडी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन को इच्छापूर्वक बाधित, निलंबित अथवा रोकने की नीयत से मंडी में कोई कृत्य करता हो अथवा मंडी में अपना सामान्य कार्य न करता हो तो उसका लाइसेंस निलंबित अथवा रद्द किया जा सकता है ।

४. इस लाइसेंस के निलंबित होने अथवा रद्द होने की स्थिति में इसे निदेशक/प्रबंध निदेशक को अभ्यर्पित (सरंडर) कर दिया जाएगा ।

५. लाइसेंसी मिलावट नहीं करेगा और न ही घोषित कृषि उपज में किसी को मिलावट करने देगा ।

६. लाइसेंसी मंडी शुल्क का अपंवचन (evasion) रोकने में निदेशक/प्रबंध निदेशक की मदद करेगा ।

७. निदेशक/प्रबंध निदेशक से लाइसेंस प्राप्त हो जाने के बाद लाइसेंस धारक १५ दिन के अन्दर उन प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नाम सूचित करेगा जो उसकी ओर से उत्तरदायी होंगे ।

८. लाइसेंस धारक उस तरह से बुक, रजिस्टर और रिकार्ड रखेगा जैसा कि निदेशक/प्रबंध निदेशक चाहेंगे और उनके द्वारा या उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर वह ऐसे कागज पत्र उन्हें दिखाएगा ।

९. निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर मांगे जाने पर लाइसेंस धारक सूचनाएं और विवरणी उन्हें भेजेगा ।

(क) कृषि उपज निजी मंडियों में खुली नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी ।

(ख) प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंस धारक ---------- पर कृषि उपज के मूल्य का नोटिस लगाएगा जिसे वह किसी विशेष तारीख को खरीदेगा ।

(ग) निजी मंडी अथवा प्रत्यक्ष खरीदार सरकार द्वारा विशेष कृषि उपज के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसी भी कृषि उपज को नहीं खरीदेंगे, न ही खरीदने की अनुमति देंगे ।

१०. यदि घोषित कृषि उपज लाइसेंसी की एजेंसी अथवा उसके द्वारा बेची जाती है तो इस तरह से बेची गई कृषि उपज का मूल्य वह विक्रेता को उसी दिन देगा ।

११. संबंधित मंडी द्वारा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए तथा निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित किए गए मामलों में शुल्क या प्रभार वसूलने के अलावा लाइसेंस धारी अन्य मामलों में शुल्क या प्रभार वसूल नहीं करेगा ।

१२. लाइसेंसी कोई व्यापार भत्ता नहीं लेगा या वसूल करेगा ।

१३. लाइसेंसी प्राधिकृत बाटों और मापकों की व्यवस्था करेगा ।

१४. लाइसेंसी, निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित दरों पर लाइसेंस धारक तोलने या मापने वालों और हमाल को भुगतान करेगा और उन्हें किसी घरेलू या निजी कार्य में नहीं लगाएगा ।

१५. लाइसेंसी, लाइसेंस नियमों में हुए किसी परिवर्तन की सूचना निदेशक/प्रबंध निदेशक को देगा ।

१६. लाइसेंसी, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन से संबंधित सभी विवाद ---------- कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) नियम, २००७ में दी गई विधि से आगे भेजेगा ।

निदेशक/प्रबंध निदेशक

दिनांक:

तारीख:

लाइसेंस का नवीकरण

नवीकरण की तारीख	अवधि जिसके लिए नवीकृत किया गया है	निदेशक/प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर और तारीख

फार्म टी-१

(नियम ८३ (i) (vii) (बी) देखें)

निजी ई - मंडी के लिए लाइसेंस

---------- मंडी क्षेत्र में निम्नलिखित अधिसूचित कृषि उपज के लिए निजी ई - मंडी हेतु ---------- (नाम) ----------को जिसका पता ---------- ---------- फोन नं० ---------- है और जिसे आगे लाइसेन्सी के रूप में संदर्भित किया गया है, ---------- रू० मंडी शुल्क के भुगतान पर कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, ----------, और कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) नियम, ---------- के उपबंधों के अध्यधीन, निम्नलिखित शर्तों पर, एतद्द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है —

१. लाइसेंसी उक्त अधिनियम और नियमों के उपबंधों तथा लाइसेंसी द्वारा दिनांक---------- को निदेशक/प्रबंध निदेशक के साथ किए गए करार की शर्तों का पालन करेगा ।

२. यह लाइसेंस हस्तान्तरणीय नहीं होगा ।

३. यह लाइसेंस उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार लंबित या रद्द किया जा सकता है । यदि लाइसेंस धारक मंडी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन को इच्छापूर्वक बाधित, निलंबित अथवा रोकने की नीयत से मंडी में कोई कृत्य करता हो अथवा मंडी में अपना सामान्य कार्य न करता हो तो उसका लाइसेंस निलंबित अथवा रद्द किया जा सकता है ।

४. इस लाइसेंस के निलंबित होने अथवा रद्द होने की स्थिति में इसे निदेशक/प्रबंध निदेशक को अभ्यर्पित (सरंडर) कर दिया जाएगा ।

५. लाइसेंसी मिलावट नहीं करेगा और न ही घोषित कृषि उपज में किसी को मिलावट करने देगा ।

६. लाइसेंसी मंडी शुल्क का अपंवचन (evasion) रोकने में निदेशक/प्रबंध निदेशक की मदद करेगा ।

७. निदेशक/प्रबंध निदेशक से लाइसेंस प्राप्त हो जाने के बाद लाइसेंस धारक १५ दिन के अन्दर उन प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नाम सूचित करेगा जो उसकी ओर से उत्तरदायी होंगे ।

८. लाइसेंस धारक उस तरह से बुक, रजिस्टर और रिकार्ड रखेगा जैसा कि निदेशक/प्रबंध निदेशक चाहेंगे और उनके द्वारा या उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर वह ऐसे कागज पत्र उन्हें दिखाएगा ।

९. निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर मांगे जाने पर, लाइसेंस धारक सूचनाएं और विवरणी उन्हें भेजेगा ।

१०. लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि विक्रेता को उसके द्वारा बेची गई कृषि उपज का मूल्य उसी दिन मिल जाए ।

११. संबंधित मंडी द्वारा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए तथा निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित किए गए मामलों में फीस या प्रभार वसूलने के अलावा, लाइसेंसधारी अन्य मामलों में फीस या प्रभार वसूल नहीं करेगा ।

१२. लाइसेंसी कोई व्यापार भत्ता नहीं लेगा या वसूल करेगा ।

१३. लाइसेंसी प्राधिकृत बाटों और मापकों की व्यवस्था करेगा ।

१४. लाइसेंसी, निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित दरों पर लाइसेंस धारक तोलने या मापने वालों और हमाल को भुगतान करेगा और उन्हें किसी घरेलू या निजी कार्य में नहीं लगाएगा ।

१५. लाइसेंसी, लाइसेंस नियमों में हुए किसी परिवर्तन की सूचना निदेशक/प्रबंध निदेशक को देगा ।

१६. लाइसेंसी, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन से संबंधित सभी विवाद ---------- कृषि उपज विपणन (विकास और विनियम) नियम, २००७ में दिए गए उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत करेगा ।

१७. लाइसेंसी प्रतिदिन फ्यूचर/स्पॉट मूल्य दिखाने के लिए मंडी में प्रमुख स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटर बोर्ड/टर्मिनल की व्यवस्था करेगा ।

निदेशक/प्रबंध निदेशक

दिनांकः

तारीखः

लाइसेंस का नवीकरण

नवीकरण की तारीख	कितनी अवधि के लिए नवीकृत किया गया	निदेशक/प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर और तारीख

फार्म यू
(नियम ८६ (१) देखें)

अनुच्छेद ४५ और ४६ के अन्तर्गत लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

लाइसेन्सिंग प्राधिकारी,
राज्य कृषि विपणन बोर्ड

महोदय,

मैं अपने लाइसेन्स के नवीकरण के लिए प्रार्थना करता हूं । आवश्यक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

१. उस निजी मंडी यार्ड/निजी मंडी/उपभोक्ता/कृषक मंडी/अन्य विपणन आधारिक संरचना के ब्यौरे जिसके लिए पहले लाइसेंस जारी किया गया है ----------

२. आवेदक का नाम (मंडी यार्ड के स्थान के पूरे विवरण सहित)

३. लाइसेंस का नंबर

४. लाइसेंस की वैधता कब खत्म हुई

५. कितनी अवधि के लिए लाइसेंस का नवीकरण किया जाना है

६. भुगतान किया गया शुल्क

७. भुगतान किया गया जुर्माना, यदि कोई हो, रू० ----------

८. क्या आवेदक/आवेदकों को या जहां पर आवेदक, फर्म है, वहां उसके किसी सदस्य को अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ,

(क) किसी अन्य मंडी क्षेत्र में कोई लाइसेन्स प्रदान किया गया था और वह लाइसेंस लंबित या रद्द हुआ था, यदि हां तो, कब, कहां, कितनी अवधि के लिए और किन कारणों से ऐसा हुआ था ---------- -------- ---------- या

(ख) भ्रष्टता सहित किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था । यदि हां तो दोष सिद्ध होने की तारीख, ---------- या

(ग) उसे अनुन्मुक्त दिवालिया (Undischarged insolvent) घोषित किया गया ----------

(घ) वह मंडी समिति/बोर्ड को देयों का भुगतान न करने का दोषी हो ----------

(१) मैं नवीकरण शुल्क के रूप में रू० ---------- का डिमांड ड्राफ्ट सं० ---------- दिनांक ---------- संलग्न कर रहा हूं ।

(२) मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सही हैं ।

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

फार्म यू-१
(नियम ८६ (१) देखें)

निजी ई - मंडी के लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

लाइसेन्सिंग प्राधिकारी,
निदेशक विपणन/प्रबंध निदेशक,

महोदय,

मैं अपने लाइसेन्स के नवीकरण के लिए प्रार्थना करता हूं । आवश्यक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

उस ई – विपणन और अन्य विपणन आधारिक संरचना के ब्यौरे जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है

आवेदक का नाम .....
(मंडी यार्ड के स्थान के पूरे विवरण सहित)
लाइसेंस का नंबर .....
लाइसेंस की वैधता कब खत्म हुई .....
कितनी अवधि के लिए लाइसेंस का नवीकरण किया जाना है .....
भुगतान किया गया शुल्क .....
भुगतान किया गया जुर्माना. यदि कोई हो, रू० .....

क्या आवेदक/आवेदकों को या जहां पर आवेदक फर्म है, वहां उसके किसी सदस्य को अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ :

(क) किसी अन्य मंडी क्षेत्र में कोई लाइसेंस प्रदान किया गया था और वह लाइसेंस लंबित या रद्द हुआ था, यदि हां तो, कब, कहां, कितनी अवधि७ के लिए और किन कारणों से ऐसा हुआ था ----------
--------- ----------

(ख) भ्रष्टता सहित किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था । यदि हां तो दोष सिद्ध होने की तारीख, ---------- या

(ग) उसे अनुन्मुक्त दिवालिया (Undischarged insolvent) घोषित किया गया ----------
---

(घ) वह मंडी समिति/बोर्ड को देयों का भुगतान न करने का दोषी हो ----------
---

(१) मैं नवीकरण शुल्क के रूप में रू० ---------- का डिमांड ड्राफ्ट सं० --------
---------- दिनांक ---------- संलग्न कर रहा हूं ।

(२) मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सही हैं ।

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर